राजस्थान विधान सभा

बारहवीं बैठक, दिनांक २८ अक्टूबर, १९५२

सदन का कार्य ८ बजकर ३४ मिनट पर प्रारम्भ हुआ

(श्री अध्यक्ष पदासीन)

—:०:—

तारांकित प्रश्न

श्री अध्यक्ष:–प्रश्न ।

प्रश्न सं० १५७

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १२):–प्रश्न पूछने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि कल मेरे जो प्रश्न बाकी रह गये थे उनका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष:–कोई प्रश्न बाकी नहीं रहा था ।

श्री भैरूंसिंह:–कल हम समय पर अन्दर नहीं आ सके थे; क्योंकि रास्ता बन्द था ।

श्री अध्यक्ष:–If the Hon'ble Members want any reply, they are placed on the Table of the House and they can see.

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १२):–क्या श्री मंत्री महोदय, पी. डब्ल्यू. डी. बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

(अ) देसूरी रानी सड़क इस वर्ष पूरी हो जायगी ?

(ब) यदि "अ" का उत्तर "हां" में है तो कब तक यह कार्य सम्पन्न हो सकेगा ?

(स) यदि "अ" का उत्तर "ना" में है तो इसकी आशा कब तक की जा सकती है जिससे जनता को यातायात में सुविधा मिल सके ?

श्री भोलानाथ:–देसूरी–रानी सड़क इस वर्ष पूरी होने का सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि यह सड़क अभी तक सरकार द्वारा मंजूर नहीं की गई है। यद्यपि यह सड़क पंच वर्षीय योजना, जिसके लिये ७ करोड़ का एस्टीमेट है उसमें शामिल है। भारत सरकार ने सिर्फ २ करोड़ ९० लाख रुपये मंजूर किये हैं। इसलिये प्रश्न "बी" और "सी" पैदा ही नहीं होते ।

श्री भैरूंसिंह:-पिछले साल देसूरी से सादड़ी तक सड़क अधूरी छोड़ दी गई थी; क्या वह पूरी हो जावेगी ?

श्री भोलानाथ:-यह सवाल आपने अपने प्रश्न में नहीं पूछा ।

प्रश्न सं० १५८

श्री भैरूंसिंह:-(वि० सं० १२) क्या मंत्री महोदय पी० डब्ल्यू० डी० यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(अ) सादड़ी से राणकपुर तक सड़क कब तक बनेगी ?

(ब) क्या सरकार बाली से लुणावा, सेवाड़ी होती हुई एरनपुरा तक सड़क बनाने का कार्य अपनी नवीन योजना में शामिल करने का कष्ट करेगी ?

श्री भोलानाथ:-यह सड़क भी पंच वर्षीय योजना में मंजूर नहीं हुई है। परन्तु ज्योंही राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक होगी उसको शामिल कर दिया जायगा।

प्रश्न सं० १५९

श्री भैरूंसिंह:-(वि० सं० १२) क्या मंत्री महोदय, पी० डब्ल्यू० डी० बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(अ) देसूरी के पास दादिया तालाब बंधाने की सरकारी योजना थी ?

(ब) यदि "अ" का उत्तर "हां" में है तो सरकार किस निर्णय पर पहुंची ?

(स) यदि "ब" का उत्तर "ना" में है तो सर्वसाधारण के हितार्थ क्या सरकार इस योजना को शीघ्रातिशीघ्र करने का विचार रखती है, जिससे देसूरी के आस पास के स्थानों के कुओं में पानी की कमी दूर हो ?

(इ) सरकार इस महत्वपूर्ण कार्य में नगण्य खर्च कर किसान का जल-कष्ट मिटाएगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या:-यह प्रश्न माननीय पी०डब्ल्यू०डी० मिनिस्टर से पूछा गया था। क्योंकि उनका इससे कोई संबन्ध नहीं था अतः मैं इसका जवाब थोड़ी देर बाद दे सकूंगा ।

श्री अध्यक्ष-Why, You must be prepared.

प्रश्न सं० १६०

श्री भैरूंसिंह:-क्या मंत्री महोदय, पी० डब्ल्यू० डी० बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

अतिवृष्टि से जो तालाब आदि इस वर्ष टूट गये हैं क्या उन्हें सुधरवाने की सरकार कोई व्यवस्था कर रही है या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या:–इस प्रश्न का उत्तर "हां" में है।

श्री भैरूंसिंह:–क्या सरकार ने ऐसे तालाबों की लिस्ट बनाई है?

श्री भोगीलाल पंड्या:–मैं पहले तालाबों की लिस्ट टेबल पर रख चुका हूं और फिर भी माननीय सदस्य देखना चाहें तो देख सकते हैं।

श्री रघुराजसिंह:–क्या किशनगंज शाहबाद में जो तालाब टूटा था वह भी उस लिस्ट में शामिल है?

श्री भोगीलाल पंड्या:–यह प्रश्न पूछा नहीं गया है; लेकिन मैं यह आपकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि जो सूची टेबल पर रखी गई थी उसमें सब तालावों के नाम शामिल हैं।

श्री अध्यक्ष:–The Hon'ble Member will look into that list.

प्रश्न सं० १६१

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १२):–क्या श्री मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

(अ) देसूरी–बाली तहसीलों में म्युनिसिपल कमेटियां हैं अथवा नहीं?

(ब) यदि "अ" का उत्तर "हां" में है तो किन किन कस्बों में है?

(स) यदि "अ" का उत्तर "ना" में है तो उपर्युक्त स्थानों में यह कमेटियां कब तक स्थापित हो जायंगी?

श्री रामकरण जोशी:–(अ) हां, तहसील बाली में है।

(ब) बाली में।

(स) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न सं० १६२

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १२):–क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(अ) समस्त राजस्थान में ग्राम पंचायतों का कार्य समान कानूनों के आधार पर चल रहा है अथवा अलग अलग भूतपूर्व रियासतों के कानूनानुसार?

श्री रामकरण जोशी:—अभी तक राजस्थान में ग्राम पंचायतों का काम अलग अलग भूतपूर्व रियासतों के कानूनानुसार ही चल रहा है।

एक सदस्यः—क्या सरकार को यह मालूम है कि दूनी में ६ महीनों से पंचायत ओफिस में ताला लगा हुआ है ।

श्री रामकरण जोशी:- ६ महीनों से ताला लगा हुआ है; यह बात तो आप से मालूम हुई है । अगर ताला लगा है तो इस सम्बन्ध में जांच की जायगी और ताला खुल जायगा ।

श्री गंगासिंहः—क्या पंचायतों के टर्म समाप्त होने पर नये चुनाव होंगे ?

श्री रामकरण जोशी:—हां । करीब करीब सभी पंचायतों की टर्म समाप्त हो रही है। सब के चुनाव वापिस होंगे ।

श्री गंगासिंहः—जिन पंचायतों के चुनाव हाल ी में हुए हैं उनका क्या होगा ।

श्री रामकरण जोशी:—उनके चुनाव नहीं होंगे ।

श्री रघुराजसिंहः—क्या हाल ही में चुनाव हुए हैं उन पंचायतों के भी चुनाव वापिस होंगें ?

श्री रामकरण जोशी:—मैं इसका उत्तर दे चुका हूं ।

प्रश्न सं० १६३

श्री अमरसिंहः—क्या माननीय उद्योग तथा व्यवसाय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ।

यह सही है कि राजस्थान में माइका का उद्योग सिर्फ करीब १५ वर्ष पुराना है और यह राजस्थान के मुख्य उद्योगों में से एक है ?

श्री रामकिशोर व्यासः—इसका उत्तर "हां" में है ।

प्रश्न सं० १६४

श्री अमरसिंहः—क्या माननीय उद्योग तथा व्यवसाय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

यह सही है कि उद्योग तथा राजस्थान सरकार के बीच पारस्परिक सहयोग तथा विश्वास न होने के कारण राजस्थान की मौजूदा मिनरल पॉलिसी और व्यवसाय के बारे में उद्योगपतियों में असंतोष है और अगर यह सही है तो क्या सरकार इन उद्योगपतियों का विश्वास प्राप्त करने के लिये कोई प्रयत्न कर रही है ।

श्री रामकिशोर व्यास:–ऐसी बात नहीं है कि सरकार और माइका के माईनिंग के उद्योगपतियों में किसी प्रकार का अविश्वास है; लेकिन फिर भी आपस में ताल्लुकात अच्छे रखने के लिये व उद्योग में उन्नति करने के लिये एक मिनरल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है जिसके २५ सदस्य हैं। जिसका एक मात्र उद्देश्य व्यवसाय की उन्नति व आपस में सद्भावना पैदा करना है।

श्री संतोषसिंह:–क्या इसमें कोई एम० एल० ए० भी है ?

श्री रामकिशोर व्यास:–यह कमेटी पहले की बनी हुई है इसलिये इसमें कोई एम० एल० ए० नहीं है।

श्री संतोषसिंह:–क्या सरकार का विचार किसी को लेने का है ?

श्री रामकिशोर व्यास:–सरकार इस पर विचार कर रही है।

प्रश्न सं० १६५

श्री अमरसिंह:–क्या माननीय उद्योग तथा व्यवसाय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि······

यह सही है कि उद्योग की ओर से दिये गये पत्रों तथा आवेदनों के उत्तर देने में व विचाराधीन मामलों के फैसलों में राज्य के माइनिंग डिपार्टमेन्ट को बहुत समय याने अक्सर महीनों व वर्षों लगते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास:–इस सम्बन्ध में तहकीकात की जावेगी।

प्रश्न सं० १६६

श्री अमरसिंह:–क्या माननीय उद्योग तथा व्यवसाय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि माईनिंग लीज या प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स देते समय सम्बन्धित दर या फीस किस आधार पर नियत की जाती है ? क्या इस सम्बन्ध में उद्योग की मौजूदा देने योग्य शक्ति और केन्द्रीय सरकार के मिनरल कन्सेशन रूलस में निर्धारित अत्यधिक व न्यूनतम रेट से है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास:–माईनिंग लीज और प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स की फीस उस स्थान तथा उस जगह की पैदावार को ध्यान में रखते हुए मिनरल कन्सेशन रूलस के मुताबिक कायम की जाती है।

श्री सन्तोषसिंह:–क्या कोई खान खुद रही हो उसी जगह यह प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स मिल सकता है। अभी कहीं कोई मिला हुआ है या नहीं।

श्री रामकिशोर व्यास:–यह प्रश्न आपका दूसरा है।

प्रश्न सं० १६७

श्री अमरसिंह:–क्या माननीय उद्योग तथा व्यवसाय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि करीब एक साल से माइका के उद्योग को विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने सरकार को इस बारे में आवेदन पत्र भजे हैं ? अगर यह ठीक है तो सरकार ने अब तक इन्हें आर्थिक, रियायती, टैक्निकल क्या क्या सहायता प्रदान की है ।

श्री रामकिशोर व्यास:–कोई आर्थिक सहायता तो सरकार की ओर से नहीं दी जा सकती, लेकिन टैक्निकल हेल्प जो लोग चाहते हैं उनको दी जा सकती है ।

प्रश्न सं० १६८

श्री अमरसिंह:–क्या माननीय उद्योग तथा व्यवसाय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि बिहार की माइका क्वालिटी व उत्पादन में राजस्थान से बहुत ज्यादा अच्छी है, क्या राजस्थान के इस उद्योग को वह सब सुविधाएं प्राप्त हैं जो बिहार, मद्रास व दूसरे प्रान्तों में प्राप्त हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास:–राजस्थान की माइका की क्वालिटी बिहार की माइका की क्वालिटी से कुछ कम दर्जे की है । राजस्थान में अच्छे स्किल्ड लेबर्स यानी होशियार मजदूर नहीं मिलते हैं और उसकी वजह से उसका फोरिन मार्केट बिहार के मुकाबले में कम है ।

प्रश्न सं० १६९

श्री सोहनलाल भटनागर:–Will the Chief Minister be pleased to state.—

Whether the Government of Rajasthan is contemplating to count the old services of Employees of Jagir areas who were taken in service by the Government of former Rajasthan State ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–माननीय अध्यक्ष, माननीय मुख्य मंत्रीजी अभी कुछ ही समय के अन्दर उपस्थित होने वाले हैं; इसलिए इस प्रश्न का जवाब वे बाद में देंगे ।

श्री माधोसिंह:—The deadlock has arrived. The Chief Minister is not present.

श्री अध्यक्ष:–(श्री मोहनलाल सुखाड़िया को सम्बोधित करते हुए) What do you say ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—माननीय मुख्य मंत्री महोदय अभी नहीं आये हैं; लेकिन इस प्रश्न का जवाब मैं दे देता हूं।

जागीर इलाके के जो कर्मचारी लिये गये हैं उनकी पेन्शनेबल पोस्ट्स पहले जागीरों में नहीं थीं; इसलिए आगे के लिए पेन्शन देने के बारे में सरकार के सामने कोई विचार नहीं है।

श्री सोहनलाल भटनागर:—क्या यह उनके प्रति अन्याय नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—पहले वह पेन्शनेबल पोस्ट्स थीं ही नहीं; तो अन्याय का प्रश्न कैसे आ सकता है।

श्री रघुराजसिंह:—क्या सरकार इस पर खास तौर से विचार करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—खास तौर से विचार करने का प्रश्न सामने आयेगा तो सारी नीति को सामने रखते हुए सरकार उस पर विचार करेगी।

एक सदस्य:—क्या मंत्री महोदय पहले प्रश्न सामने आने पर ही उस पर कोई विचार करेंगे, पहले नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—मैंने कहा है कि उस पर विचार किया जायगा।

प्रश्न सं० १७०

श्री सोहनलाल भटनागर:—Will the **Minister-in-Charge** of Development be pleased to answer.—

(a) Is the Government aware that Jaisamand lake affords vast potentialities for Development ?

(b) What steps the Government is intending to take to harness these potentialities ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—(क) हां।

(ख) दो नहरें बनवाने के लिए तखमीने बन चुके हैं और सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर:—क्या जयसमन्द के बारे मे हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्कीम और नहरों के बारे में भी कुछ सोचा जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—अभी इस पर कोई योजना नहीं बनी है।

श्री सोहनलाल भटनागरः—क्या सरकार इसको बनाने के बारे में सोचेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्याः— हां, इसके लिए अगर ऐसी किसी तरह की योजना आयेगी तो विचार किया जायगा ।

श्री रामदयाल उपाध्यायः—'A' का उत्तर दिया है आपने 'हां' में। तो यह कब से शुरू हुआ है, और कब कब कितना कितना हुआ ?

श्री भोगीलाल पंड्याः—१९४६–४७ में यह काम शुरू हुआ । ४६–४७ में ४२३३ बीघा की सिंचाईहुई, १९४९–५० में ८ हजार बीघा की, और १९५०–५१ में १२ हजार बीघा तक पहुंची । तो इस तरह नहरों के एक्स्टेन्शन का काम जारी है । एस्टीमेट ऐसा किया जाता है कि लगभग १० हजार बीघा जमीन को और सिंचाई हो सकेगी । सरकार इस तालाब से सिंचाई बढ़ाने का पूरा प्रयत्न कर रही है । पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार से राजस्थान सरकार ने इसके लिए दो करोड़ रुपयों की मांग की है ।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़):—क्या सरकार इस प्रोग्रेस को उचित समझती है बमुकाबले जो प्रोग्रेस डूंगरपुर में हुई है ।

श्री भोगीलाल पंड्याः—जी हां ।

प्रश्न सं० १७१

श्री सोहनलाल भटनागरः—Will the **Education Minister** be pleased to state.—

(a) Whether there is any scheme to start Mining Engineering College at Udaipur ?

(b) If it is so, when would the Government put the scheme in execution ?

श्री नाथूराम मिर्धाः—नहीं ।

श्री सोहनलाल भटनागरः—क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि गत अधिवेशन के वक्त माननीय राजप्रमुख ने अपने भाषण में इस प्रकार की माइनिंग कॉलेज के बारे में कहा था ?

श्री नाथूराम मिर्धाः—इसका हमें पूरा ध्यान नहीं है । इसके लिए बराबर नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रामदयाल उपाध्यायः—तो यह समझा जाय कि जो कुछ राजप्रमुख साहब ने आश्वासन दिया था वह गलत था ।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़):–क्या माननीय अध्यक्ष यह सप्लिमेन्ट्री प्रश्न नहीं है ? उसका जवाब क्यों avoid किया जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–मैंने आपको साफ कहा है कि इस वक्त सरकार के पास ऐसी कोई स्कीम विचाराधीन नहीं है और न एक्जीक्युशन का सवाल है ।

श्री सोहनलाल भटनागर:–तो क्या राजप्रमुख का आश्वासन गलत था ।

श्री नाथूराम मिर्धा:–आश्वासन को मेटीरियलाइज होने में टाइम लगता है; अभी वह विचाराधीन नहीं ह ।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ):–क्या आश्वासन भी झूठे दिये जाते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा:–आश्वासन को मेटीरियलाइज होने में लंबा समय लगे; इसका मतलब यह नहीं कि वह झूठा होता है ।

श्री रोशनलाल:–क्या राजप्रमुख महोदय को राजस्थान की आर्थिक स्थिति का ध्यान नहीं था ?

श्री जयनारायण व्यास:–अध्यक्ष महोदय, इन्फर्मेशन सीक करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं न कि राय जानने के लिए प्रश्न किये जा सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष:–I have told more than once that the Hon'ble Member will seek information and will not invite the Members of the Government to say about policy questions.

श्री कपिलदेव:–Informations are always avoided, Sir. Inspite of repeated questions; they do not give replie.s

श्री अध्यक्ष:–They cannot avoid information. They will hav to give them.

प्रश्न सं० १७२

श्री सोहनलाल भटनागर:–Will the **P. W. D. Minister** be pleased to answer.—

Whether there is any scheme to metal Jaisamand Salumber road ?

श्री भोलानाथ:–इस सड़क को पंचवर्षीय योजना की सप्लिमेंट्री लिस्ट में शामिल करने के लिए भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिए कागज भेजे गये हैं।

एक सदस्य:-सप्लिमेन्ट्री लिस्ट में और कौन २ से प्लान भेजे गये है'।

श्री भोलानाथ:-पूरी इन्फर्मेशन के लिए नोटिस की आवश्यकता है।

प्रश्न सं० १७३

श्री सोहनलाल भटनागर:-Will the Irrigation Minister be pleased to state:—

Whether the Government or the Contractor bore the loss caused by the damage to the Piladhar and Kerod Tanks while they were under construction ?

श्री भोगीलाल पंड्या:-छोटे २ तालाब जो टूटते हैं इसकी जिम्मेवारी पहले वर्ष के लिए कन्ट्रेक्टर पर होती है और इन तालाबों के लिए भी कन्ट्रेक्टर जिम्मेवार हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर:-खेबड़ के तालाब के बारे में जनता की आवश्यकता के बारे में क्या सरकार ने सोचा है ? इसके लिए राजप्रमुख साहब वहां पधारे थे तब भी कहा गया था।

श्री भोगीलाल पंड्या:-हां, मुझे मालूम है, और उस पर पूरा २ ध्यान दिया गया है।

श्री संतोषसिंह:-यह ठेकेदारों से कैसे वसूल किया जाता है।

श्री भोगीलाल पंड्या:-पहले वर्ष में उसकी जिम्मेवारी होती है और नुक्सान का रुपया ठेकेदार से वसूल किया जाता है।

श्री संतोषसिंह:-जो राज्य के कर्मचारी वहां रहते हैं वे क्या ठेकेदार से वक्त पर नहीं कह सकते हैं कि यह पानी का मामला है इसमें ज्यादा होशियारी की जरूरत है।

श्री भोगीलाल पंड्या:-यह जो प्रश्न किया गया है उसके बारे में इस तरह की बातचीत हुई थी कि ठेकेदार से खर्चा वसूल किया जायगा।

प्रश्न सं० १७४

श्री सोहनलाल:-Will the Chief Minister be pleased to state:-

Whether the Government would confer powers of Assistant Collectors and Munsiffs to the Extra Magistrates whose Courts are not situated on the Head quarters of District and before whom very few criminal cases lie ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—ऐसे अतिरिक्त मजिस्ट्रेट जिनको माली काम का अनुभव है असिस्टेन्ट कलेक्टर के अधिकार दिये जा चुके हैं और यह भी तजवीज है कि जिनको माली काम का अनुभव नहीं है उनको आवश्यक ट्रेनिंग के बाद असिस्टेन्ट कलेक्टर के अधिकार दे दिये जावें। सरकार के निश्चित कर्मचारियों को मजिस्ट्रेट के अधिकार दे दिये जावें, इस बारे में सरकार की आज्ञा जरूर हुई है।

प्रश्न सं० १७५

श्री माधोसिंह भैसवाड़ा—Will the **Hon'ble Education Minister** be pleased to answer:—

(a) How much money has been given this year to Kisan Boarding House, Merta ?

(b) How much money has been given to other Boarding Houses in Rajasthan ?

(c) The names of such other Boarding Houses may be mentioned ?

श्री नाथूराम मिर्धा—(a) A sum of Rs. 780/- p. a. is being given as recurring aid to Kisan Boarding House Merta. A non-recurring grant of Rs. 25,000/- which represents half of the cost of the building constructed for the Boarding House has also been given. Such non-recurring grants are permissible according to the rules and have been given to other Boarding Houses and Schools in previous years.

(b) A list of the recurring grants given to other Boarding Houses in Rajasthan is enclosed herewith.

(कृपया परिशिष्ट १ में देखिये)

(c) The information is given in (b) above.

श्री माधोसिंह:—मेड़ता के दो दूसरे बोर्डिंग हाउस को इस तरह की ग्रान्ट क्यों नहीं दी गई।

श्री नाथूराम मिरधा:—इनको एड देने के बारे में जो पेपर्स हैं वे फाइनेलाइज नहीं हुए हैं; इसलिये अभी इसके लिए कुछ नहीं कह सकते।

श्री सन्तोषसिंह:—यह एक बोर्डिंग हाउस के साथ विशेषता क्यों ?

श्री नाथूराम मिरधा:—माननीय सदस्य भूल कर रहे हैं; यह जो एड (aid) दी जारही है उसके बारे में फाइनल डिस्पोज आफ होगया; बाकी का अभी होना बाकी है।

श्री सन्तोषसिंह:—जो बोर्डिंग हाउस बताये गये हैं वो अलग अलग संस्था के हैं या एक ही संस्था के ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री मानसिंह:—क्या माननीय मंत्री महोदय के पास मेड़ता बोर्डिंग हाउस को एड देने की फाइल के पहले और इसी विषय को लेकर किसी दूसरे बोर्डिंग हाउस के केस पेन्डिग नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री मानसिंह:—अध्यक्ष महोदय, यह सूचना इवेजन नहीं ।

श्री अध्यक्ष:—If the Hon'ble Member thinks that the Hon'ble Minister has avoided a reply, he has the right to raise half-an-hour discussion and he can apply to me.

प्रश्न सं० १७६

श्री माधोसिंह (भैंसवाड़ा):—Will the **Hon'ble Minister for Transpor** be pleased to answer:—

When the Car Owners pay the full yearly fees of their cars why are they made to go and receive token quarterly ?

श्री भोलानाथ:—आम तौर पर तिमाही फीस ही जमा कराई जाती है, कभी कभी चार मास की फीस भी जमा करा दी जाती है। अब क्वार्टरली कूपन तैयार कर लिये गये हैं। और इस प्रकार की असुविधा नहीं होगी ।

प्रश्न सं० १७७

श्री हरिकृष्ण व्यास:—Will the **Hon'ble Minister for Finance** be pleased to answer:—

(a) Has the Rajasthan Government advanced any loans to any Industrialists ?

(b) To whom has such loan been given, the amount of loan given to each and terms on which such loan has been given ?

श्री रामकिशोर व्यास:—राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित लोन्स दिये हैं:—

(a) मैसर्स मेकेनाइज्ड फार्मस एन्ड इन्डस्ट्रीज (मेवाड़) लिमिटेड कम्पनी उदयपुर को २८,५००) ६½ प्रतिशत सूद पर दिया गया १ जनवरी १९५२ से । (२) खादी संघ जयपुर

को १,२५,०००) रु० ३ प्रतिशत सूद पर। इसके अलावा ६५०० रुपया राजस्थान सरकार ने और दिया है। उसका कारण यह था कि पहले जयपुर रियासत में १५ हजार रुपये का एक लोन जे० डी० धावन को मन्जूरी दी थी जिसके लिए जयपुर रियासत का जो ६,५०० रुपया बाकी था वह राजस्थान सरकार ने दिया।

श्री एच.के. व्यास:–ऐसे लोन्स के देने के बारे में सरकार का क्राईटेरियन क्या है?

श्री रामकिशोर व्यास:–जहां जरूरत समझते हैं वहां देते हैं।

श्री एच. के. व्यास:–जरूरत के बारे में ही क्या क्राईटेरियन रखा गया है?

श्री रामकिशोर व्यास:–जिस इन्डस्ट्री को ज्यादा जरूरत होती है उसे दिया जाता है।

श्री एच. के. व्यास:–तो क्या यह समझा जाय कि राजस्थान में जिन इन्डस्ट्रियों को यह लोन दिये गये उनकी सब से ज्यादा आवश्यकता थी।

श्री अध्यक्ष:–No.

प्रश्न संख्या १५१

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १२) :– क्या मंत्री महोदय, पी. डब्ल्यू. डी. बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

(अ) देसूरी के पास दादिया तालाब बंधवाने को सरकारी योजना थी?

(ब) यदि 'अ' का उत्तर हां में है तो सरकार किस निर्णय पर पहुंची?

(स) यदि 'ब' का उत्तर ना में है तो सर्वसाधारण के हितार्थ क्या सरकार इस योजना को शीघ्रातिशीघ्र करने का विचार करती है, जिससे देसूरी के आस पास क स्थानों क कुओं में पानी की कमी दूर हो?

(द) सरकार इस महत्वपूर्ण कार्य में नगण्य खर्च कर किसानों का जल कष्ट मिटायगी?

श्री भोगीलाल पंड्या:—The question of restoration of DADIA tank was considered in 1950, but as the scheme was found to be uneconomical, it was dropped.

Since the Government is undertaking a large number of minor irrigation works, the question is being further examined with a view to see whether the restoration work can be taken up now.

श्री रघुराज सिंह:–आठ तारीख के मेरे सवाल दिये थे उनका उत्तर आजतक नहीं मिला कबतक मिलेगा?

श्री अध्यक्ष:—They have been placed on the List. You did not state any reasons for treating them as short-noice questions,

therefore they were treated as full-time. They have been placed on the list and replies to them will be given in due course.

Answers to questions which could not be called due to shortage of time will be given to the Members concerned.

श्री सन्तोषसिंह:–टेबल किस जगह है यह बताया जाय ?

श्री अध्यक्ष:–Legislative Branch of the Assembly Secretariat

श्री मानसिंह:–अध्यक्ष महोदय जो हम अनस्टार्ड सवाल पूछते हैं उनके उत्तर संबन्धित मेम्बर को मिलने चाहिये ।

श्री अध्यक्ष:–That is not practicable. They will only see those replies on the Table of the House.

श्री अध्यक्ष:—Now Bills.

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़):–अध्यक्ष महोदय दो तीन दिन पहले कुछ बिल्स को सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के लिये दिये गये थे । सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों के नेम्स अभी तक अनाउन्स नहीं किये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष:–I think you have not read the agenda of today perhaps.

श्री टीकाराम पालीवाल:–अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि . . . .

(हाउस से आवाज न सुनाई देने की ध्वनियें)

राजस्थान अभ्यस्त अपराधी विधेयक, १९५२

श्री टीकाराम पालीवाल:–अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य में अभ्यस्त अपराधियों के नियंत्रण की व्यवस्था करने वाला विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री सन्तोषसिंह:–अभ्यस्त क्या है ?

श्री अध्यक्ष:–अभ्यस्त (Habitual) हेबिचुअल अथवा आदी ।

श्री टीकाराम पालीवाल:–आदी नहीं अभ्यस्त

श्री भैरूंसिंह:–माननीय अध्यक्ष, हमें जो एजेन्डा मिला है उसमें प्रवर समितियों के नाम घोषित करने का पहले लिखा गया है ।

श्री अध्यक्ष:—No. With me, and according to the Rules, next after questions we have the Bills to be introduced and so this is that. If the Hon'ble Member has received any other agenda, he should correct it.

राजस्थान कृषि आय-कर विधेयक १६५२

Extension of time for the presentation of the Report of the Select Committee on Rajasthan Agricultural Income-tax Bill, 1952.

श्री एच. के. व्यास:—Do we take it that the Hon'ble Ministers are not in a mood to proceed with the business today?

श्री भोलानाथ:—I move that the time appointed for the presentation of the report of the Select Committee on the Bill to provide for the levy of a tax on agricultural income derived from lands situated in the State of Rajasthan be extended upto the 3rd November, 1952.

श्री अध्यक्ष:—Is leave of the House to extend the time of the report of Select Committee on the Rajasthan Agricultural Incometax Bill upto the 3rd November given?

(स्वीकृत)

The time is extended.

राजस्थान राज्य सुरक्षा विधेयक, १६५२

श्री अध्यक्ष:—What about the names of the personnel of the Select Committee on the Rajasthan Security of the State Bill? Will both the parties agree and give me an agreed list? (Chief Whips agree).

(विराम)

Then you give me a list of the names.

(विराम)

राजस्थान भू-धारण विधेयक, १६५२

Next. Shri Sukhadia. Rajasthan Tenancy Bill.

Do you want to move it for consideration today or do you want to defer it?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—I want to defer it.

श्री अध्यक्ष:—No. 5 is deferred.

राजस्थान विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १६५२

श्री नाथूराम मिर्धा:—मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च सन् १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए राज्य की संचित निधि (कंसोलिडेटेड फन्ड) में से निष्कृति (पेमेन्ट) को प्राधिकृत करने वाला तथा उसमें से कुछ रकमों का विनियोग करने वाला विधेयक विचारार्थ लिया जावे।

श्री अध्यक्ष:—The motion is that the Rajasthan Appropriation Bill, 1952 be taken into consideration. Now before proceeding to the consideration of the Appropriation Bill clause by clause and before putting this question, if any Members of the House want to raise some question over the principle of the Bill, they can do so.

श्री हरिकृष्ण व्यास:—Will the Hon'ble Member-in-charge of the Bill not like to say some explanatory remarks in favour of the Bill ?

श्री अध्यक्ष:—It is at his will. He has the right to say anything over the principle of the Bill and if he does not want to say, he can waive it.

श्री नाथूराम मिर्धा:—इस बिल के पीछे स्टेटमेन्ट ओफ ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स दिया हुआ है और वह बिलकुल साफ है। उसे पढ़ने से माननीय सदस्यों के समक्ष में सारी बातें आ गई होंगी। माननीय सदस्यों ने कल यहां जिन सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स को मत देकर पास किया था उन्हें खर्च करने के लिये सरकार को रकम देने के लिये यह बिल पेश किया गया है। मैं आशा करता हूं इस बिल को पास करके, कल जो डिमान्ड्स पास की हैं, उन्हें खर्च करने की इजाजत, सदन सरकार को देगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—अध्यक्ष महोदय, जो बिल हमारे सामने विचारार्थ पेश किया गया है उसके सिद्धान्तों के सिलसिले में मैं कुछ कहना चाहता हूं। वैसे तो सदन में कल अलग अलग मदों पर जब मंजूरी दी गई थी उस समय बहुतसी बातोंका जिक्र हमने किया था;लेकिन उन बातों को फिर से दोहराने के बजाय मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं जो कल घटी थी और जिस पर सदन में हम कल विचार न कर पाये थे। मेरा इसारा है राजस्थान सरकार द्वारा किशनगढ़ मिल मजदूरों के टंटे को सुलझाने के बारे में जो नीति अपनाई गई है उसकी ओर। क्योंकि हम राजस्थान सरकार द्वारा खर्चे के सिलसिले में पेश किये गये बिल पर आज चर्चा कर रहे हैं इसलिये मैं आज सिर्फ एक ही सवाल के जरिये से सरकार के रुख और सरकार की नीति की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ में जो वाकियात पिछले ५, ७ दिनों में हुए हैं उनकी शुरुआत बहुत पुराने अर्से से होती है। सन् १९४८ में उस समय के छोटे राजस्थान के सम्बन्धित मंत्री महोदय ने एक फैसला दिया था जो आमतौर पर सुखाड़िया एवार्ड के नाम से मशहूर है और उसके मुताबिक १ जून सन् १९४८ से भीलवाड़ा और किशनगढ़ के मिल मजदूरों की तनख्वाह में कुछ इजाफा करने का ऐलान किया गया था। भीलवाड़ा में वह फौरन लागू हो गया। लेकिन किशनगढ़ में १ जून के बजाय १ अक्टूबर से वह फैसला लागू हुआ और पिछले ६ माह का बकाया पैसा मजदूरों को नहीं मिला और उस पर टंटा फिसाद चला। सरकार ने एक औद्योगिक अदालत के सामने यह सवाल पेश

किया और उस अदालत ने मजदूरों के हक में फैसला किया जिसे मिल मालिक ने मानने से इन्कार कर किया। कई महीने बीत गये पर मिल मालिक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस बीच में समय का फायदा उठाकर मिल मालिक ने हाई कोर्ट में उक्त अदालत के खिलाफ अपील दायर करदी और हाई कोर्ट से हुक्म प्राप्त कर लिया कि औद्योगिक अदालत के जज को नियुक्त करने में कुछ कानूनी गलती रह गई थी। तब से यह टंटा बराबर चला ही आरहा है। अभी अभी पिछली जुलाई में यह किस्सा समाप्त हुआ था और उसे समाप्त करवाने में न सिर्फ राजस्थान सरकार के मंत्रियों का हाथ था बल्कि केन्द्र के कुछ मंत्री भी इस में बीच बचाव करने में सम्मिलित थे। उन्होंने यह तय किया था कि यदि किशनगढ़ की मिल घाटे में चल रही है तो उसकी जांच करने के लिये एक एक्सपर्ट केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा और दूसरा फैसला यह दिया गया था कि जितने दरमियानी झगड़े हैं वे सब पंच कमेटी के सामने पेश किये जायेंगे जिसमें मजदूरों और मिल मालिकों के बराबर बराबर प्रतिनिधि होंगे और श्री मजूमदार जो कभी इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के जज थे उसके अध्यक्ष होंगे। इस फैसले को हुए कुछ ही अर्सा गुजरा है और राजस्थान सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि फैसला २० दिन के अन्दर अन्दर लागू किया जायगा और उस पर पूरा अमल किया जायगा। लेकिन १० सितम्बर को २० दिन बीत गये और राजस्थान सरकार को जितना पहले जोश था उसमें से कितना जोश अपने फैसले को लागू करवाने में रह गया उसकी एक मिसाल आपके सामने बतलाना चाहता हूं। औद्योगिक न्यायालय जो राजस्थान सरकार ने किशनगढ़ के लिये नियुक्त किया था और जिसकी नियुक्ति को हाई कोर्ट ने अवैधानिक करार दे दिया था उसके खिलाफ अपील करने के लिये भी राजस्थान सरकार में जोश न रहा और आखिरी तारीख ८ जुलाई को थी; उसके बारेमें काफी कहा सुनी के बाद भी अपने खुद के हुक्म को अनुचित ठहराने पर भी अपील करने की फुरसत सरकार को नहीं मिली। इसलिये जो फैसला मजदूरों, मिल मालिक और राजस्थान सरकार के बीच में हुआ उसे २० दिन में पूरा करने का कहा गया था, पर २० दिन पूरे होजाने के बावजूद भी उसे लागू नहीं किया गया और आज यह हालत हुई और मसला यहां तक बढ़ा कि न सिर्फ मिल पर ताले ही पड़े बल्कि मजदूरों को जयपुर तक आकर सदन के सामने कल प्रदर्शन करना पड़ा। मुझे अफशोस है माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां पर मौजूद नहीं हैं। अभी दो चार दिन पहले बहस के दौरान में मुख्य मंत्रीजी ने किशनगढ़ की ओर इशारा करके मुझे और मेरी पार्टी पर काफी आक्षेप किया था। किसे मालूम था कि इसके दो चार दिन ही बाद........

श्री मोतीलाल:—रूल्स ओफ प्रोसिजर के नियम १२४ के अनुसार डिस्कशन ओन प्रिन्सिपल के बारे में जो नियम है उसके अनुसार डिस्कशन नहीं हो रहा है; क्या आप का इसके लिये कोई ओर्डर है ?

श्री. अध्यक्ष:—गवर्नमेन्ट की पोलिसी को क्रिटिसाइज करने के कई अवसर आते हैं। पहला अवसर राजप्रमुख के भाषण के समय आता है, दूसरा अवसर आता है बजट पर जनरल डिबेट के समय, उसके बाद डिमान्ड फोर ग्रान्ट्स

के ऊपर डिस्कशन होता है। फिर एप्रोप्रिएशन बिल की कंसीडेशन स्टेज से पहले पहले प्रिन्सिपल पर और फिर कंसीडेशन की स्टेज पर क्रिटीसाइज किया जा सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास :–(भाषण जारी रखते हुए) तो मैं यह अर्ज कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, कि सरकार की इस मामले के सिलसिले में क्या नीति रही है, मेरी समझ में यह नहीं आया कि सरकार की नीति की आलोचना होने पर किसी सदस्य महोदय को ऐतराज क्यों होना चाहिये; खैर। मैं यह कह रहा था कि मुख्य मंत्रीजी जिन घटनाओं का हवाला दे रहे थे, किसे मालूम था कि उसके दो चार दिन बाद ही वे ही मजदूर उनके सामने आजायेंगे और जिस वक्ता और पार्टी पर आक्षेप लगाया गया था उसी पार्टी का झंडा और निशान लेकर वे लोग आप के सामने आजायेंगे और कहेंगे कि आपका आश्वासन और वायदा पूरा नहीं हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि इस सिलसिले में मजदूरों के साथ कितना अन्याय हुआ है। एक ओर तो सरकार के मंत्रीजी के सामने फैसला होता है और यह कहा जाता है कि उनके खिलाफ बाकी न्यायालयों में जितने मुकद्दमें हैं वे सब वापिस ले लिये जायेंगे और दूसरी ओर जब उनका मतलब बन जाता है तब दूसरी ओर मिल मालिक बोर्ड ओफ डाइरेक्टर्स की मीटिंग बुलाकर यह रिज्योल्युशन पास करवा लेते हैं कि पाटनी को इस तरह का फैसला करने का कोई अधिकार नहीं था; इसलिये इनके द्वारा किया गया फैसला हमको मान्य नहीं है। जब आप डिटेन्शन एक्ट की दुहाई बार बार देते हैं तो क्यों नहीं हजारों मिल मजदूरों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले व देश में वस्त्र उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले इस मिल मालिक को इस प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के अन्तर्गत डिटेन किया जाता, ताकि हम यह तो समझें कि कम से कम एक केस में तो इस एक्ट का पालन ईमानदारी के साथ किया गया।

लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष ! कि उनके साथ रियायत बरती जा रही है। नतीजा यह हुआ कि सैकड़ों आदमी न सिर्फ भूखों मर रहे हैं बल्कि जब एक विभाग बन्द हुआ उसके बाद दूसरे विभाग की औरतें जब गेट पर गईं तो उनको जबरदस्ती रोका गया। उन्होंने कहा कि हम रुकना नहीं चाहतीं; क्योंकि हमारे सम्बन्ध में कोई हुक्म गेट पर नहीं लगा हुआ है। तो उनको रोकने के लिए पुलिस बुलाई गई, उन औरतों को धक्के दिलवाए गये और उन पर लाठियां चलाई गईं।

हमारे माननीय मंत्री भले ही महसूस न करते हों परन्तु मुझे यह महसूस होता है कि हम यहां सदन में बैठे २ सदन की कार्यवाही करते जायं, नीतियों पर बहस करते जायं और हमारे ही सामने हमारे भाई लेटे रहें–धूप में–और अपनी आवाज को जिसे न सिर्फ सरकार के सामने पेश ही किया है बल्कि सरकार ने उसे पूरा करने का आश्वासन दिया है, वह पूरा नहीं होने के कारण धूप में लेटे रहें; तो मैंतो यही कहूंगा कि यह सदन की जिम्मेवारी को नहीं समझने के तुल्य होगा। सदन के सामने इस तरह की कार्यवाही होती रहे यह न तो सदन के लिए शोभा की बात है, न हमारे लिए शोभा की बात है

और न उनके लिए शोभा की बात है जिन्होंने महीने डेढ़ महीने पहले इन लोगों को लम्बे आश्वासन दिये थे ।

यह नमूना है जो सरकार हमारे आम लोगों के हकों के बारे में बरतती है । मैं जानता हूं कि सरकार इसके सम्बन्ध में कानूनी अड़चनों के सिवाय कोई जवाब नहीं दे सकेगी; परन्तु सम्बन्धित मंत्रीजी बतायें कि जन सुरक्षा कानून और Preventive Detention Act के मातहत पाटनी को क्यों नहीं नजरबन्द किया गया, अगर सरकार मजदूरों के साथ किये हुए वायदों को पूरा करना चाहती थी ।

श्री अवनिकुमार:—माननीय अध्यक्ष ! मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विषय पर काफी वक्ता बोलना चाहते हैं; क्या हमें इसके लिए समय दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष:—No body catches my eyes.

श्री अवनीकुमार:—लोबी में बैठे इस बारे में तय कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष:—I do not see anybody rising and catching my eyes. Well. The time can be allotted only if the House agrees, both the parties agree. Otherwise it is not possible for me to allot time for any party. If the speakers stand and catch my eye, I will give them time. The utmost time which I will allot for this will be one hour. In this one hour if you all agree that such time is needed, then I shall see. I have received letters from various members that they have formed individual parties and all that; if the whips of the parties can agree to some allotment of time, then I will allow time in a limited number; otherwise it is not possible.

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष ! इस Appropriation Bill के बारे में मैं कुछ कहूं; इसके पहले मैं इस सदन को आपके जरिये अदब के साथ यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो राजस्थान के Finances हैं वह दुर्भाग्यवश ऐसे हाथों में पड़े हुए हैं कि जो इस हाउस के प्रति जिम्मेदार नहीं है; इसको मैं सिद्ध करके बताऊंगा ।

अध्यक्ष महोदय ! देखने में तो यह प्रतीत होता है कि राजस्थान के Finances हमारे Honble Finance Minister के हाथों में हैं, परन्तु वस्तु स्थिति यह है कि राजस्थान सरकार के ऊपर एक Additional Chief Secretary सेन्टर से लादा हुआ है; जो राजस्थान के Finances को चलाता है और मुझे जहां तक इत्तिला है मैं अर्ज करूंगा कि राजस्थान के Finances का जो कुछ काम है वही महानुभाव करते हैं । Additional Chief Secretary

साहब को जो सुविधाएं दी हुई हैं उनको देखा जाय तो मैं कह सकता हूं कि वह Additional Chief Secretary नहीं सुपर मिनिस्टर हैं। उनके रहने के लिए जो मकान दिया हुआ है–उन्हें Park House दिया हुआ है, जो हमारे मिनिस्टरों के बंगलों से अच्छा है, जिसमें दो तीन सरकारी ओफिसर रह सकते हैं। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे माननीय Speaker साहब को १–२ ओर्डरली दिये जाते हैं तो उन महानुभावों को आठ आठ Orderlies दिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष:--Individual incident can be avoided and you can refer to the general policy of the Government.

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)–मैं यह सब कुछ इसलिए बता रहा हूं कि यह सब चीजें हो रही हैं पर हमारे मिनिस्टरों के बस की बात नहीं है। Additional Chief Secretary साहब के पास आठ ओडरलीज हैं और इस तरह राजस्थान सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है। मामूली छुट पुट इधर उधर के प्रश्नों को निपटाना अलग बात है, बल्कि Policies चलाना तो Additional Chief Secretary साहब के हाथ में है। उनके पास ऐस Overriding Powers हैं जिन से हमारे यहां के मंत्री बेबस हैं।

अध्यक्ष महोदय ! मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान शिक्षा विभाग के बारे में कुछ बात सदन में चली थी। उस सम्बन्ध में बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जयपुर के जयपुर में Accountant General के ओफिस में चपरासी हैं उनको ८०) रु० तनख्वाह मिलती है, और शायद राजस्थान सेक्रेटेरियेट के जो चपरासी हैं उनको ४५) रु० मिलते हैं; परन्तु हमारे देश का चरित्र निर्माण करने की जिम्मेवारी जिन अध्यापकों पर है, जो हमारे देश का भावी निर्माण करने वाली संतान हैं, उनका चरित्र निर्माण करने वाले अध्यापकों को ५५) रु० से ज्यादा नहीं मिलता है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती ह। इस Appropriation Bill में ४०००००) रुपये की मांग रखते हुए यदि मंत्री महोदय यह बताते कि यह रकम हमारे अध्यापकों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए रखी गई ह तो खुशी होती; पर ऐसे रुपये को मेड़ता के बोर्डिंग में ७५०००) रुपये लगा दिये; इस तरह खर्च किया जाता है।

इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष ! आपके जरिये मंत्री महोदय को अर्ज करूंगा कि यदि वे राजस्थान शिक्षा विभाग के स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं, इसमें योग्य आदमी लाना चाहते हैं तो हमारे अध्यापकों का स्तर बढ़ाइये; जिससे आपके विभाग में जो Black marketing हो गया है वह दूर हो जाय। आज तक कभी अध्यापक लोग टयूशन फीस लेकर लड़कों को ऊंचे दर्जे में नहीं चढ़ाया करते थे ; वह अब हो गया है ? राजस्थान में यह एक एडमिटेड फेक्ट है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय ! मैं पुलिस विभाग के बारे में, वर्तमान पुलिस विभाग की नीति के बारे में अदब से यह अर्ज करना चाहता हूं कि पुलिस में सिवाय रिश्वत के कोई काम नहीं हो सकता । इसके दो नग्न उदाहरण म आपके सामने पेश करूंगा । एक स्थान पर दो काश्तकारों में किसी जमीन को लेकर झगड़ा था । एक काश्तकार ने निजामत में दरख्वास्त दी; उस बेचारे के कोई सिफारिश नहीं थी । उसने एस.डी.ओ.से चार दफे हुक्म हासिल किया, मगर कुछ नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष:—I should make one point clear. The criticism which is invited over the discussion on the principle of the Appropriation Bill is not about the general policy but the principle is that matters of policy enunciated in the Appropriation Bill, those items only should be criticised and the Hon'ble Members will confine themselves to this.

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़):—अध्यक्ष महोदय ! मैं कहना तो चाहता था लेकिन जैसा आपने कहा है मैं इन्डिविज्युअल रेफरेन्सेज नहीं दूंगा । पुलिस के बारे में यह कहना है कि पुलिस को जितनी सतर्कता बरतनी चाहिये थी नहीं बरत रही है । इसके अलावा पुलिस विभाग में कुछ ऐसे डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस को सुप्रिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस बना दिये गये हैं (आज से करीब ६ या ८ महिने पहले ही) जो दूसरे लोगों से काफी जूनियर थे । इसमें सरासर दूसरे लोगों के साथ अन्याय किया गया है और जो प्रोमोशन्स दिये गये हैं उनके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसकी जांच कराई जावे और जो लोग वाकई में हकदार हों उनको प्रोमोशन दिये जावें ।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय ! यह बात हमारे प्रान्त की कोई शोभा बढाने वाली बात नहीं है, हमारे राजस्थान में जनरल इलेक्शन्स हुए करीब ८,६ महीने हो गये हैं; लेकिन अभी भी हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नोमिनेटेड हैं और इस प्रकार से हैं कि कई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तो जातिवाद के प्रतीक हैं और कई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में जो फंड होते हैं उनको गलत तरीके से खर्च किया जाता है । किस प्रकार गलत तरीके से खर्च किया जाता है इसका उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूं । एक गांव में औषधालय होते हुए भी उसी गांव में किसी व्यक्ति विशेष का प्रभाव होने के कारण डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से दूसरा औषधालय खोल दिया जाता है । मैं यह कहूंगा कि जहां पर खोलना चाहिये वहां तो नहीं खोला जाता है । यह वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी नहीं तो क्या कहा जा सकता है । इसके अलावा अध्यक्ष महोदय ! राजस्थान में जब से हमारे....

श्री भैरूसिंह:—क्या कमर पर हाथ रख कर खड़े रहना पार्लियामेंटरी है ?

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ):—इसके अलावा जब से राजस्थान बना है और राजस्थान में सड़कों का जो निर्माण हुआ है उसके बारे में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा

कि राजस्थान की सड़कों की बहुत दुर्दशा है । राजस्थान की सड़कें जो नई बनती हैं वे साल भर में टूट जाती हैं । पुरानी सड़कों का यह हाल है कि उनको सुधारने पर ध्यान नहीं दिया जाता । यदि पुरानी सड़कों को सुधारा जावे तो सरकार यह नहीं बता सकती कि एक हजार मील या दो हजार मील सडक नई बनाई गई । इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि राजस्थान में नई सडके तभी बनाई जावें जब कि आप की आर्थिक स्थिति ठीक हो जावे । लेकिन पुरानी सड़कों की साथ ही साथ मरम्मत कराते रहें ।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय ! सिविल सप्लाईज के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह महकमा जो है यह तो अब आउट ऑफ डेट महकमा हो चुका है और इसको जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाना चाहिये । मुझे दुःख के साथ कहना अभी भी पड़ रहा है कि लाखों रुपया इस महकमें पर फालतु खर्च किये जाते हैं । चन्द आदमियों के स्वार्थ को सुरक्षित रखने के लिये परमिट सिस्टम रखा जाता है । इसलिये जिन चीजों का परमिट दिया जाता है वह बन्द होना चाहिये । मेरे इस रुख की इनकारी का इशारा किया गया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि सीमेन्ट जो बाहर से आता है उसमें से आधा सीमेन्ट व्यापारियों को बेचने के लिये खुली छूट है और आधा सीमेन्ट के लिये परमिट काटे जाते ह । अध्यक्ष महोदय! मैं इसके बार में इतना ही अर्ज करना चाहता था कि यह प्रणाली अब खतम करनी चाहिये । चूंकि आपने घंटी बजा दी है अतः मैं दो शब्द फाइनेन्स के संबन्ध में फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि वे राजस्थान के फाइनेन्स की तरफ ज्यादा ध्यान दें और एडिशनल चीफ सेक्रेट्री के सर पर सारा भार नहीं छोड़ दें । फाइनेन्स राजस्थान का हो, न कि दिल्ली का फाइनेन्स रहे । हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर इस संबन्ध में कोई कडा कदम भी आपको उठाना पड़े तो हम पूरा सहयोग देंगे ।

श्री कानसिंह:--माननीय अध्यक्ष ! हमारे सामने जो एप्रोप्रियेशन बिल है उसके संबन्ध में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कल जब हम एसेम्बली के सामने आये उस वक्त किशनगढ़ मिल के मजदूरों को राह में पड़े हुए देखा और उनसे पूछने पर यह भी मालूम हुआ कि किशनगढ मिल की इन्क्वायरी के बार में सेन्टर से एक कमेटी भी नियुक्त की गई है और वह अपनी तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगी । इसके बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब किशनगढ़ मिल के बारे में इन्क्वायरी हो रही है तो उसके दौरान में मजदूरों को मिल बन्द करके बेरोजगार कर देना, यह सर्वदा अनुचित है। सरकार को चाहिये था कि जब तक इन्क्वायरी की जा रही है तब तक मिल को चालू रखवाती और बाद में जो कुछ भारत सरकार का फैसला होता वह अलग बात थी । इसके अलावा कुछ मेरे पर्व वक्ताओं ने इस संबन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित किया है और मैं उन्हीं बातों को दौहरा कर सदन का समय लना नहीं चाहता ।

अब रही जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात । हमें अफशोस है कि कल हम मिल के मजदूरों के पिकेटिंग की वजह से यहां पर समय पर नहीं आ सके और देरी हुई । जब मजदूरों ने हमें रास्ता दिया तब हम एक घंटे के बाद आ

सके । बहुत से दोस्त जो पहले बेक डोर से आ गये थे और हम लोग जो मजदूरों के रास्ता देने पर आये, घन्टा सवा घन्टा देर में आने पाए; इस वजह से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम कल कुछ नहीं कह सके ।

सड़कों के बारे में राजस्थान की जो हालत है उसके बारे में सरकार का कुछ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इस संबन्ध में काफी कह दिया है; अतः मैं सिर्फ बीकानेर की सड़कों के बारे में एक दो शब्द कहना चाहता हूं । बीकानेर से नोखा और नोखा से सुजानगढ़ सड़क है । उसको बनाए हुए बहुत अर्सा हो गया है । इसके बाद कई मंत्रियों का भी दौरा उधर हुआ, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया है । यदि उन सडकों को आप जाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा और आपको इस बात की तसदीक हो जायगी कि उनकी कभी भी मरम्मत नहीं हुई । इस साल के वजट में कुछ रुपया भी रखा गया लेकिन क्या कारण है कि अभी तक इनकी मरम्मत शुरू नहीं हुई । हां, ऐसा हुआ है वक्तन फवक्तन जब कभी मंत्री महोदय उधर जाते हैं तो उस सड़क पर धूल तो अवश्य डाल दी जाती है; लेकिन मरम्मत का नाम निशान नहीं ।

उस धूल के डालने के मायने यह नहीं कि उस सड़क की मरम्मत कर दी गई है । वह तो ऐसी लगती है कि उसके डालने से कोई मतलब सिद्ध नहीं होता है ।

इसके अलावा एक योजना बीकानेर से गंगानगर तक सड़क निकालने की भी थी, लेकिन मालूम नहीं कि उसके बारे में यह देरी क्यों हो रही है ।

इसके अलावा पुलिस के महकमे की बाबत एक अर्ज है । मैं तो यह खयाल करता हूं, कि सरकारी पक्ष की तरफ से जो व्यक्ति बैठे हैं उनको भी इस बात का तजुर्बा है कि महकमा पुलिस के भी पी० एस० आई० और पी० आई, जो कि क्रिमिनल केसेज की सरकार की ओर से अदालतों में पैरवी करते हैं, वे बजाय उन मुकद्दमों को कामयाव कराने मुलजिमान से मिल जाते हैं और उनकी पैरवी करते हैं, मुलजिमान के वकील की तरह वे पी० एस० आई० और पी० आई० मुलजिमान की पैरवी करने लगते हैं । मैं चाहता हूं कि सरकार अपना ध्यान इस तरफ दे । क्या सरकार इस बात का आयन्दा उचित प्रबन्ध करेगी जिससे कि सरकारी मुकद्दमें पी० एस० आई० और पी० आई० की वजह से खराब नहीं होने पावें ?

इसके अलावा सरकार की ओर से कोई सालाना एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट शाया नहीं की जाती है; जिससे हम सरकार के महकमों के बारे में देख सकें कि हरेक महकमे में काम कैसा रहा और कैसा नहीं रहा । यदि अभी कोई रिपोर्ट इस प्रकार की तैयार की जा रही हो तो जल्दी से जल्दी शाया की जावे; ताकि पब्लिक देख सके । इस बात से अच्छी तरह सूचित किया जाय कि सालाना रिपोर्ट क्यों नहीं निकाली जाती ।

अब मैं एक दो शब्द फैमिन के बारे में कहूंगा । बीकानेर का जिला, बल्कि सारा बीकानेर डिविजन, नहरी इलाके को छोड़ कर, पिछले साल अकाल-

ग्रस्त रहा और इस साल भी बीकानेर डिविजन में, नहरी इलाके को छोड़ कर, तमाम का तमाम डिविजन तथा सुजानगढ तहसील अकालग्रत है। चन्द जगहों पर कहीं २ बारिश हो गई है तो वहां टिड्डियों का भी आक्रमण हो गया है और वह नहीं के बराबर है। अभी तक सरकार ने बीकानेर जिले को और चूरू जिले को, नोहर, भादरा तहसीलों को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया है। मुझे मालूम नहीं कि सरकारी मंत्री किन २ बातों पर विचार करते रहे हैं। क्या बीकानेर डिविजन को अकालग्रस्त घोषित किया जायगा या नहीं; इसके बारे में सदन के सामने मंत्री महोदय जिनका कि इस बात से ताल्लुक है वह साफ २ कहेंगे; ताकि आम लोगों को मालूम हो सके कि वहां लोग कैसी स्थिति में हैं। लोग जिला छोड़ कर गांव के गांव छोड़ कर जा रहे हैं। कम से कम मैं कहूंगा कि बीकानेर के जिले के गांवों में तो बहुत ही गरीब आदमी हैं और उनकी हालत खतरनाक है। वहां के लोगों के लिए, अकाल की तकलीफों को दूर करने के लिए तालाब कुए बनवाए जाय, ताकि लोगों का भयंकर कहतसाली का वक्त किसी तरह से निकल सके। इन थोड़े शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण कर लेता हूं।

श्री भैरूंसिंह (राजसमन्द रेलमगरा):—अध्यक्ष महोदय ! मैं सरकार की उस पोलिसी पर जो जागीर इलाकों के सरवेन्टस के साथ बरती जा रही है उसके बारे में बोलना चाहता हूं। वह पालिसी बहुत ज्यादा ऐसी है कि उनके हक में बहुत ही खराब है। मैं अर्ज करूंगा कि जागीर के लोगों को पेन्शन नहीं मिलती थी तो कम से कम कुछ जमीन तो बुढडे होने की हालत में दी जाती थी। अब न तो उनको कोई जमीन ही मिलती है और न पेन्शन ही मिलेगी। इसका मतलब यह है कि पुराने कॉन्ट्रेक्टस तोड़ दिये गये हैं; तो नये कॉन्ट्रेक्टस होने चाहिए और गवर्नमेंट की नीति में एक सा बर्ताव होना चाहिए। यह नीति कि वह पेन्शनेबल जोब नहीं था, ठीक नहीं है। अब वह सरकारी सर्विसेज में आ गये हैं इसलिए अब उनकी पेन्शनेबल जोब होनी चाहिए। सरकार इस नीति पर विशेष रूप से सोचे कि पहले उनके क्या कान्ट्रेक्ट्स थे, पहले उनको क्या फैसिलिटीज थीं। अगर उनको पेन्शन नहीं मिलती थी तो उनके लड़कों को नौकर रख लिया जाता था।

अब मैं सरकार का ध्यान जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, उस आइटम की तरफ आकर्षित करूंगा। मैं यह अर्ज करूंगा कि महकमा सेक्रेटेरियेट में हमारी कई मिसलें, कई सवालात ३-४ साल से नहीं निकल रहे हैं। यह बड़ी खराब हालत है। मैं अर्ज करता हूं कि मंत्री महोदय वहां के दफ्तरों में जाकर देखें कि क्यों नहीं मिसलें निकलती हैं। सिर्फ उनका डाइरेक्ट कोन्टेक्ट डाईरेक्टर्स या हैड ओफ दी डिपार्टमेन्ट से होता है, लेकिन नीचे के दर्जे के आदमी यानी क्लर्क्स या सुपरिन्टेन्डेन्ट यां एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर्स हैं उनकी भी रिपोर्टें देखें। कई ऐसी मिसलें आती होंगी जिनके अन्दर उन व्यक्तियों की जो कि डाइरेक्ट कोन्टेक्ट रखते हैं, पब्लिक से, उनकी रिपोर्ट्स को

डाइरेक्टर्स गायब कर देते हैं और अपनी रिपोर्ट्स पेश कर देत हैं, और मंत्री महोदय को इतना वक्त नहीं मिलता कि उनकी रिपोर्टों को देख कर निर्णय करें। उनका यह गलत तरीका है। उनको उनके नीचे के दर्जे के आदमियों की रिपोर्ट को भी देख कर निर्णय करना चाहिए। फिर भी यह पॉलिसी ज्यादा अख्तियार की जाती है कि डाइरेक्ट हैड ओफ दी डिपार्टमेन्ट से ताल्लुक रखा जाता है और उसका जवाब दे दिया जाता है और उसी पर निर्णय कर लिया जाता है। उसमें कई त्रुटियां रह जाती हैं अतः इस तरीके से निर्णय नहीं होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि सेक्रेटेरियेट में ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि इन्क्वायरी ओफिस में जाने के बाद ही मालूम हो जाय कि उनका मामला किस जगह पेन्डिग है। कई बार मुझे जाने का मौका मिलता है। डिपार्टमेन्ट इतनी दूर होते हैं इन्क्वायरी ओफिस से कि ३,४ घंटे से जवाब मिलता है। तो एक एक इन्क्वायरी ओफिस कायम कर दिया जाय; हरेक डिपार्टमेन्ट में से; ताकि वहां से पता लग जाय कि क्या पोजीशन है, क्या तरीका है। तो यह चीज साफ हो जाय, ताकि हम लोगों को इस तरह से भटकना नहीं पड़े। दूसरों की क्या हालत होगी जबकि हम लोग जाते हैं तो हमारा भी जल्दी एप्रोच नहीं होता है और अभीष्ट चीज हमें जल्दी नहीं मिलती है।

इस तरह से और भी उस नीति के लिए स्पष्टीकरण करेंगे कि हरेक चीज को बहुत पेन्डिग रखा जाता है। डॉक्टर्स के ग्रेड्स को इतने पेन्डिग रखे गये हैं कि उन लोगों को मालूम ही नहीं होता कि वह वास्तव में चले जायं या वहीं रहें। पेन्डिग का स्टेज करीब करीब खत्म होना चाहिए, मेरा ऐसा खयाल है। डाक्टरों के ग्रेड्स के मुताल्लिक भी सम्बन्धित मंत्री महोदय प्रकाश डालें कि डॉक्टर्स की सी० एस० का निर्णय अभी तक क्यों नहीं हुआ है, इसके बारे में गवर्नमेन्ट की क्या पालिसी है। वह यह भी बतायेंगे कि वह किस लिए अब तक नहीं दिये गये और कब तक दिये जाने की संभावना है।

अब में थोड़े से शब्दों में फैमिन के विषय में भी कह दूं। मैं इतना ही अर्ज करूंगा कि फैमिन में जो सहायता दी जाती है वह सिर्फ पहली बरसात देख कर ही रोक दी जाती है। पहली बरसात से अनाज नहीं पैदा हो जाता है। एग्जीक्युटिव लोगों का यह तरीका होता है, यह नीति होती है कि कम से कम लोगों को जब तक खाने को नहीं मिलता है, और नेक्स्ट फसल नहीं आजाती हैं तब तक फैमिन की सहायता चालू रखी जाती है और उन लोगों को काम दिया जाता है।

आखीर, में, मैं ट्रान्सपोर्ट के विषय में अर्ज करूंगा। ट्रान्सपोर्ट में जो आर० टी० ओ० हैं उनका निर्णय किस ग्राउन्ड पर होता है। वह मंत्रीजी इस वक्त यहां वर्तमान नहीं हैं। हमारे यहां गाड़ियों पर टेक्सेशन कितना है। फाइनेंन्स कमीशन की रिपोर्ट से मालूम होगा कि हमारे यहां हेवियेस्ट टेक्सेशन है। इसके अतिरिक्त कई आर० टी० ओ० ऐसे रखे गये हैं जो इसके लिए

कोम्पीटन्ट नहीं हैं । इतनी गाड़ियों के परमिट दिये जाते हैं कि जिनका कोई क्राइटेरिया नहीं । इसके लिए कोई डेफिनिट पोलिसी होनी चाहिए । यदि यह फ्री कर दिया जाय, जैसे कि हरेक आदमी को, अपने कन्स्टीटयूशन के अन्दर आजादी है कि अपने प्रोफेशन को चला सकता है तो वह त्रुटियां जो होती हैं नहीं होंगी कि किस तरह से आर० टी० ओ० की जो मरजी होती है उतने परमिट दिये जाते हैं । इससे अनहेल्दी कम्पीटीशन हो जाता है । मैं नाथद्वारा और कांकरोली की मोटर सर्विसेज के बारे में कहूंगा कि वहां इतनी इजाजत दे दी गई है कि वह गाड़ियां नहीं चलाते हैं और गाड़ियां पड़ी रहती हैं, कम्पीटिशन में लोस होने की वजह से नहीं चलाते हैं । इस प्रकार का अनहेल्दी कम्पीटिशन नहीं हो इसका ध्यान रखा जाय । इसकी मिनिमम लिमिट होनी चाहिए । इससे सारे मुसाफिरों को भी आराम मिलेगा और यह अनहेल्दी कम्पीटिशन बन्द हो जायगा ।

श्री गोपीलाल यादव:—माननीय अध्यक्ष, ! मुझे एप्रोप्रियेशन बिल पर बोलते समय दो चार बातें गवर्नमेन्ट की नीति के संबन्ध में कहनी हैं । सब से पहले तो मैं इस चीज को हाउस के सामने रखना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट, प्रजातन्त्र की नींव जिन उसूलों पर डालनी चाहिये उनपर नहीं डाल रही है और जब सरकार प्रजातंत्र के उसूलों का खातमा कर रही है तो इस हाउस द्वारा उसको रुपयों की मदद देना उचित प्रतीत नहीं होता ।

सब से पहले फिर दुबारा उन म्युनिसिपल कमेटियों की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिनका चुनाव अभी हुआ है । उनके चुनाव के बाद प्रजातंत्र का कायदा है, किसी भी सफल गवर्नमेंट का कायदा है कि जो कुछ इल्जाम उन पर लगाये जायं उनके इल्जामात का जवाब उनसे पूछा जाना चाहिये और पूछने के बाद एक्शन लिया जाना चाहिये । लेकिन इस प्रजातांत्रिक कहलाने वाली गवर्नमेन्ट ने म्युनिनिपल कमेटियों के चुनाव के बाद भी किसी जगह की कमेटी को नहीं पूछा कि हमें यह शिकायत है, इसका जवाब दो । जवाब देने के बाद किसी के प्रति एक्शन नहीं लिया गया । कुछ म्युनिसिपेलिटियां खुद मरजी से निहायत अच्छे ढंग से चल रही थीं, उनको तोड़ दिया गया । आज जो चीजें हम यहां जिस पैमाने पर देख रहे हैं उन चीजों को बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और करने का प्रयत्न किये जा रहे हैं । अभी थोड़े दिन हुए वोट आफ नो कानफिडेन्स जब सरकार के खिलाफ पेश किया तो हमारे मित्रों ने सेन्टर में जाकर यह प्रयत्न किया कि ओपोजिशन की मिनिस्ट्री न बनने दी जाय; यदि नो कोनफीडेन्स मोशन पास भी होजाता है तो राजप्रमुख का रूल कायम कर दिया जाय । प्रजातांत्रिक कायदों के अनुसार चलने वाली सरकार के लिए यह शोभा की बात नहीं कही जा सकती । मेरे कहने का मतलब यह है कि जब सरकार प्रजातंत्र को खत्म करने जा रही हो और दूसरी ओर सेन्टर से ऐसी गलत बातें करवाने के लिए प्रयत्न कर रही हो तो ऐसी सरकार को हमें रुपयों से मदद नहीं देनी चाहिए ।

दूसरी चीज जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आज कुछ व्यक्ति प्रजातंत्र में पार्टी टिकट पर खड़े होकर आते हैं, कांग्रेस मेन के खिलाफ प्रोग्राम रखते हैं और उन लोगों को भी जनता वोट देती है ।

कम्युनिस्टों के खिलाफ लोगों को शिकायत है कि वे ओपोजिशन को तलवार के जरिये खत्म करना चाहते ह परन्तु मुझे सरकार के खिलाफ शिकायत है कि वह अपोजिशन को रिश्वत देकर दबाव से और पैसे से खत्म कर रही है यह प्रजातंत्र के लिए अच्छी चीज नहीं है ।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय दो-तीन बातें और निवेदन करना चाहता हूं। सब से पहले रेवेन्यु विभाग की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । मेरी यह मान्यता है कि रेवेन्यु विभाग की सहायता के बिना पुलिस लॉ एन्ड आर्डर को कायम नहीं रख सकती। लॉ एन्ड आर्डर की सारी जिम्मेवारी रेवेन्यु विभाग पर है। मुझे कइ पुलिस अफसर मिले, उनका कहना है कि पटवारी आदि कागजों में गलत इन्द्राज कर लेते हैं खेत किसी का है और किसी के नाम इन्द्राज कर लिया जाता है; वह सारी जिम्मेवारी पुलिस पर पड़ती है। नीचे की अदालतों से लेकर ऊपर की अदालतों तक में रेवेन्यु के पटवारी गलत इन्द्राज कर-देते हैं । कई सालों तक ऐसे इन्द्राज करते रहे हैं उन अफसरोंके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही आजतक नहीं की गई और सरकार कभी यह जानने की कोशिश नहीं करती कि मामला क्या है ? आज कोई गरीब आदमी अपनी खेती, बगैर पट्टे के किसान को नहीं दे सकता। आज हम इस चीज को प्रोत्साहन द रहे हैं कि जो कोई भी जिस किसी खेत में खड़ा हो गया हो उसके लिए उसे कह दिया कि तुम कह देना कि यह खेत मझे बता दिया गया था, दो गवाह दे देना; पट्टा तुम्हारा हो जायगा। रेवेन्यु डिपार्टमेंट को चाहिये कि वह किसानों को, जमीदारों को, पटवारियों को और तहसीलदारों को हिदायत कर दे कि किसानों को तभी पटटेदार समझा जायगा जब कि उसके पास टिनेन्ट्स प्रोटेक्शन आर्डिनेन्स के मुताबिक पट्टा हो। इस प्रकार रोज लड़ाइयां होती है, रोज बेईमानी करते हैं। हमारे अफसर लोग ऊटपटांग जमीनों का इन्द्राज कर देते हैं और लॉ एन्ड आर्डर की स्थिति पेचीदा हो जाती है। जिन पटवारियों के खिलाफ यह लिखा गया उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, इस चीज को रोकने का कोई तरीका और कोई चीज नहीं हो सकी। इसके अलावा दूसरी शिकायत जो है, वह यह कि हमारी सरकार में दिल बिल्कुल नहीं है । मैं इस विषय में एक छोटी सी बात आपके सामने बताना चाहता हूं। मेरे गांव का ही किस्सा है। मेरे गांव में ४०० घर जो हरिजनों के थे वे जून के महीने में जल गये। किसी के पास न कपड़ा बचा, न खाने के लिए अन्न, न रहने के लिए झोंपडा आदि; सब जल गये । ऐसी स्थिति देखकर मैंने आकर मुख्य मंत्री महोदय को कहा कि उन लोगों की सहायता कीजिये। मुख्य मंत्री ने जवाब दिया आप मुझे कल फोन पर याद दिला देना मैं अवश्य सहायता करूंगा। दूसरे दिन मैंने फोन भी किया कि इनकी सहायता के लिए इन्तजाम किया जाय। सात दिन बाद जब मैं गांव को जाने को था तो मैंने सोचा कि फिर से मुख्य मंत्री महोदय को पूछ लिया जाय कि उन्होंने उन हरिजनों की सहायता के लिए क्या किया; तो मैंने फोन से बातचीत की। मैंने सोचा कि जब मैं गांव जाऊंगा तो मुझे लोग अवश्य पूछेंगे कि हमारे लिए क्या किया तो मैंने जो जवाब उनसे यानी मुख्य मंत्री से प्राप्त किया वह आप यदि सुनेंगे तो रोने लगेंगे । मुख्य मंत्री ने कहा, "यादव साहब मुझे अफशोस है कि मुझे वह बात याद नहीं रही। मझे अभी एक पत्र लिखकर भेज दीजिये। माननीय अध्यक्ष! जब एक गांव

के ४०० घर जल गये और मुख्य मंत्री महोदय को याद दिलाया गया तो जवाब मिलता ह कि मुझे याद नहीं रहा। जब मैंने लिखकर भेज दिया तो भी उनको लिखने के बाद भी वह बात याद नहीं रही, तो फिर मैं रेवेन्यु मंत्री से व रेवेन्यु सेक्रेटरी से मिला। उन्होंने कमिश्नर साहब को चिट्ठी लिखी कि जो रुपया तकावी का बचत में है, उन लोगों को दे दिया जाय। वहां दो हजार रुपया तकावी का था वह और कामों में खर्च होगया और आजतक उस गांव के आदमियों को एक भी पैसा तकावी में से नहीं मिला। आज जब गवर्नमेन्ट के पास पैसे की कमी है, उसको अपने खर्च चलाने के लिए रुपये की जरूरत है तो वह हाउस के सामने इस प्रश्न को लाती है; पर उस वक्त जब कि ४०० घर जल कर राख होगये थे उस वक्त सरकार रुपयों का इन्तजाम क्यों नहीं कर सकी ? वे लोग नहीं चाहते थे कि उन्हें मुफ्त में रुपया दिया जाय, उन्होंने कहा था कि हमारे पास खेती करने के लिए औजार नहीं हैं, वे सब जल गये, बीज जल गया उनको २००), ३००) रुपया लोन दिया जाय ताकि वह हल वगैरह खरीद कर खेती कर सकें; परन्तु उनको कुछ भी नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय ! क्या इस तरह की गवर्नमेन्ट को एक गवर्नमेन्ट समझा जाय ? इसके अलावा दूसरी चीज ह, जो शिकायत है वह गवर्नमेन्ट के टेक्सशन से सम्बन्ध रखती है। आज टेक्सेशन का बोझा गरीबों पर है। अमीर एक पैसा भी राजस्थान गवर्नमेंट को चलाने के काम में नहीं देते। यह ठीक है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, कपड़े आदि पर, उससे एक आध पैसा देते हैं। लेकिन जहां १५-१६, करोड़ रुपया गरीब किसानों से लेते ह दूसरे लोगों से, भी कुछ लें और गरीब किसानों का बोझा कम करें; चूंकि इलेक्शन्स वगैरह में पैसे की जरूरत पड़ती है और वह अमीरों से आता है तो उस तरफ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं मालूम पड़ती कि हम टेक्सेशन को समान रूप से रखें।

मुझे अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो अर्ज करना है वह है पंच वर्षीय योजना के सम्बन्ध में। पंच वर्षीय योजना बनाई गई। नदी, घाटी बांधने की योजना उपयोगी है। किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि इससे ३० साल से पहले कोई फायदा होने वाला नहीं है। गरीब किसानों को तो उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। गरीब किसान का तो उसकी पांच बीघा जमीन से ही हित होगा। भाखरा डेम और चम्बल वेली से उसके पास पानी नहीं पंहुचेगा। यदि उसके लिए एक कुआ खुदवा दिया जाता तो वह उससे काम चला सकता था, अपना गुजारा कर सकता था। पहले जो इसके लिए तकावी दी जाती थी वह भी बन्द करदी गई। थोड़ी तादाद में ऐसी रकम दो हजार की रखी गई है जिसका वे उपयोग भी नहीं कर सकते। जो छोटी २ गवर्नमेन्ट्स पहले थीं वे यह करती थीं कि दो लाख रुपया किसानों को इस कार्य के लिए जो दे दिया जाता था, उससे एक लाख रुपया हर साल वापिस आ जाता था और वह रुपया फिर किसानों को दे दिया जाता था। इस तरह हर साल रकम चलती रहती थी। गवर्नमेन्ट सिक्योरिटीज पर रुपया दे रखा था। गवर्नमेन्ट इससे दिवालिया नहीं बन जाती थी और इस तरह पांच सात साल में उनकी हालत सुधर जाती थी। किन्तु, अध्यक्ष महोदय, इनमें से एक भी चीज करना हमारी वर्तमान सरकार द्वारा जरूरी नहीं समझा गया।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो नायब तहसीलदार हैं, तहसीलदार हैं वे कोई काम नहीं करते, बैठे रहते हैं। नायब तहसीलदार सिवाय इसके कि वह गिरदावरी के लिए जायं, और कोई काम नहीं करते। तहसीलदार बैठे रहते हैं। माननीय अध्यक्ष, जहां हमें रुपयों की बचत करनी है वहां हम नये २ अफसर रखते जा रहे हैं और पुराने अफसरों से काम नहीं लेते। इस प्रकार गैर जरूरी खर्चा बढ़ाते जा रहे हैं। हर तरह से गवर्नमेन्ट गलत रास्ते पर जा रही है। अगर ऐसी गवर्नमेन्ट को और रुपया दिया जावेगा तो वह व्यर्थ और बर्बाद करने के लिए ही होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री श्रीदास गोयल:—अध्यक्ष महोदय! सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट्स जो रखी गई हैं उनके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक उनकी मंजूरी का सम्बन्ध है उसके विरोध में मुझे कुछ नहीं कहना है। मेरी यह मान्यता है कि एक अच्छी गवर्नमेन्ट के लिए यह जरूरी है कि वह बच्चों की प्राइमरी शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकों के रोटी और कपड़ों के सवाल को हल करे और इसके लिए लोन्स तक लिये जाने चाहिए और यदि इस प्रकार से कार्य करे तो वह गुड गवर्नमेन्ट कहला सकती है। मैं मानता हूं कि मौजूदा सरकार जितना काम कर रही है, पुराने जमाने की बनिस्पत अधिक सचेतता से काम कर रही है; फिर भी उसे पूर्णतया संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता। हमें पूर्णतया संतोषप्रद कार्य करने के लिए सरकार को समय भी देना होगा। कुछ ऐसी अहम कमियां है; जिन पर तत्काल ही गवर्नमेन्ट को ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे प्राइमरी एज्युकेशन है। हालत यह है कि कई स्कूल्स ऐसे हैं जहां छात्रों के बैठने के लिए मकान नहीं हैं। बरसात में वे स्कूल्स बन्द रहते हैं और सर्दियों में छुट्टियां कर देते हैं। आप ईशरदा के स्कूल को ही ले लीजिए। २॥ हजार की आबादी है। दो कमरे भी वहां स्कूल में नहीं हैं। मैं परसों वहां गया था। अध्यापकों से बात हुई, कहने लगे, क्या करें? किसानों के पास पांच बीघा जमीन भी नहीं है। सवाई माधोपुर में किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन लेकर एक फार्म बनाया गया। इस फार्म को सेल्फ सपोर्टिंग बनाया गया, ताकि भविष्य में वह किसानों का हित कर सके; किन्तु मुझे दुःख है कि एक हजार रुपये का बैल कुछ काम करने वालों की गल्ती से या लापरवाही से सींग में रस्सी उलझाकर मर गया। गवर्नमेन्ट की तो लाईबिलीटी हो गई। बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको दो दो सौ, तीन तीन सौ रुपये की तनख्वाहें मिल रहीं हैं किन्तु वे चार चार छः छः महीने से घर पर बैठे हुए हैं। तनख्वाहें उनके पास घर पर पहुंच जाती हैं। क्यों नहीं इस ओर ध्यान दिया जाय? जो रुपया हमारा वर्बाद हो रहा है उसे क्यों नहीं रोका जाय? जिन लोगों को आठ आठ सौ की तनख्वाहें मिल रही हैं और चूंकि वे आर० ए० एस० के सिलेक्शन में नहीं आये और उन्हें तहसीलदार बनाया गया जब कि उन्हीं जगहों पर १५० रुपया का तहसीलदार काम कर सकता था। क्यों उन जगहों के लिए अधिक तनख्वाहें खर्च करनी पड़े। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें खास तौर से अध्यापकों की तनख्वाहों पर भी ध्यान देना है, विचार करना है। इन्टीग्रेशन होने पर भी उनके ग्रेड्स

में पहले से कोई फर्क नहीं हुआ है जब कि आज मिडिल पास या पी० टी० सी० ट्रेन्ड अध्यापक के परिवार का पालन पोषण कम से कम भी ७०, ८० रुपयों के बगैर नहीं हो सकता । छोटी छोटी तनख्वाहों में कोई भी भारत का नवयुवक एक सफल नागरिक नहीं बन सकता ।

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

इन शब्दों के साथ में निवेदन करना चाहता हूं कि अधिक सचेतता बरती जाय ।

श्री मोहम्मद इब्राहिमः–जनाबे सदर, महकमे जात के सुधारने की काफी कोशिश की जा रही है । मिनिस्टर साहब दौरे भी करते हैं । कोशिश में लगे हुए हैं; फिर भी आप देखेंगे कि पटवारियों की वजह से किस तरह से राजस्थान की ९० फीसदी आबादी देहातों में पिस रही ह और अभी तीन चार साल से उस आबादी पर जो नई मुसीबतें आ रही हैं उसको कोई छिपा नहीं सकता । उस आबादी का खास तौर से ध्यान रखना है जहां अपने बच्चों के रोटी और कपड़े का फिक्र है, अनाज के पकते ही वह आबादी फिक्र करती है कि कुछ रिश्वत के लिए भी साथ साथ रुपये रख लेना है क्योंकि पटवारी कस्टम और पुलिस वालों को देना पड़ेगा । हम यहां बैठ कर बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और बिल बनाते हैं । मगर जब इस तरफ ध्यान दिलाया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा यह किया जाता है कि एक कमेटी बनादी जाती है, जिसमें चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और दो चार और साहेबान रखे जाते हैं; परन्तु उस गरीब जनता की भलाई के लिए कुछ नहीं किया जाता । साल भर में एक आध केस रिश्वत का पकड़ लिया गया तो क्या हुआ । जब हमारे सामने यह चीज मौजूद है कि एक ४० रुपया पाने वाला पटवारी है उसके पास २० हजार की मिलकियत है वह कहां से आगई एक सवाल और है कि एक सप्लाई का मुलाजिम जिसकी तनख्वाह १५०) रुपया माहवार है उसके पास पचास हजार की मिलकियत कहां से आगई ? पहले जमाने के एक राजा का किस्सा मशहूर है कि जब कोई आदमी उसके वहां मुलाजिमत शुरू करता था तो उसकी जायदाद की विगत लिखी जाती थी, उसकी मिलकियत लिखी जाती थी । और जब वह मुलाजिम मुलाजमत छोड़ देता या इस्तीफा दे देता था तो उस दिन उसकी जायदाद और मिलकियत फिर लिखी जाती थी । यदि उसके पास उसकी मुलाजमत की हैसियत से एक पैसा भी ज्यादा होता तो उसको जब्त कर लिया जाता था । तो क्या हमारी हुकूमत इस तरह नहीं कर सकती ? जब हम पांच २ साल से चिल्लाते रहते हैं कि पटवारी और कस्टम महकमे के मुलाजिम रिश्वतें ले रहे हैं तो भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता और कहा जाता है कि ऐसा नहीं हो रहा है । कस्टम वालों ने तो इतना जुल्म मचा रखा है कि काश्तकार हल लेकर जाता है तो कहा जाता है कि आप गैर इलाके से आये हैं । जब तक उससे १० रुपया नहीं ले लेते तब तक उसे निकलने नहीं देते ।

दस मील के बोर्डर में रहने वाले एक काश्तकार को यदि कहीं दो बैल ले जाने होते हैं तो भी उससे १० रुपये मांग लिये जाते हैं । अगर कोई औरत खारी में अनाज भर कर कहीं जाती है तो उससे भी रिश्वत मांग ली जाती है और सरहद की तरफ रहने वाले यदि १० मील के एरिया में अपनी बकरियें, भैंसे

या गायें इधर से उधर ले जाते हैं तो उन्हें भी माफी का रवन्ना कटवाना पड़ता है। आपके गांवों में अनपढ़ आबादी रहती है उन्हें ये लोग तरह तरह से तंग करते हैं। आपके कस्टम विभाग ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। आपने पटवारियों की तरफ तवज्जोह नहीं दी। तकावी या और किसी तरह से आप यदि रुपये देते हैं तो हर बार रिश्वत देकर ये रुपये लेने पड़ते हैं। आप शरणार्थियों को मदद करने के लिये रुपये देते हैं तो बार बार क्यों देते हैं? इस तरह उनको बार बार रिश्वत देनी पडती है। देना है तो एक बार ही उन्हें क्यों नहीं दे देते ताकि उनको बार बार तो रिश्वत नहीं देनी पड़े। आज पांच साल हो गये हैं, पर यह फैसला नहीं हुआ है कि आप मेवों को क्या देंगे। जो देना है वह जल्दी क्यों नहीं दे देते? अगर उनको नहीं बताना है तो साफ जवाब दे दें कि हम नहीं बता सकते।

आपके मंत्रियों के दौरे होते हैं, सरकारी अफसरों से बातचीत होती है, कलेक्टर, तेहसीलदार आदि हर दम उनको घेरे रहते हैं, उनके रहते हुए रिआया उनकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर सकती। आपको प्राइवेट तौर पर ठहरना चाहिये, प्राइवेट तौर पर लोगों से मिलना चाहिये ताकि आपको सच्चा वाकया मालूम होसके। पंजाब के मिनिस्टर प्राइवेट तौर पर ठहरते हैं और लोगों से मिलकर उनके सुख-दुःख की बातें पूछते हैं। यही तरीका आपका भी होना चाहिये; वरना आपके दौरों से कोई फायदा नहीं होगा।

आज कई इलाकों में पानी की बहुत कमी है। यदि आपको कुए बनाने हैं तो जल्दी से बनवाइये। पंजाब में इस मुतल्लिक एक काश्तकार को ६००) रुपयों की मदद दी जाती है और साल भर में कूए तैयार मिलते हैं। अगर आप भी इसी तरह से काम करेंगे तो मुसीबत से बच जायेंगे। मैं गुजारिश कर रहा था कि इन महकमों की तरफ किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। इस तरफ आपका ध्यान होना चाहिये। जब तक ध्यान नहीं देंगे, पब्लिक का भला नहीं होगा।

तालीम के सिलसिले में बहुत कुछ कहा जा चुका है। बहुतसी जगह ऐसी हैं जहां पर स्कूलें दरख्तों के नीचे होती हैं और दरख्तों के नीचे बच्चे पढाये जाते हैं। मैं अपने कामा के बारे में ही कहता हूं। कामा में हाई स्कूल हुई है पर उसके लिये कोई इमारत सरकार ने नहीं बनवाई है। बच्चे नीम के पेड की छाया में पढते हैं। यह एक अहमियत की जगह है, जहां १३००० की आबादी (आसपास की आबादी मिलाकर) है; कुछ न कुछ इमदाद तो आपको करनी ही चाहिये।

(श्री अध्यक्ष ने घंटी बजाई)

श्री उपाध्यक्ष: मैं पांच मिनिट और बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष:-आप १ मिनिट और बोल सकते हैं।

श्री इब्राहिम (जारी रखते हुए):-मैं अर्ज कररहा था कि इसी तरह से बहुत सी स्कूलों की हालत हो रही है। कस्वा पहाडी की एक स्कूल तो ऐसी है जिसके नीचे किसी दिन बच्चे दब कर मरेंगे। भरतपुर की स्कूल को ही लीजिये। वहां पर जुम्मा मस्जिद में बच्चे पढाये जाते हैं। जुम्मा मस्जिद में बच्चे नहीं पढाये जाने चाहिये क्योंकि यह एक इबादत की जगह है। आपको तालीम के बारे में एक जबर्दस्त प्रोग्राम बनाना चाहिये और उसके मुताबिक चलना चाहिये।

कल ही एक दोस्त ने कहा था कि उर्दू जुबान हिन्दुस्तानियों की जबान नहीं है। उनको मालूम होना चाहिये कि वह जुबान हिन्दुस्तान में ही पैदा हुई थी और उसे हिन्दु और मुसलमानों ने मिल कर बनाया था। आज बहुत अधिक हिन्दु इस जुबान को बोलते हैं। कई सूबों में इसी जुबान को समझने वाले अधिक हैं। हमारे गांधीजी, तेजबहादुर सप्रू, नेहरुजी जैसे लोग इस जुबान को बोलने वाले और इसमें लिखने वाले थे। कल एक मेम्बर ने मिसाल दी थी कि यहां के दो सदस्यों का पाकिस्तान बनाने में हाथ था। मैं गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान बनने के २५ वर्ष पहले से हम लोग कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। हमने हिन्दुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की आजादी व हिफाजत के लिये काम किया है। आज भी मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभा पार्लियामेन्ट में मिल कर काम कर रही ह। पुराने जमाने में भी राना सांगा के साथ मिलकर हमने मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। काश्मीर में ब्रिगेडियर मोहम्मह इस्माल ने हिन्दुस्तान के लिये अपनी जान देदी; क्या वह मुसलमान नहीं था; और भी कई मुसलमानों की इसी तरह की मिसाल आपको मिल जायगी। यदि आप बफादारी चाहते हैं, और बफादार हैं तो चलिये काश्मीर के मोर्चेपर और सीने पर गोलियें खाइये; हम आपका साथ देंगे। मैं सीना ठोक कर मरते दम तक पाकिस्तान के खिलाफ लडता रहूंगा।

श्री मोतीलाल:—अध्यक्ष महोदय, जो डिस्कशन हो रहा है उसके बारे में मैं पहले आप से राय लूंगा। हाउस में जब डिस्कशन होता है तब प्रायः गवर्नमेन्ट पॉलिसी या नीति पर कुछ कहा जाता है। जब इस प्रकार के भाषण हाउस में होते हैं उस समय गवर्नमेन्ट के सदस्यों को यहां पर मौजूद रहना चाहिये और इन सारी बातों को सुनना चाहिये और उनका जवाब सोचना चाहिये। लेकिन देखा यह जाता है कि जब डिस्कशन होता है तो मिनिस्टरों की बेन्चें खाली पड़ी रहती हैं। जिस जिस डिपार्टमेन्ट से ताल्लुक रखने वाले प्रश्न होते हैं तो उन विभागों के मिनिस्टरों को मौजूद रहना चाहिये। और जब गवर्नमेन्ट की पोलिसी के बारे में डिस्कशन होता हो तब तो सभी मंत्रियों को हाजिर रहना चाहिय और जवाब के लिये तैयार रहना चाहिये।

मैं इस बिल के प्रिन्सिपल के ऊपर दो तीन पोइन्ट्स पर कुछ अर्ज करूंगा। सब से पहली बात तो यह है कि गवर्नमेन्ट के डिपार्टमेन्ट्स में जो जो खर्चा किया जाता है या इन्वेस्टमेन्ट होता है उसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि इस इन्वेस्टमेन्ट से साधारण ब्याज जितना होना चाहिये, उस रकम का उतना रिटर्न तो मिल जायगा कि नहीं। गवर्नमेन्ट की तरफ से सरकारी अफसरों के रहने के लिए जो बिल्डिंग्ज़ बनाई जाती हैं और उनमें जितना इन्वेस्टमेन्ट होता है उसके अनुसार उन अफसरों से उतना ही रेन्ट वसूल होता है या नहीं, जितना कि उस रकम का साधारण ब्याज होता है इस बात का ध्यान रखना चाहिये। पर ऐसा नहीं होता सरकार को रेन्ट रकम की ब्याज के बराबर कभी नहीं मिलता। इसलिये सरकार को चाहिये कि अफसरों के लिये मकान बनाने में पैसा खर्च न करके हाउस रेन्ट के तौर पर उनको कुछ अलाउन्स दे देना चाहिये। इसके अलावा एक बात और भी है कि मकान बनवाने के बाद साल डढ़ साल तक वे मकान यों ही खाली पड़े रह जाते हैं, उनमें कोई

आकर नहीं रहता और वह ब्याज यों ही चला जाता है। बहुत बार तो यहां तक भी देखा गया है कि मकान में रहने का ओर्डर हो जाता है, फिर भी कई दिनों तक कोई आकर नहीं रहता। इस तरह से रुपयों का गवर्नमेन्ट के अफसरों के कारण मिसयूज़ होता है। रुपयों का एक्चुअल रिटर्न मिले ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए।

दूसरी बात मुझे कहनी है रिलीफ के बारे में। जैसा कि यादवजी ने कहा था कि ४० घर जल गये पर कोई रिलीफ नहीं मिला। यह बात सच्ची है। कई मकान जल जाते हैं, डाके पड़ जाते हैं, चोरियें हो जाती हैं; उनको रिलीफ समय पर नहीं मिलती। जिनके यहां डाके पड़ जाते हैं वे यदि रिलीफ मांगते हैं तो उन पर उल्टी आफत आ जाती है। मकान जलते हैं तब तो कुछ रिलीफ मिल भी जाती है पर जब डाके पड़ जाते हैं या चोरी हो जाती है तो पुलिस जिस तरह से घरवालों को तंग करती है वह आप सब जानते हैं। सरकार उस के बारे में कोई उपाय नहीं करती; यह शर्म की बात है।

मैं कई उदाहरण दे सकता हूं कि चोरी हुई और उसके बाद चोरी का माल भी पकड़ा गया, फिर भी माल साल डेढ़ साल तक वापिस नहीं लौटाया जाता; हालांकि साबित हो जाता है कि माल इसी व्यक्ति का है। दो-ढाई साल बाद माल लौटाया जाता है। यदि ऊंट आदि चोरा जाता है तो साल भर तक उसको (मुस्तगीस को) ऊंट लेकर पेशियों पर जाना पड़ता है। एक तो चोरी होती है और फिर माल पकड़ा जाने पर उसको इस कदर परेशानी उठानी पड़ती है।

हमारे यहां कहावत है कि जिसके पास ज्यादा रुपया है उसी के पास रुपया जाता है। यही पोलिसी गवर्नमेन्ट की है। हालांकि जो बड़े अफसर हैं उनको अच्छी pay मिलती है फिर भी सरकार उन्हीं को help करती है, T. A., D. A वगैरह उनको ज्यादा मिलता ह। वास्तव में आज जरूरत इस बात की है कि चपरासी वगैरह low paid staff के स्तर को ऊंचा उठाया जाय। कई मिसालें मिलेंगी कि चपरासियों आदि को पहले से भी ज्यादा ड्यूटी होते हुए भी उनसे अफसर लोग घर की रसोई करने, बच्चों के खिलाने और सब्जी आदि लाने के लिये; घर के काम लेते हैं। तनखा देना कम, काम लेना ज्यादा; इस तरह का बर्ताव अफसर करते हैं। और भी कई मिसालें ऐसी हैं। Settlement Department के T. A. Rules ऐसे हैं कि कम pay पाने वाले को T. A., D. A. नहीं मिलता जब कि बड़े अफसर घूमने जाते हैं तो उनको T. A., D. A. मिलता है। जिनको ज्यादा मिलता है उनको और देना; यह Policy ठीक नहीं है। इसके बजाय यह होना चाहिए कि कम pay पाने वाले को कुछ और दिया जाय और उनके स्तर को ऊंचा उठाया जाय।

श्री माधोसिंह (भैंसवाड़ा):--अध्यक्ष महोदय आपके सामने सरकार की बहुतसी नीति पर बहुत से सज्जनों ने प्रकाश डाला है। मैं भी राजस्थान सरकार की शिक्षा संबन्धी पक्षपात की जो नीति है उसके बारे में अर्ज करूंगा।

राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की नीति जो धारा सभा बनने के बाद से चलती आई है उसको देख कर केवल इस सदन के सदस्यों को ही नहीं; बल्कि जगह जगह आम लोगों को दुःख होता है। शिक्षा विभाग का जो फंड है, जो शिक्षा विभाग का पैसा खर्च किया जाता है उस पैसे को मंत्री महोदय इस तरह खर्च करते हैं कि कुछ पक्षपात के तौर पर पैसे दिए जाते हैं। अभी question hour के समय में पूछा गया; उससे साफ जाहिर है कि एक बोर्डिंग को अच्छे पैसे दिये गये जब कि ऐसी किसी दूसरी जगह सरकार ने पैसे नहीं लगाये। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये एक और बात की ओर इस सदन का ध्यान दिलाऊंगा कि शिक्षा विभाग में जो तबादले होते हैं वह राजनैतिक grounds पर होते हैं, न कि शिक्षा सम्बन्धी सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा विभाग में छोटे छोटे appointments पर भी पक्षपात होता है। इस तरह की धांधली बाजी किसी द्वारा सराहनीय नहीं हो सकती। मैं माननीय मंत्री महोदयों से अर्ज करूंगा कि किसी भी कार्य को करने का उनका यह पैमाना समझ में नहीं आता कि जिस विभाग का मंत्री जिस क्षेत्र से आता है उसी क्षेत्र में उस विभाग से ताल्लुक रखने वाला काम खोला जाता है। जैसे शिक्षा विभाग के मंत्री जोधपुर से आए हैं तो जोधपुर क्षेत्र में ही स्कूलें खोली जाती हैं और माल मंत्री उदयपुर से आये हैं तो उदयपुर क्षेत्र में ही किसानों को रिलीफ दिया जाता है जहां जहां से मंत्रीगण चुने जाकर आये हैं वहीं के लोगों को फायदा पहुंचाय जाते हैं। जोधपुर में ऐसी कई जगह हैं जहां गांव वालों ने स्कूलों के लिए के पैसे दिये हैं फिर भी किन्हीं राजनैतिक कारणों से वहां स्कूलें नहीं खोली गई हैं। सिवाणा ऐसी जगह है जहां गांव वालों ने चन्दा इकट्ठा करके स्कूल के लिए पैसे दिये, पर अभी तक स्कूल का निर्माण नहीं किया गया है। अब तक इस लिए नहीं किया गया कि वहां के लोग इनके राजनैतिक मामलों के साथ चलने को तैयार नहीं हैं। सरकार को चाहिए कि राजनैतिक मामलों को लेकर शिक्षा सम्बन्धी कार्यों को न करें।

श्री मोतीरामः--किसानों के हित के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उन पर अमल नहीं होता। इस बारे में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। वह यह है कि गंगानगर जिले के अन्दर भूमिहीन किसानों को वहां जमीनें देने का एक Circular बनाया गया कि वहां जमीनें उन लोगों को दी जायंगी जिनके पास जमीनें नहीं हैं और वहां ३ साल से ऐसी चीज चल रही है। मैं वहां यह देखता हूं कि वह कानून कागजों में ही रह जाता है, उसका अमल नहीं होता। कारण यह है कि उन गरीबों को वह जमीनें दी जाती हैं, १२, १५, २० बीघे जमीने गुजारे के लिए दी जाती हैं। बड़ी मुश्किलों से तो उनको कब्जा मिलता है और कब्जा मिलने के बाद Land-lords लोग उनका कब्जा छीन लेते हैं और फसल उखाड़ फेंकते हैं। इस तरह कानून बनता है, पर वह कागजों में ही रहता है उसका अमल नहीं होता। मैं गवर्नमेन्ट का ध्यान इस ओर दिलाते हुए पूछना चाहता हूं कि ऐसे कानूनों को मान्य बनाने के लिए क्या वह कोई कदम उठाने को तय्यार है ?

एक ऐसा भी सरक्युलर निकला था कि गवर्नमेन्ट की मर्जी के खिलाफ कोई ऐसी जमीन पर काश्त कर लेगा तो उससे हरजाना वसूल किया जायगा

और वह जमीन दूसरों को दे दी जायगी; पर गवर्नमेन्ट इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाई है । मैं गवर्नमेन्ट के मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस संबन्ध में फौरन कदम उठायेंगे ? जो जमीनें–१२½ बीघा जमीन के हिसाब से-इस नीति के आधार पर दी जाती हैं कि वह गरीब अपना भरण पोषण करें, पर उनको वह कीमतन दी गई । कीमतें देने के बाद भी कब्जा नहीं मिला और वे लोग रोते फिरते हैं । क्या गवर्नमेन्ट इन बातों पर ध्यान देगी, और ऐसे लोग जो अत्याचार करने वाले तथा नीति का भंग करने वाले हैं उनको दंड देगी ?

सन् १९४७ से लेकर आज तक गरीब मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा करने वाले, उनको डरा धमका कर भगाने वाले, उनकी जमीनों पर कब्जा किये हुए हैं और उनका सारा माल हड़प लिया है । गवर्नमेन्ट ने कोई हिम्मत नहीं की कि इनको वह छीने। तीन साल से ऐसा हो रहा है। नाजायज तौर से मुसलमानों का धन हड़प गये, उन लिस्टों को फाड़ दिया गया, जो इस सम्बन्ध में तय्यार की गई। लिस्टों में २० हजार का माल था उसको २ हजार का कर दिया और उसको भी वसूल करने का गवर्नमेन्ट का विचार नहीं दिखता । गवर्नमेन्ट ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे नजर आता हो कि वसूली की जायगी । जो जमीनें जिनके नाम एलोट हुई हैं उनको दिलाने की कोई कार्यवाही होती हुई नजर नहीं आती । गवर्नमेन्ट इस ओर ध्यान दे । बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं ।

श्री भैंरूसिंह (दांता रामगढ़):-अध्यक्ष महोदय ! जब से विधान सभा की कार्यसूची में एप्रोप्रिएशन बिल को मैंने देखा तब से मेरे दिल में यह धारणा थी कि शायद राजस्थान सरकार ने कुछ जनहित के कार्य करने के लिये यह कदम उठाया है। लेकिन जिस तरह की सप्लीमेंटरी डिमान्ड के फोर्म मेरे पास आये और मैंने शुरू से आखिर तक उनको देखा तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो बिल राजस्थान सरकार ने राजस्थान एप्रोप्रियेशन बिल के नाम से सदन के सामने रखा है यदि इसके नाम में हेर फेर कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि किसी को भी इसको पास करने में कोई ऐतराज नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान एप्रोप्रियेशन बिल की जगह इसको राजस्थान परवरिश बिल कर दिया जाता तो सदन के सदस्यों को शायद कोइ ऐतराज नहीं होता और मैं यह निवेदन करता कि वह सर्व सम्मति से पास होना चाहिये। लेकिन चूंकि यह एप्रोप्रियेशन बिल के रूप में आया है अतः मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी इस पर अपने विचार रखूं।

कोर्ट आफ वार्डस के सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है। जब इसमें पहले ५६ हजार का बजट कोर्ट आफ वार्डस के संबन्ध में रखा हुआ है और अब अध्यक्ष महोदय, इसमें एक लाख ४५ हजार का बजट कोर्ट आफ वार्डस के इन्टीग्रेशन के बाद में रखा जा रहा है तो मैं नहीं समझता कि यह बात क्या है। एकीकरण से राजस्थान की जनता को ऐसा लगता था कि इससे राजस्थान का खर्चा कम होगा, शासन अच्छा चलेगा, लोगों को सस्ता इन्साफ मिलेगा और जनता सुख का अनुभव कर सकेगी। इन आंकड़ों को देखने से मालूम होता है कि जब पिछले

समय बजट मंजूर किया था और जिस समय इसका इन्टीग्रेशन नहीं हुआ था उस समय इसका खर्चा ५६ हजार था और इसके बाद एक लाख ४५ हजार का खर्चा है। इसमें मुझे कहना है कि यदि एकीकरण से ऐसा नुकसान हो रहा है तो ऐसे एकीकरण से कोई फायदा नहीं।

कोर्ट आफ वार्ड्स के संबन्ध में मैं यह अर्ज करूंगा कि जब राजस्थान नहीं बना था और रियासतें अलग अलग थीं, उस समय लोगों को अच्छा न्याय मिलता था और सस्ता मिलता था। यदि सरकारी बेंचेज पर बैठे हुए महानुभाव कोर्ट आफ वार्ड्स में जिस तरह की गडबड़ियें हो रहीं हैं उसकी तरफ ध्यान दें तो उनको मालूम होगा कि वास्तव में जो बातें मैं कह रहा हूं वे सच हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर पचार ठिकाने में जो कोर्ट आफ वार्ड है उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां पर जो व्यक्ति कामदार हैं उनकी हिस्ट्री मैं आपको बतलाना चाहता हूं। उन महाशयजी ने २२ महकमों में सर्विसेज की हैं और जिस जिस महकमें में आपने नौकरी की है वहां से बरखास्त किये गये थे। मगर अब वे इस जगह कामदार बने बैठे हैं वे ठिकाने को बरबाद कर रहे हैं। मगर, मैं यह कहूंगा कि सरकार इस बात पर कोई ध्यान नहीं देती। इस कामदार ने इस ठिकाने को इस हद तक पहुंचा दिया है कि इस ठिकाने के पास जो काफी सम्पत्ति थी उसको खर्च करके इस ठिकाने पर हजारों रुपयों का आज कर्ज कर दिया है। इस संबन्ध में कलेक्टर सीकर व कोर्ट आफ वार्ड्स के सुपरिन्टेन्डेट के पास शिकायतें की। इसकी जांच के लिये गवर्नमेन्ट के पास कागजात भेजे। नायब सुपरिन्टेन्डेन्ट ने इसकी जांच की और उनको काफी संतोष हुआ कि कामदार के खिलाफ जो एलीगेशन्स लगाये गये हैं वे बिलकुल ठीक हैं। लेकिन अभी तक दो महीने हो गये उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करूंगा कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिये जाने का मुख्य कारण उस समय के मुख्य मंत्रीजी द्वारा उनके दौरे के समय उनके पक्षवालों के मकान अल्पाहार कर लेना था। जिससे सरकारी अफसरान की हिम्मत नहीं हुई कि इसके खिलाफ कोई एक्शन ले। अब विशेष समय न होने के कारण मैं सिर्फ तकावी लोन के बारे में ही कह कर बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष:--एक मिनट।

श्री भैरूंसिंह:- सब लोगों को जो समय दिया गया वह तो मुझे भी मिलना चाहिये।

तकावी के वितरण में सरकार की जो नीति रही है वह बिल्कुल ही पब्लिक के हित की नहीं रही है। किसानों को तकावी मिलनी चाहिये थी मगर निष्पक्ष रूप से तकावी नहीं दी गई। कहने को कहा जाता है कि तकावी दी गई; मगर उन लोगों को दी गई जो कांग्रेस के वर्तमान आदर्श के अनुसार कांग्रेस के एक परिवार के रूप में है और इसी सिद्धान्त को ध्यान में रख कर उन्हीं लोगों को तकाविये मिली हैं जो उस परिवार में हैं। हमारे यहां कहावत है कि "आंधो बांटे सीरणी फिर फिर घरकाने देत" वही कहावत आज सरकार ने चरितार्थ

की है । हमारे यहां एक धर्मवीरसिंहजी नामक राजपूत हैं, जिन्होंने लोन के लिये डेढ़ साल पहले कलेक्टर सीकर, एसिस्टेन्ट कलेक्टर सीकर आदि को दरख्वास्त दी; मगर आज डेढ़ साल से कुछ नहीं हुआ और वह दरख्वास्त भी नहीं मिल रही है । इन महानुभाव ने अपने नाम के आगे सिंह नहीं लगाया होता, या उन्होंने मेरे से अपनी अर्जी पर सिफारिश नहीं कराई होती और किसी थ्री नोट वाले किसी कांग्रेसी से सिफारिश कराई होती तो उनको यह तकावी कभी की मिल गई होती ।

श्री कानसिंह:--क्या आप, थ्री नोट कौन कौन से हैं, यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री भैरूंसिंह:-यदि आप सुनना चाहें तो मैं आपको सुनाऊं कि यदि सरकार से कोई काम आपको निकलवाना हो तो सबसे पहले सफेद धोती पहिन कर आप जावें । यदि सफेद धोती से आपका काम नहीं निकले तो आप सफेद चोला पहिन कर जावें और सफेद कुर्ता से काम नहीं निकले तो आप तिरछी सफेद टोपी लगा कर जावें; तो आपका काम अवश्य हो जाएगा । सरकारी अधिकारियों से काम निकलवाने के लिये जनता को, हमको, ऐसा लाजमी तौर से करना पड़ता है ।

उर्दू के समर्थन में जो बातें एक माननीय सदस्य द्वारा कही गई उसके बारे में अध्यक्ष महोदय! यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान की अधिकांश जनता न तो उर्दू जानती है और न जानना चाहती है । यहां की भाषा राजस्थानी है और विधान के अनुसार भी यदि लिया जाए तो हमारी भाषा हिन्दी हो; लेकिन जो सदस्य उर्दू के सम्बन्ध में कहते हैं कि राजस्थान के व भारत के नेता व स्वयं पंडित नेहरू उर्दू जानते हैं और उर्दू के हामी हैं तो उसके लिये मैं यह कहूंगा कि उर्दू और फारसी को जगह, यदि पंडित नेहरू व भारत के नेता, संस्कृत जानते होते तो उनके दिल में पाकिस्तान के लिये भारत के टुकड़े करने की आवश्यकता नहीं होती । मुस्लिम लीग के मामूली से Representation पर पाकिस्तान बनाया जाना मंजूर नहीं किया गया होता और न आज लाखों हिन्दुओं का सर्वनाश होता; जैसा कि पाकिस्तान बनने से हुआ और अब भी कश्मीर व बंगाल में हो रहा है जिसे जो कोई भी चाहे जाकर देख सकता है ।

श्री मोहम्मद इब्राहिम:--ओन ए पोइन्ट आफ ओर्डर, सर ।

श्री रूपनारायण:--मैं कई बार बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं मगर समझ में नहीं आता कि मुझे क्यों नहीं मौका दिया जाता है ? मेरी मजाक क्यों उड़ाई जाती है ।

श्री उपाध्यक्ष:--आप आपस में बहस न करें अपना भाषण दें ।

श्री रूपनारायण:-इस एप्रोप्रिएशन बिल की काफी आलोचना हो चुकी है । इस सम्बन्ध में विशेष न कह कर मैं सिर्फ यही कहूंगा की ग्रान्ट जो सरकारी पक्ष की तरफ से मांगी जाती है उनको हमें मंजूर करना पड़ता है; क्योंकि बगैर पैसे के सरकारी मंत्री मंडल अपना काम किसी तरह से नहीं चला सकते । बिना

पैसे के कोई काम हो नहीं सकता । ग्रान्ट मंजूर हो इसके संबन्ध में मुझ कोई विरोध नहीं है । मुझे सिर्फ यही कहना है कि इस ग्रान्ट का सदुपयोग होना चाहिये, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिये । रेनवाल की हाई स्कूल की कांग्रेस वालों के लिये आवश्यकता नहीं थी । मैंने ऐसा सुना है कि उस स्कूल को गवर्नमेन्ट ने ले लिया है । मैं चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट को शिक्षा की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिये और इसके लिये सचेत रहना चाहिये ।

परन्तु यह बात मैं अवश्य कहूंगा कि हमारे यहां कार्यकर्ताओं में बहुत असंतोष है। उस असन्तोष के कारण हैं; सरकार की शिथिल नीति । मैं इसका एक उदाहरण दूंगा कि सन् १९५० से हमारे यहां ग्रेड्स मुकर्रर हुए थे । और सन् '५० से जो ग्रेड्स मुकर्रर हुए थे वह अब तक उन लोगों को नहीं मिले जो सन् १९५० के पहले से काम कर रहे थे । नहीं मिले तो नहीं मिले; लेकिन उनके पहले जो ग्रेड थे उनमें भी कमी कर दी गई । एक मिडिल पास मास्टर है, उसका ग्रेड ३०) रु. रखा गया । पी.टी.सी का ग्रेड ३०) रु. था । जब उसको ३०) रु.मिल रहे थे तो उसको ३०-२-४० के ग्रेड में रुपये बढ़ने चाहिए थे, लेकिन इन २ सालों में कुछ भी न बढ़कर ३०) रु.के ३०) रु. मौजूद हैं । उनको यह आज्ञा मिल चुकी है कि उनके ग्रेड्स मन्जूर किये गये हैं । ऐसी स्थिति में उनको कुल मिलाकर ३०-२-४० के ग्रेड में ३२ मिल गये तो ३२ में ही पड़े हुए हैं । उनको ३६) या ३८) होने चाहिए थे वह नहीं मिल रहा है । उत्तर में यह कहा जाता है, यदि कोई ऊपर आवेदन करता है, तो उसको उत्तर मिलता है कि आपको नये ग्रेड्स के अनुसार तनख्वाह मिलने वाली है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है । नए ग्रेड्स वाली तनख्वाह की स्थिति क्या है, इसका, तीन साल होने आये हैं मगर फिर भी कोई परिणाम नहीं निकला है । मैं शिक्षा सचिव से आशा करूंगा कि वह इस बात का संतोष दिलायेंगे कि उनका परिणाम कब तक निकलेगा । मैं इस संबंध में अपनी राय इसी दृष्टि से रखता हूं, वह यह है कि यदि वे उनका एरियर बिल नहीं दिला सकते हों या उसमें और कानूनी बाधाएं हो रही हों, तो भी यह चीज सही नहीं है कि आज जो आदमी पी.टी.सी. पास होकर जाता है तो उसको कुल मिलाकर ४५) रु. मिलते हैं और जो तीन साल पहले से पी.टी.सी. पास कर के काम कर रहा हो उसको ३०) या ३२) रु. मिलें। यह चीज सही नहीं है । इसलिए जल्दी से जल्दी इसका प्रबन्ध किया जाय कि जितने भी पी. टी. सी. सी. टी. या बी. टी. हों उन सबको आरम्भिक ग्रेड्स मिल जायं । फिर उनके बारे में विचार हो जाय कि ३ साल से या ५ साल से काम कर रहे थे उनका क्या हो । किन्तु पहले से १० साल से पी. टी. सी. पास हों उनको कम मिले और मिडिल पास को ज्यादा मिले; इस तरह अन्यायपूर्ण बात नहीं होनी चाहिए । यह तो एक ऐसी चीज है कि जैसे मणि को पीतल में जड दिया हो और कांच को सोने में जड दिया हो। यह कोई शोभाप्रद बात नहीं है। मैं कोई आलोचना के लिए नहीं कहता हूं । मैं किसी विरोधी पक्ष की भावना से नहीं कहता हूं । मैं, उन्हें अधिक यशोभाग्य मिले, वे अपना कार्य अधिक सफलता के साथ कर सकें, इस ख्याल से कह रहा था । इसलिए उनको चाहिए कि वह इस संबन्ध में विचार करें और जल्दी से जल्दी निर्णय पर पहुंच जायं ।

दूसरी बात में यह भी कहूंगा कि जो नीति बरती जाती है वह पक्षपातपूर्ण है । इसके लिए मैंने एक बार नहीं कई बार कहा था कि अजीतगढ़ में हाई स्कूल होना चाहिए था । जनता उसके लिए तड़फ रही थी और हर साल सरकार को कहा जाता था । कुछ दिन पहले एक सेठ रामजस परसराम रामपुरिया आये थे तो उन्होंने कुछ दान दिया था, परन्तु सदा तो कोई इसे चला नहीं सकता । इसलिए सरकार का काम है कि वहां पर हाई स्कूल कायम करे । वहां पर मिडिल स्कूल है । थोड़ा ही स्टाफ बढ़ाने से हाई स्कूल का खर्च चल सकता है । पब्लिक ने हाई स्कूल का मकान भी बना दिया है । वह सब कुछ पब्लिक ने किया है । जब मैंने माननीय शिक्षा मंत्रीजी से प्राइवेट तौर पर कहा तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया था कि ४-६ मील के फासले पर कोई हाई स्कूल नहीं हो तो हो सकता है । चीज ऐसी है कि अमरसर एक जागीर का गांव है वहां हाई स्कूल है, और अजीतगढ़ एक खालसे का गांव है तो वहां हाई स्कूल का होना उचित था, परन्तु वहां बात इतनी ही थी कि अजीतगढ़ वालों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिये और अमरसर वालों ने कांग्रेस का साथ दिया तो वहां हाई स्कूल मौजूद है । लेकिन उस हाई स्कूल की वजह से अजीतगढ़ में हाई स्कूल नहीं खोला जा रहा है । इसे सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति नहीं तो क्या कहा जा सकता है । आयन्दा इस पर आप जल्दी से जल्दी विचार करेंगे और वहां हाई स्कूल खोलने के लिए सजेस्ट करेंगे ।

इसी प्रकार अन्य विभागों में भी पक्षपातपूर्ण नीति बरती जा रही है । कई दिनों से खुदकाश्त का प्रश्न चल रहा है । एक राजपूत के पास एक बीघा जमीन नहीं है तो रेवेन्यू विभाग उसके लिए अब तक सचेष्ट नहीं है और जिन जाट किसानों के पास जरूरत से ज्यादा जमीन है, उनको और जमीनें दी जाती हैं, जिसका परिणाम यह हो रहा है—मैं स्वयं एक मामले को जानता हूं—मेरी जमीन के सहारे, यानि जिस जमीन को मैं बोता हूं उस जमीन के पास एक जमीन है जो एक ऐसे काश्तकार को दे रखी है जो उस जमीन पर कुछ बोता नहीं है और घास ही खोद लेता है । मैं उसको चाही भी बनाना चाहता हूं, मैं उसमें गेहूं की खेती करना चाहता हूं, लेकिन ऐसी जमीन मुझे नहीं मिलती है और उसको मिलती है चाहे वह उसकी जरूरत से ज्यादा हो ।

स्वयं सरकार का इन्तजाम कई जगह बिगड़ गया है । कई शख्सों की खेती खड़ी हुई है और एक साल होगया है । उनका फैसला अब तक नहीं हुआ है, उनको लंबा उठाते जाते हैं । ऐसे मामले को लंबा करने के कारण हैं । मैं यह बताना चाहता हूं कि वहां के जो नाजिम हैं, उनके संबन्ध में यह जरूर कहा जा सकता है कि वह कभी भी रिश्वत नहीं लेते हैं । पर रिश्वत नहीं लेकर भी ऊपर का जो संकेत होता है उससे विवश होकर अपने कार्य में सफल नहीं होते हैं और वहां अच्छी तरह कार्य नहीं हो रहा है । इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार को जितनी ग्रान्ट चाहिए उतनी दी जानी चाहिए; लेकिन सरकार को भी उतना ही अच्छा काम करना चाहिए । अच्छे पैमाने पर पैसा लगाने पर भी काम अच्छा नहीं हो यह बात ठीक नहीं है । व्यवस्था

ठीक होनी चाहिए । रेवेन्यू विभाग के उत्तर के बारे में मैं इतना सचेष्ट नहीं हूं, वह जरा कानूनी प्रश्न है; लेकिन शिक्षा वगैरह का जो प्रश्न है उसका उत्तर तो मैं अभी चाहूंगा ।

(एक सदस्य बोलने को खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष:--ऑर्डर प्लीज । मैं अब हाउस की सम्मति जानना चाहता हूं। एप्रोप्रियेशन बिल के पास होने की यह जो स्टेज है वह फाइनली पास होने की स्टेज है । ग्रान्ट्स के सम्बन्ध में जितनी विस्तृत बहस हो सकती है उतनी इस समय नहीं हो सकती; यह आम सिद्धान्त है, फिर भी सदस्यों की इच्छा होने से समय दिया गया । अगर हाउस यह चाहता है कि इस पर बहस जारी रखी जाय तो रखी जाय; वर्ना इस बहस को समाप्त करके इसे पास किया जाय ।

श्री एच. के. व्यास:--यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपका ध्यान उस रूल की ओर आकर्षित कर दूं । यदि सदन में किसी सदस्य को यह महसूस होता है कि बहस ज्यादा लम्बी होती जा रही है तो उसके हाथ में अधिकार है कि वह क्लोजर मोशन मूव कर दें । यदि क्लोजर मोशन मूव नहीं करते हैं तो यह माना जाय कि सदन की इच्छा है कि बहस जारी रहे ।

श्री उपाध्यक्ष:-चूंकि यह हाउस की अनुमति के लिए रखा गया है कि इस बहस को और जारी रखा जाय या नहीं । जो जारी रखने के पक्ष में होंगे वे 'हां' कहेंगे, और जो इस बहस को आगे जारी नहीं रखना चाहते हैं वे 'ना' कहेंगे ।

(हाउस ने बहस जारी रखना स्वीकृत किया ।)

श्री रघुराजसिंह:--अध्यक्ष महोदय, अभी एप्रोप्रियेशन बिल के ऊपर जो वाद विवाद हो रहा है उस पर काफी प्रकाश डाला जा चुका है, लेकिन इस विषय में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

मैं गवर्नमेन्ट बेन्चेज से यह कहना चाहूंगा कि आमदनी से खर्चा कम रखा जाना चाहिए । जो बजट पेश हुआ था उसमें भी एक करोड़ का घाटा पेश किया गया था । इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर भी अगर ३६½ लाख और रकम खर्च करने की मांग गवर्नमेन्ट से पेश की जाती है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि यह कहां तक उचित है । यदि कोई ऐसा सीगा खर्च का हो जिसमें वास्तव में अधिक रकम की आवश्यकता है तो दूसरे सीगों में कमी-बेशी करके इसको एडजस्ट किया जाना चाहिए था; न कि और विशेष मांग रखी जाती ।

इस नीति के अनुसार मैं सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पंचायत डिपार्टमेन्ट पर प्रकाश डालना चाहता हूं । राजस्थान में जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, मेरा ख्याल है कि वह बिल्कुल संतोषजनक नहीं है । इससे पहले, यह मेरे ख्याल से सभी वर्गों द्वारा मानी हुई बात है कि कोटा स्टेट में जो

रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी सब जगह प्रशंसा की गई थी । राजस्थान में चाहिए था कि उसी को सब जगह अपना करके इस सिद्धान्त से सब जगह रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कायम किया जाता. लेकिन ऐसा नहीं करके जो कोटा में जमा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन था उसको भी धीरे धीरे बिगाड़ दिया गया है । इस विषय में एक मिसाल के तौर पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा स्टेट में काश्तकारान को खर्चे के भार से बचाने के लिए उनके लेनदेन के मुकद्दमे थे उनका गांव गांव जाकर के चार आने के इन्तकाल पर फैसला कर दिया करत थे । उसके बजाय अब वह तरीका बदला जाकर मिसलों द्वारा कार्रवाई होती है और उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है । उसका सब खर्चा इनडाइरेक्टली काश्तकारान पर पड़ता है; तो यह नहीं कहा जा सकता है कि यह एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, बल्कि उसके ऊपर अधिक भार लादना होगा । इसलिए इस विषय में जो नीति है वह बिल्कुल असंतोषजनक है ।

इसी तरह से छूट के विषय में जो गवर्नमेन्ट की नीति है वह असंतोषजनक है । इस वर्ष कुछ हिस्से कोटा डिवीजन के स्केअरसिटी एरिया हैं; उनमें छूट देने की घोषणा की गई थी और लोगों को बहुत से गांवों में छूट देने की घोषणा सुना दी गई थी कि तुम्हें इतनी इतनी छूट दी गई है और इसके उपरान्त बाद में कुछ दिनों के बाद कलेक्टर साहब की तरफ से इस बात का तकाजा किया गया कि रकम वसूल की जाय । इस तरह से रकम धोखा देकर वसूल की गई ।

छूट के सिलसिले में भूतपूर्व कोटा रियासत में यह नियम था कि तहसीलदार या नायब तहसीलदार से कम दर्जे का अफसर न हो वह कागजात देही में नुकसान टीप में दर्ज किया करता था; लेकिन आज कोई भी अफसर नुकसान--बही को नहीं देखता, पटवारी अपने मन से जो चाहे दर्ज कर देते हैं । गांव में एक जगह लोगों को इकट्ठा करके एक दूसरे से पूछताछ करके नुकसान दर्ज कर दिया जाता है । यदि मंत्री महोदय इस बात की जांच करेंगे तो उनको पता लग जायगा ।

कोटा रियासत के जमाने में तहसीलदार को यह हुक्म था कि वह हर साल कागजात देही का मुआयना करे । असिस्टेन्ट रेवेन्यु कमिश्नर, रेवेन्यु कमिश्नर उसकी जांच किया करते थे; लेकिन इस वर्ष कलेक्टर साहब को इतनी कहां फुरसत कि वे वहां जाकर कागजात की जांच करें, तहसीलदार तक कागजात का मुआयना नहीं करते । क्योंकि उनके ऊपर इतना काम लाद दिया गया है कि उनको उस काम से भी फुरसत नहीं मिलती । उन्हें कहां इतना अवकाश कि वे वहां जाकर कागजात को देखें । इस बात पर माननीय मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये ।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि उस हिस्से में जिन इलाकों को अकाल-ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है और जो रकम खर्च करने की मन्जूरी दी गई है लेकिन कुछ हिस्सों को स्केअरसीटी एरिया नहीं माना गया है और उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया है । क्या यह सही है कि वहां बिल्कुल नुक्सान नहीं

हुआ । मसलन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किशनगंज शाहबाद तहसील जो कोटा डिवीजन में है, जिसको स्केअरसिटी एरिया नहीं माना गया है वहां पर बहुत सी जमीने ऐसी बाहल बिलाह की रह गई हैं जिस पर काश्तकारों को ऐसी आशा नहीं थी कि वहां पर कुछ भी पैदा नहीं होगा; पर वक्त पर पानी नहीं बरसने से वहां पर फसल नहीं हो सकी है; इसमें काश्तकार का दोष नहीं है । ऐसी जमीनों का ध्यान नहीं रखा गया है । माननीय मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे और उनको कुछ रिआयत देने की कृपा करेंगे तो उचित होगा ।

किशनगंज शाहाबाद तहसील में पीने के पानी की बहुत कमी रहती है। गरमी के दिनों में हर साल बारिश की कमी रहती है। ऐसे वक्त लोगों को पांच-पांच छ-छ कोस दूर से पीने का पानी लाना पड़ता है। मैं नहीं कह सकता कि मुकामी अफसरों ने इस बात की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया या नहीं। सम्बन्धित मंत्री महोदय से आशा करता हूं कि वे इस बात पर गौर फरमाकर इस तकलीफ को रफा करने की कोशिश फरमायेंगे ।

ग्राम पंचायतों के सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों के एडमिनिस्ट्रेशन की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और पंचायतों को ठीक ढ़ंग से चलाने की आवश्यकता है । जब कि नये पंचायतों के चुनाव होगये उसके बाद पुरानी पंचायतों से काम हटा लेना चाहिये; लेकिन ऐसा नहीं करके चार पांच महीनों तक नयी पंचायतों को काम करने की मन्जूरी नहीं दी जा रही है। इससे आम तौर पर जो पंचायतों का जो सरपंच होता है, जो पंचायत का सब से बड़ा लीडर होता है वह डिक्टेटर के तरीके से काम करता है; उसकी निगरानी नहीं की जाती है ।

समय के अभाव से मैं इतना ही कहकर अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं ।

श्री सन्तोषसिंह:--माननीय अध्यक्ष, एप्रोप्रियेशन बिल पर जो बहस चल रही है, सरकार की जो अभ्यस्त नीति है उस पर मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं । सबसे पहले मैं आपका ध्यान पंच-वर्षीय योजना की ओर आकर्षित करता हूं । यह पंच-वर्षीय योजना उत्तम है लेकिन इसका लाभ दस पन्द्रह वर्ष बाद प्राप्त होने वाला है । इस वक्त राजस्थान की हालत ऐसी है कि इस समय यहां की जनता को रोटी, रोजी और कपड़ा; इन तीन चीजों की आवश्यकता है । हमारे यहां की जनता रोटी, रोजी और कपड़ा इन तीनों के लिए तडफती रहती है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जो काम जल्दी लाभ--प्रद बन जाय वह काम पहले करना चाहिये और जो काम पांच छ: साल से बने उससे फायदा नहीं; उससे गरीबों को लाभ नहीं हो सकता । रोटी की समस्या हल करने के लिये सरकार ने क्या किया ? इस सिलसिले में मैं सरकार को बताऊंगा कि हमारे यहां जोधपुर के पास कोढियों के रहने के लिए एक बस्ती बनाई हुई है, जहां सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी बैरकें थीं । अध्यक्ष महोदय, यह बात सभी जानतें हैं कि कोढ एक ऐसो बीमारी है जिसका स्पर्श यदि दूसरा व्यक्ति करता है तो उसको भी वह बिमारी लग जाती है; फिर भी हमारी सरकार ने कोढ़ियों को खाना

आदि देना बन्द कर दिया है। वे कोढ़िये भूखे मरते गांव-गांव और घर-घर भीख मांगते फिरते हैं। इस सम्बन्ध में सरकार ने जो नीति अपनाई है वह किसी कदर सराहनीय नहीं कही जा सकती। मैं सरकार को अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये अर्ज करना चाहता हूं कि जब हरेक आदमी इन कोढ़ियों का ध्यान रखता है जब खराब दिन आते हैं तो पहले कोढ़ियों को याद करता है और उनको भोजन खिलाता है तो हमारी सरकार ने सब से पहले कोढ़ियों की रोटी छीनी है और वहां से उन्हें हटा दिया गया है; यह सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है।

हमारी जोधपुर रियासत में कुत्तों का एक बाड़ा था, जहां पर अध्यक्ष महोदय शहर के हिड़किये व दूसरे कुत्ते होते थे उनको बाड़े में बन्द कर दिया जाता था और सरकार उनको रोटी देती थी। जिस प्रकार सरकार ने कोढ़ियों की रोटी छीनी है उसी प्रकार इन कुत्तों को भी रोटियां देना बन्द कर दिया है। आज गली-गली में मोहल्ले-मोहल्ले में कुत्तों की टोलियां फिरती रहती हैं; उनमें से कितने कुत्ते हिड़किये भी हो गये हैं, जिनके काटने पर बड़ा भारी नुकसान होता है। पहले जोधपुर रियासत के समय में यदि किसी को हिड़किया कुत्ता काट जाता था तो उसे कसौली मय साथी के सरकारी खर्चा देकर भेज दिया जाता था, जहां उसका इलाज होता था। आज जब किसी को हिड़किया कुत्ता काटता है और वह इलाज के लिए अस्पताल जाता है तो उसको कहा जाता है, इन्जेक्शन नहीं है, आने वाले हैं, अभी तैयार नहीं हैं। इस तरह से इस खतरनाक बीमारी के फैलने के भय को ध्यान में न रखकर सरकार कुत्तों की भरमार करती जा रही है; यह सरकार की अव्यवस्था की नीति का एक कारण है। और किसी काम की समस्या हल होगई हो; यह भी बात नहीं हुई। मुझे अपने क्षेत्र का पता है दूसरे इलाके भरतपुर-अलवर आदि का पता नहीं। यदि सरकार हमें भत्ता दे तो हम वहां जाकर भी देख सकते हैं और वहां की स्थिति भी हाउस के सामने रख सकते हैं; इसलिये मैं दूसरे क्षेत्रों से अनभिज्ञ हूं। मैं अपने जोधपुर का हाल आपको कहता हूं। सोजती गेट के पास हम खड़े नहीं रह सकते, भिखारी लोग, यदि हम बातें करते होते हैं तो मांगने लग जाते हैं कि हमें पैसा दो। मोटर में बैठे हुए व्यक्तियों से पैसे मांगने लग जाते हैं। मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि सरकार ने इन भिखारियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है कि उनके लिए कोई ऐसी कोलोनी की स्थापना नहीं की है जहां अपंग, अन्धे लूले, लंगड़े वहां जाकर कुछ काम सीख; कोटेज इन्डस्ट्री वहां खोल दें जहां वे बैठे रहकर काम करें। शिक्षा के विषय में यह कहना है कि नाइट स्कूलें आदि खोलने के लिए अनाप शनाप रुपया खर्च किया जाता है; लेकिन इससे गरीबों को लाभ नहीं पहुंच सकता।

श्री संतोषसिंह:—यदि दस मिनिट का समय और दिया जाय तो मैं बहुत ही और महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रख सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष:— पांच मिनिट का ही समय रखा गया है।

श्री संतोषसिंह:—दसरे सदस्यों को तो दस मिनिट का समय दिया गया।

श्री उपाध्यक्षः—बाद में पांच मिनिट का ही समय कर दिया गया था ।

श्री संतोषसिंहः—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राशन में जो धान मिलता है वह बहुत ही सड़ा गला मिलता है । ऐसा मिलता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता । मैं अभी जोधपुर गया था । नमूना साथ में लाने वाला था किन्तु भूल गया, लाया नहीं । इस पर कोई तवज्जोह नहीं दी जाती । स्टोर में हजारों मन अनाज सड़ रहा है, स्टोरेज का काम सीखने के लिये एक्सपर्ट को दिल्ली भेज कर हजारों रुपया उन पर खर्च किया जाता है । जब वे सीख कर यहां आते हैं तो उनको धान के स्टोरेज पर नहीं रखते हैं और दूसरे डिपार्टमेन्ट में बदली कर देते हैं और उन्हे उसी महकमे मे नहीं रखते । पहले तो उन्हें स्टोरेज का काम सीखने के लिये दिल्ली भेजते हैं और फिर जो आदमी स्टोर का काम सीख कर वापस आता है तो उसे स्टोर पर या उसी महकमे में नहीं रखते; दूसरी जगह उसको भेज देते हैं । कहीं हेडक्लर्क बना देते हैं । सरकार का धान का स्टोरेज का कोई बराबर इन्तजाम नहीं है ।

समय कम है और बातें बहुत हैं। मैं शफाखाने की बात कहता हूं। जोधपुर में विन्डम होस्पिटल है। उसका नाम हमारी सरकार ने बदल कर महात्मा गांधी होस्पिटल रखा है । जब विन्डम होस्पिटल नाम था तो मरीजों को खाना, पीना और कपड़ा आदि गवर्नमेन्ट की ओर से फ्री ओफ चार्ज दिया जाता था । किसी तरह की दिक्कत नहीं थी, बिना पैसा दवाई मिलती थी; किन्तु जब इसका नाम महात्मा गांधी होस्पिटल कर दिया गया जब से खतरनाक बीमारियों के मरीजों के साथ उनका रिश्तेदार वगैरा कम्पेनियन होता है उसकी भी आधी रोटी कर दी। दवाइयों के नाम पर यहां पेनिसिलीन की खास तौर से सब को आवश्यकता रहती है वहां कहा जाता है कि बाजार में जाओ । मरीज जो साईकलों व मोटरों में आते हैं और यदि वे बाहर साईकलें छोड़ कर होस्पिटल में दवाई वगैरह लेनें जाते हैं तो उनकी साईकलें पीछे से पार हो जाती हैं । एक एक दिन में दो दो साईकलें पार हो जाती हैं। मैंने इसकी शिकायत प्रिन्सिपल मेडिकल ओफिसर से की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास डाक्टर तो बहुत हैं किन्तु चपरासी नहीं हैं । डाक्टर तो जरूरत से ज्यादा हैं किन्तु चपरासी नहीं रख सकते । मैंने इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय, जो इस विभाग के इन्चार्ज हैं, उनसे भी अर्ज किया । बहुतों ने कहा की दवाइयें नहीं मिलती हैं ? पिछले महीने में ही पैसे खर्च हो गये, अब दवाइयें कहां से खरीद की जायं, बाजार से ? तो मेरा अर्ज करना है कि इसका महात्मा गांधी होस्पिटल नाम न रख कर दूसरा ही नाम रखा जाता तो अच्छा था। विन्डम होस्पिटल का नाम बदलते ही इन्तजाम वर्स्ट हो गया । महात्मा गांधी के नाम को क्यों बदनाम किया जाय? ऐसे महापुरुष के नाम पर मुफ्त में ही होस्पिटल का नाम रखा गया ।

(घंटी बजाई गई)

मैं माननीय अध्यक्ष कुछ शब्दों में ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो उपयुक्त होंगी ।

(विरोधी पक्ष की ओर से हंसी)

श्री उपाध्यक्ष:—एक मिनिट और दिया जाता है ।

श्री संतोषसिंह:—शिक्षा के मुतल्लिक आपको यह अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार शिक्षा के ऊपर अनाप-शनाप खर्चा कर रही है; किन्तु गांवों के लोगों व बच्चों के लिए कुछ नहीं किया जाता । उनको जब तक शिक्षा नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा । विधान में भी यह लिखा है कि सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाय । किन्तु इस ओर हमारी सरकार कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है । एक आदमी जो बी. ए. पढ़ने वाला है उसे एल. एल. बी. करादी जाती है और जो क. ख. ग. घ. पढ़ने वाला है उसे अ-आ भी नहीं पढ़ाया जाता । हमें कॉलेजों के सिवाय नाइट स्कूलों को बन्द कर देना चाहिए और इसी खर्चे से गांवों में पाठशालाएं खोलनी चाहिए; जिससे सब शिक्षा में बराबर में आजायं ।

खानियों के बारे में यह अर्ज करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि जोधपुर में "सूरसागर की खानें" नामक एक स्थान है । वहां एक लाइन बना दी गई थी कि उसके आगे किसी को खानें नहीं देंगे । तीन चार साल से दो सौ, तीन सौ खानें तीन चार वर्ष तक बिना किसी रोयल्टी के दिये बराबर चलती रही है । उसके उपर इन्तजाम में डिप्टी डाइरेक्टर हैं, चौकीदार हैं । एक पैसा भी राज्य में जमा नहीं हो और मुफ्त में चलती रहें ये खानें, सरकार की यह कैसी नीति है ! मुल्तानी मिट्टी का भी आप यही हाल लीजिए । इनका ठेका ३० सेप्टेम्बर, १९५० में खत्म हो गया था । इन को दुबारा ठेके पर देने से लाखों रुपये की आमदनी हो सकती है । इस ठेके के लिए लोग लाखों रुपया देने के लिए तैयार हैं । आज की तारीख तक उसके ठेके का टेन्डर नहीं निकला गया और न ठेका ही दूसरों को दिया गया । उस ठेकेदार की जिसकी मियाद खत्म होगई थी उसे एक-एक, दो-दो महीने के एक्स्टेन्शन दिये गये । सरकार को पूछते हैं तो हमें कहा जाता है कि मेट के एरिया के प्लोट की लाइन फिक्स करनी है । मैं भी इन्जीनियर हूं और पांच दिन में सारे मेट के एरिया के प्लोट बना सकता हूं । दो साल में भी ठेका नहीं दिया जा सका और सरकार को लाखों रुपयों का नुक्सान होगया ।

सोजत के चूने के भट्टे के बारे में भी मैं अर्ज करना चाहता हूं ।

(घंटी बजाई गई)

श्री भोपालसिंह (मेड़ता सीटी):—मैं सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति को आपके सामने रखूंगा । हमारे यहां के कांग्रेस प्रेसिडेन्ट बांध के सम्बन्ध में मिले । उनसे वादा लिया गया कि इसका तखमीना किया जा रहा है और यह बांध कुछ ही अर्से में बनने वाला है । चूंकि उस क्षेत्र से किसी भी कांग्रेस के प्रतिनिधि के नहीं आने की वजह से वह मामला ठंडा कर दिया गया । जो भी मिनिस्टर साहब दौरे में पधारते हैं उन्हें उस क्षेत्र के सदस्य को अपने समक्ष बुलाना चाहिए; ताकि वह वहां की स्थिति को उनके पास जाहिर कर सके ।

यही अर्ज करके मैं बैठ जाता हूं ।

श्री सोहनलाल भटनागरः–मैं एप्रोप्रियेशन बिल के सपोर्ट में कुछ कहूंगा; किन्तु मैं राजस्थान सरकार की नीति के बारे में भी विचार प्रगट करूंगा।

राजस्थान के अन्दर मुख्य समस्या है भूमि की और इसे सुलझाने की जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता और किसी की भी नहीं। राजस्थान में इस समय जो भूमि की समस्या है वह ऐसी है कि सैकड़ों आदमी जो अधिक भूमि रखते हैं उनके पास भूमि अधिक हो रही है और जिनके पास भूमि कम है या भूमि नहीं है उनके पास एक इंच भूमि भी नहीं बढ़ती। मैं उस क्षेत्र से आया हूं जहां लाखों भील रहते हैं और जिनके पास एक इंच भूमि, एक इंच जमीन नहीं हैं और जो उनको बसाने का प्रयत्न होता है सरकार का, वह प्रयत्न सफल नहीं होता। वहां उस क्षेत्र में हमेशा से अकाल रहा है। कभी भी आप उनके घरों में जायं, उनके घरों में एक दाना अनाज भी नहीं मिलता। उनकी औरतें कपड़े के बिना नग्न अवस्था में रहती हैं। वे पहाड़ों पर बसे हुए हैं। सूचनाओं के साधन नहीं हैं। यह समस्या है राजस्थान के उदयपुर डिवीजन की; लेकिन उसको सुझाने के बारे में हमारी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। मैं आपको बताऊं कि इस भूमि-हीन समस्या का कारण जागीर समस्याओं से सम्बन्धित है। पुराने राजस्थान के निवासी इस बात से परिचित हैं। उन्होंने जागीर उन्मूलन को देखा है, जागीरदारों के अधिकारों को छीना गया। उसे भी उन्होंने देखा, नये राजस्थान के निर्माण के बाद सरकार उससे भी पीछे हटी। जो हक जागीरदारों से छीने थे वे उन्हें वापिस दे दिये गये हैं। आज जागीरी क्षेत्र में जाकर देखिये कि किस तरह से चरणटों को बेचा जा रहा है, किसानों पर जुल्म किये जा रहे हैं और सरकार के कर्मचारी भी उनको मदद देते हैं। आज जागीरी क्षेत्र का रहने वाला किसान जुल्मों से पीड़ित है लेकिन राजस्थान सरकार इस ओर कोई कदम नहीं उठा रही है। मैं मानता हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ कानून निकले हैं, टिनेन्ट्स प्रोटेक्शन ओर्डिनेन्स और क्रिमिनल प्रोसिजर कोड में भी इसकी व्यवस्था है। लेकिन जो सारे कानून-कायदे हैं, प्रत्यक्ष रूप में देखें तो सारे जागीरदारों और जमीदारों को फायदा पहुंचा रहे हैं और जागीर का रहने वाला किसान पीड़ित है, दुखी है और अब उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट चुकी है। और हमारे यहां जागीरी समस्या को सुलझाने की जो सरकार की नीति रही है वह सहयोगात्मक नीति रही है। जागीरदारों को हमेशा इस नीति से फायदा हुआ है और इसी कारण से राजस्थान की जनता समझती है कि सरकार की नीति दब्बूपन की है और इसी कारण से जागीर-ग्रहण की नीति का प्रतिपादन नहीं हुआ। वे इस प्रश्न को भिन्न २ तरीकों से सोचते हैं कि इसका क्या असर पड़ेगा, यह उनकी मानसिक कमजोरी है। दूसरे स्थानों पर भी जागीरें छीनी गई हैं, बापी की जमीनें ली गई हैं; वहां किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकी। पर यहां छोटे मोटे काम के लिये भी उनसे सहयोग मांगा जाता है। और जागीरदारों की तरफ से यह कहा जाता है कि हम सदन के अन्दर और बाहर भी सहयोग देने के लिये तैयार हैं। उनके सहयोग को तो हमने देखा ही है। उन्होंने हाई कोर्ट में रिट पेश किया, इसके बारे में। और भी कई तरीके से बुरा बर्ताव करने में नहीं हिचकिचाये। अभी

कुछ दिन पहले सामन्तशाही को बनाये रखने के लिये जो षड़यन्त्र रचा गया था वह पार नहीं पड़ सका । इनके खिलाफ मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है । इस तरह की लचर नीति से काम नहीं चलेगा । राजस्थान तभी तरक्की कर सकेगा जब किसानों की हालत सुधरेगी और तभी यह प्रांत तरक्की की ऊंची सीढ़ी तक पहुंच सकेगा ।

शिक्षा के बारे में मैंने प्रश्न पूछे थे । यह सर्व विदित है कि राजस्थान में उदयपुर ही एक ऐसा डिविजन है जो खानों से परिपूरित है । इन खानों का ठीक तरह से उपयोग नहीं किया गया है । इन्हें पूरी तौर से हार्नेस नहीं किया गया है । इनको पूरी तरह से हार्नेस किया जाय तो उद्योग की दृष्टि से काफी तरक्की हमारी हो सकती है । लेकिन सरकार की नीति इन खानों के प्रति ठीक नहीं है । मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब शिक्षा मंत्रीजी, जो अर्थ मंत्री भी हैं, हालांकि राजप्रमुख अपने भाषण में इस बात का संकेत करते हैं, कि उदयपुर में माइनिंग कॉलेज खुलेगा; ऐसी हालत में जब शिक्षा मंत्रीजी से प्रश्न इस बारे में पूछा जाता है तो उसका जो उत्तर उन्होंने दिया है वह सदन को विदित ही है; कितना अपरिपक्व व कितना नीचा था । इसी तरह से बेकवर्ड क्लासेज के लिये उदयपुर में एक भी हाई स्कूल नहीं है । रिषभदेवजी एक बड़ा कस्बा है । वहां पर हाई स्कूल खोलने के लिये कई दिनों से मांग की जा रही है लेकिन शिक्षा मंत्रीजी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं । इस एरिया में कोई हाई स्कूल नहीं है और यह भीलों का एरिया है । मैं आशा करता हूं शिक्षा मंत्रीजी इस ओर ध्यान देंगे ।

श्री ईश्वरसिंह:-अध्यक्ष महोदय ! केई इलाकों के बारा में केई बातां कही गई है । पर इसान को सीकर को इलाको है जठे न तो नहरों की योजना बणी है न बठे तालाब ही है, न पानी है और है तो बहुत गहरो पानी है । साल भर के बाद पानी और भी गहरो चल्यो जावे है । बठेरो काम तो कूओं सूं चल सके है । बठे कूआ भी ऊंडा बहुत है । बामें पाणी भी कम है तो मारी इच्छा है के इयों कूओं में बोरिंग होजावे तो आच्छो काम होजावे । पोर की साल मां कलेक्टर साहब ने कही के देखो पेली २० साल का कूआ है जिण में पानी कम रह गयो है । पेली तो काल १० साल सूं पड़तो हो, पछे ३ साल सूं पड़न लाग गयो; पर अब तो सालो साल काल पड़े है, इण वास्ते जरूरी है कि तकाबी मारे पांती आवे तो उणरे बजाय मारे कूओं में बोरिंग करादेवो तो पाणी रो तो आराम होजावे । उणरो उत्तर दिया के चौधरीजी बोरिंग री मशीन तो एक हीज है इण वास्ते कठेतक वा मशीन पूरी पड़ सकेली । मैं कही कि एक ही है तो जल्दी से जल्दी भेजी जाय क्योंकि और जगह तो पानी की कमी नहीं है । २२ रियासतों है तो कम से कम २२ बोरिंग मशीना तो होणी ही चाहिये । बड़ी बड़ी योजनाएं बणी पर कूओं को इन्तजाम तो जल्दी ही होणो चाहिजे ।

तकाबी के बारे में भी बहुतसी बातें कही गई और कह्यो गयो कि तकाबी लेण सूं पेली सफेद कपड़ा होणा चाहिजे । पर मैं तो जन्म सूं सफेद कपड़ा पहनूं हूं । पर तकाबी की दरख्वास्त दो और फेर ५० बार उणरे लारे फिरो इण तरे

री चीज है जिणने देणी है उणने जल्दी देदेवो तो फायदो भी हुए। पर दी भी उण लोगों ने जावे है जो या तो मालदार होवे है या जिणरे पखो होवे है । इण तरह सूं देणी चाहिये जिण सूं कि गरीबों को फायदो होवे। जो पहली सड़ी गली सरकार ही वा भी पूरी तरह सूं जांच करवाकर पछे काम करती ही तो अब पूरी तरह सूं जांच करवाकर कोई काम करणो चाहिजे । पर अब तो लाख लाख रुपया इण तरे सूं फटकार दिया जावे है कि जिणरे बारेमें कुछ कह्यो नहीं जासके। जिणरे पास काफी रुपया है उणलोगों ने देणे सूं कोई फायदो नहीं है । जो नीति भी सरकार अपनावे वा अच्छी तरह सूं ध्यान देकर अपनावे और जल्दी से जल्दी काम हो सके ऐसो काम करे तो ठीक है।

श्री देवीसिंह:–अध्यक्ष महोदय, आज यहां जो बहस चल रही है उसके सिलसिले में हमारे कुछ मित्रों ने यह फरमाया कि विरोधी दल वालों का काम विरोध करना है इसलिये वे हर चीज में विरोध करते हैं। वास्तव में ऐसी चीज नहीं है। हमें इसके विरोध में एक और शिकायत है। हम लोग जो विरोधी दल के लोग हैं वे अपने सिद्धान्त के अनुसार सरकार की जो बुराइयें हैं वे उनके सामने रखते हैं और इस दृष्टि से रखते हैं कि सरकार उन्हें दुरुस्त करे; ताकि हमारे प्रान्त का भला हो सके। लेकिन हम निरन्तर दो अधिवेशनों से देख रहे हैं कि जिन बुराइयों की ओर हम सरकार का ध्यान आकर्षित करते जाते हैं वे बुराइयें और अधिक तेजी से बढ़ती जाती हैं। जहां हम यह आशा करते हैं कि हमारी बातें हाउस के सामने जाने से सरकार अपने २ आप में सुधार अवश्य करेगी लेकिन देखा यह जाता है कि जितनी तेजी से हम बुराइयें सामने लाते हैं उतनी ही तेजी से बुराइयें और बढ़ती जा रही हैं । इसलिये मुझे बहुत बातें कहने की आवश्यकता नहीं है; वरना बुराइयें और अधिक बढ़ेंगीं ।

इसलिये हम संक्षेप में यहां कुछ आपके सामने रखते रहे हैं। मैं भी दो चार पोइन्ट्स इस दृष्टि से रख रहा हूं कि हमारे मंत्री महोदयों का ध्यान शायद इस ओर जाय और बुराइयें दूर हो जाएं तो हमारे प्रान्त का भला हो।

हमारे सामने जो मांगें रखी गई हैं उनमें शिक्षा के संबन्ध में मांग की गई है; उसके बारे में मुझे निवेदन करना है । राजस्थान में एक इलाका है जहां के लोगों को बहुत जाहिल और बेकवर्ड माना जाता है। उसके लिए हमारे अफसर लोग निरन्तर कहते रहते हैं कि वहां निरंतर अशान्ति रहती है और बहुत खराबियें हैं। वह इलाका है शेखावाटी में, उदयपुर वाटी। इस संबन्ध में मैं यह नम्र निवेदन करूंगा कि जब माननीय मंत्रीगण यह मानते हैं कि वहां शिक्षा की कमी है और शिक्षा नहीं होने के कारण वहां जाहिल लोग ज्यादा हैं तो उनको शिक्षा देने के लिये वहां स्कूल क्यों नहीं खोले जाते; जिससे कि शिक्षा के प्रचार से उनका जो उस इलाके के संबन्ध में उनके लिए वास्तव में हेडेक है वह दूर हो जाए। इस इलाके में एक कस्बा है जिसका नाम झाझर है। वहां ५००० की आबादी है। वहां के एक पूंजीपति व्योपारी ने एक बार चार पांच साल पहले कोशिश की थी कि वहां पर स्कूल खोला जाए। उस समय की सरकार के साथ उनका खतो किताबत हुआ और उस सरकार ने उनको लिखा कि आप अगर एक भवन बना

दें तो स्कूल हम चला देंगे । सरकार के इस आश्वासन पर उन्होंने एक भवन बनाया और मिडल तक का स्कूल चालू कर दिया । परन्तु आज ५ साल का समय बीत गया है। स्कूल चलाना तो दूर रहा ग्रान्ट इन एड भी उस स्कूल को नहीं मिलता है। यह कितने दुःख का विषय है कि जिस इलाके के लोग बेकवर्ड और जाहिल माने जाते हैं और जहां शिक्षा की कमी मानी जाती है और वहां का व्यक्ति अपने पैसे से स्कूल बनाता है तो उसको ५ साल तक ग्रान्ट इन एड तक नहीं दी जाती। संबन्धित मंत्री इसकी ओर ध्यान दें। मैं उनकी जानकारी के लिये यह बतला देना चाहता हूं कि अगर वह उस स्कूल को ग्रान्ट इन एड देने को तैयार हों तो वह व्यक्ति उस स्कूल को हाई स्कूल बनाने के लिये तैयार है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस ओर जल्दी से ध्यान दे।

दूसरी चीज जो हमारे हाउस के सामने आई थी वह हमारे प्रान्त की भाषा के सम्बन्ध में है। हमारे एक मंत्री महोदय ने बताया था कि हिन्दी ही प्रान्त की भाषा है और दूसरी भाषाओं का सवाल उठाना व्यर्थ है । उन्होंने शायद उस समय यह खयाल नहीं किया कि हिन्दी राष्ट्रीय भाषा है। उनको मालूम नहीं होगा कि बंगाली, गुजराती आदि प्रान्तीय भाषाएं अलग अलग हैं। वहां राष्ट्रीय भाषा हिन्दी काम में ली जाती है। इसलिये हमारे राजस्थानियों की यह इच्छा है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिन्दी तरक्की करे; पर इसके माने यह नहीं कि हमारी प्रान्तीय भाषा राजस्थानी, जिसके बारे में बड़े बड़े विद्वानों ने यह कहा है कि यह सुन्दर भाषा है, जिसके बारे में स्व० श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक दफा कहा था कि राजस्थानी इतनी सुन्दर भाषा है कि मेरी तो यह इच्छा है कि शांतिनिकेतन में हिन्दी भवन के द्वारा इसकी तरक्की करूं; परन्तु दुर्भाग्य से श्री रविन्द्रनाथ टैगोर का देहान्त हो गया। क्या हमारी सरकार का कर्तव्य नहीं हो जाता है कि हमारी प्रान्तीय भाषा राजस्थानी, जिसके बारे में देश और विदेश के बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने प्रशंसा की है उसको प्रोत्साहन दे और बढ़ावे।

जिस भाषा की डा० टेसीटोरी और ग्रियर्सन आदि ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की उसको आज हमारे जनतन्त्रात्मक युग में कहा जाता है कि यह तो एक बोली और है इसको हम प्रान्तीय भाषा नहीं मान सकते । शायद कोई मंत्री महोदय खयाल करेंगे कि हम हिन्दी को नहीं चाहते; मेरे कहने के ये माने नहीं है । हम राजस्थानी लोग चाहते हैं कि हमारी प्रान्तीय भाषा राजस्थानी को, प्रोत्साहन मिले और इसके साथ साथ हमारी राष्ट्रीय भाषा हिन्दी की तो तरक्की हो ही। छोटी छोटी क्लासों में बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जायगी तो बच्चे बहुत जल्दी विषयों को समझ सकेंगे । राजस्थानी की बजाय हिन्दी में उनको वही विषय पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उनको ज्यादा समय लगेगा । इसलिये मेरी मंत्रियों से अर्ज है कि हमारी प्राइमरी एज्युकेशन राजस्थानी भाषा में होनी चाहिये ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चे जल्दी से विषय को ग्रास्प कर सकें। इसके बाद उच्च शिक्षा तो हिन्दी में होनी ही चाहिये; बस यही दो बातें कह कर मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं ।

श्री मोटाराम चौधरी:—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जो एप्रोप्रियेशन बिल आया है उसका समर्थन करता हूं । इसकी अनेकों बातों में आपके सामने पेश

करता हूं। हमारे सिवाणा में हाई स्कूल रे वास्ते एक लाख २५ हजार रुपया पब्लिक चंदा सूं भेला करने भर चुकी है और उणरी नींव भी लगा दी है। वा नींव खुदी हुई पड़ी है। उण में मवेशी जानवर पड़ते हैं पर सरकार ने इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। इस हाउस में इण तरा री बातां आई है के किसानों री तकलीफ मिटाणी है, वांरी उन्नति करणी ह और ऊंचा उठाना है पर मारे समझ में नहीं आई के किसानों रे साथ में कौनसी दशा हो रही है। जिण गांवों में कोई विद्या और स्कूल का प्रबन्ध नहीं, सब अपनी २ गांगरत गाते हैं हमारे यहां बोर्डिंग हाउस रे वास्ते दस हजार रुपया पब्लिक चंदा करके इकट्ठा कर चुकी है पर वहां कागजों का कोई जवाब नहीं है। हजारों रिपोर्टें दी, तार दिये पर उनका कोई पता नहीं और हमारे समदड़ी स्कूल के वास्ते लाखों तार दिये और करसा अठे तक विचार कर लियो है के सरकार सुनवाई नहीं करे तो सत्याग्रह कर दियो जावे। १० हजार रुपया पब्लिक जमा कराया वे सरकार में जमा है। हमारे गांवों में गरीबों रे वास्ते कोई प्रबन्ध नहीं है। यहां सब अपनी २ गांगरत गाते हैं। हमारे साथ, हमारी पब्लिक के साथ जो कठिनाइयें हैं उनको हाउस में रखा जावे तो आपको मालूम होवे के इण सरकार रो बर्ताव पब्लिक रे साथे कांई हो रयो है।

तकावी जो दी गई वह मैं धर्म से कहता हूं कि १००) रुपयों लारे १०) रुपया तय हुआ उन्हीं को दी गई। फेमिन रिलीफ के बारे में जो पैसा दिया गया है वहां १००) रुपया रे लारे २५) तय किया है उनको दिये गये, बाकी को नहीं दिये गये (शेम शेम)

और आ सही बात हाउस में जरूर आणी चाहिजे के किसानों की तकलीफें क्या हैं। सब अपने २ मतलब की बातें राखी है गरीबों पर कोई ध्यान नहीं दियो है और मैं सही बात बताऊं हूं के सेवाराम पारसमल बाड़मेर रा रेवण वाला है; उसको तकावी में चार-पांच हजार रुपया मिल गया लेकिन हमारे अटे री पब्लिक ने बकायदा रिपोर्टें की हैं उसको एक रुपया भी नहीं दिया गया। हमने बाड़मेर में जाकर कलेक्टर साहब के सामने यह बात रखी कि सिवाना परगने में बेरे खुद रहे हैं, उनकी यह दशा है कि उनके अन्दर पानी निकल गया है मगर अब किसानों के पास पैसा नहीं है। आप उनको देख कर दो २ सौ या तीन २ सौ रुपये दे दिरावो तो पानी निकल जाएगा। मगर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दियो है। जणे सेवाराम पारसमल आ बात कही के मारे सूं बातचीत करो तो गूजरा साहब से बात करा कर थांने रुपया दिराऊं। आ कोई झूठी बात नहीं है। और सरकार आगे भी जिण करसों ने फेमिन में तलाब पर रुपया दिया है अगर उणरी इनक्वायरी की जावे तो मैं बता सकूं कि किणतरां सूं किसानों ने कितरा रूपया दिया और कितरा लिखाया। यह कहा गया कि गरीबों को तकावी दी जावेगी। जिण रे घरे कोई करसण नहीं जिणरे कोई पट्टो नहीं उनको तो तकावी दी गई है लेकिन गरीब किसानों ने २०-२५ दिन तक कचेड़ियां में खोटी करिया; जठे उणारे खाणेरो कोई इन्तजाम नहीं, पाणी पीणेरो इन्तजाम नहीं; फिर भी उनको तकावी नहीं दी गई।

अब सरकार के सामने यह मोटी २ योजनाएं रखी है कि किसानों के वास्ते यह प्रबन्ध किये जा रहे हैं वो प्रबन्ध किये जा रहे हैं। फलांणी बातों किसानों रे हित रे लिये की जा रही है । एक मामूली बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं और जिसके लिये कागजात कई दिनों से चलते हैं । सुराना गांव में छपन के पहाड़ों से पानी आता था । ज्यादा वर्षा होने से वह पानी वहां नहीं रुक सका । तालाब का बांध टूट गया । हमने बहुत कोशिश की कि मामूली पैसे लगाकर फेमिन के अवसर पर उसका प्रबन्ध कर दिया जाए जिससे हजारों बीघा फसल हो सकती है और काश्तकारों को बहुत फायदा हो; मगर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया । किसानों का क्या भला किया गया यह मेरे समझ में नहीं आता । आगे भला किया हो तो अब भी भला करेंगे । हमारे तो सही बात कालजे में लागी है सो कही है । सही बात कालजे में लागी है वा बताई है । (चीअर्स) किसानों की एक भी बात पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया और अब भी सरकार ध्यान नहीं दे तो किसानों की उन्नति तो होने वाली नहीं है । अगर सरकार ने किसानों री उन्नति करणी है तो सही अफसरों ने लगावे । आप लोग पधारते हैं मतलब निकाल कर चले जाते हैं । पब्लिक को क्या तकलीफ है; कोई पब्लिक की सुनने वाला नहीं । लोग उनका काम करते हैं जो उनके हाथों में नोट रखते हैं । गरीबों की आवाज आज भी दुनियां में रुकी पड़ी है । दुनियां में आ बात कईजे है के प्रजातन्त्र राज मिलियो है । मैं आ कहूंला के एलकारों ने रुपया कमावणरो मौको मिलियो है । जो रुपया देवे उणरो तो काम करे और जो रुपया उनको नहीं देते उनका काम नहीं करते । गरीबों रो कोई काम नहीं करे ।

हमारे साथ सरासर अन्याय हुआ है । इसकी फाइल हमारे पास है । आबकारी सुप्रिन्टेन्डेन्ट साहब को जो, अन्याय हुआ, उसकी सारी रिपोर्ट की और उनको मैंने यह कहा कि ४॥) रुपये की रेट है; मगर खुले बाजार में लोगों से ५॥) रुपये लिये जाते हैं और इससे गरीबों को लूटा जा रहा है । आप इसकी तरफ ध्यान दें । मगर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया । (शेम शेम) मैंने कलेक्टर साहब को रिपोर्ट दी मगर फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई । चूंकि समय समाप्त हो गया इसलिये मैं इतना ही कह कर अपना आसण ग्रहण करता हूं ।

श्री गंगासिंह:—अध्यक्ष महोदय, अभी जो इस पक्ष और दूसरी पक्ष से भाषए हुए है उनके सुनने से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सरकार की जो राज्यनीति है वह ज्यादा दिखावटी है । हमारे मित्रों के जो भाषण हुए उनसे यह मालूम हुआ कि सरकार द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वह दिखावट व प्रोपेगंडा के लिए होते हैं । हमें उम्मीद है कि अब दिखावटी नीति नहीं रख कर सरकार कुछ ठोस कदम उठायगी ।

मैं सब से पहले शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं । सरकार ने शिक्षा की तरफ जो ध्यान दिया है वह ठीक तौर पर नहीं है । शिक्षा की प्रणाली पहले थी वैसी ही रही है; जिसके अनुसार हम अपना जीवन निर्वाह भले ही कर सकें परन्तु सच्ची शिक्षा जैसी मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिलती । हमें इस सम्बन्ध में

विचारशील हो निर्णय करना चाहिये । इसके अलावा शिक्षा विभाग का एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक नहीं चल रहा है स्कूलें जिस जगह पर खोली जानी चाहिये, नहीं खोली जाती हैं और दूसरी जगह, जहां पर उनका महत्व कम होता है खोली जाती हैं। नई स्कूलें खोली जा रही हैं; दूसरी तरफ पुरानी स्कूलों की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है। थोड़े दिन पहले माननीय शिक्षा मंत्रीजी नागौर की तरफ दौरे पर आये थे और उस समय आपने नागौर की हाई स्कूल में कमरे बनाने के लिये ५ हजार रुपये देने का वायदा किया था। मगर अभीतक वे पांच हजार रुपये प्राप्त नहीं हुए और इसके फल स्वरूप अभी भी क्लासेज की कमी के कारण लड़के हेडमास्टर के रहने के बंगले में व वरंडे में पढ़ते हैं। मैं शिक्षा मंत्रीजी से इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट हडक्वार्टर्स जहां पर हों वहां पर तो हाई स्कूलों का ठीक प्रबन्ध किया जावे। गांवों में जहां पर स्कूलें खोली गई है वे ऐसे स्थानों पर खोली गई हैं जहां पर उनकी ज्यादा आवश्यकता नहीं थी।

इसके अलावा मैं सरकार का ध्यान कृषि विभाग की ओर दिलाना चाहता हूं कि कृषि विभाग का काम गांवों में जाकर काम करना है व किसान को कृषि के नये तरीके बताना है। मगर ऐसा नहीं होता है और यह विभाग महज कागजी विभाग रह गया है और इसमें क्लेरिकल काम के सिवाय कोई दूसरा काम नहीं होता।

स्वायत्तशासन के बारे में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि नया बिल आ रहा है और उसके अनसार पंचायतों का नया चुनाव होगा। जब बिल आयगा और उसके अनुसार नया चुनाव होगा तो मुझे समझ में नहीं आता कि जगह जगह पंचायतों का चुनाव वापिस क्यों हो रहा है और फजूल स्टेट का खर्चा क्यों किया जा रहा है। मुझे उम्मेद है कि पंचायतों का चुनाव इस एक्ट के बनने के बाद ही होगा और यदि एक-दो महीने और लग जाए तो क्या बात है।

एक सदस्य:—On a point of order, Sir. I move the closure, sir.

श्री एच. के. व्यास:—ओन ए पोइन्ट आफ आर्डर, सर, माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह जानना चाहता हूं कि किसी सदस्य के राइट आफ रिजनेबल डिस्कशन को तोड़ कर तो यह मूव नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पहले सदस्यों की राय ली जाए। मैं, माननीय उपाध्यक्ष, यह निवेदन करूंगा कि आप इसका फसला करें।

श्री उपाध्यक्ष:—मैं इस क्लोजर को उचित मानता हूं। चूंकि इस विषय पर बहुत लम्बी बहस हो चुकी है और अब उचित समय नहीं है; मैं इसको एलाउ करता हूं। अब जिनके रिप्लाइज मिनिस्टरों से बाकी हैं, वे देंगे।

श्री एच. के. व्यास:—इस क्लोजर के लिये हाउस की सम्मति तो ली जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष:--क्लोजर क लिये हाउस की सम्मति चाहिए तो जरूर। जो इसके अनुकूल, हों इसके पक्ष में हों कि क्लोजर ले लिया जाय और इस बहस को समाप्त किया जाय तो वे 'हां' कहेंगे, और जो इसके विपक्ष में हैं वे 'ना' कहेंगे।

(सदन ने बहस को जारी रखने की सम्मति दी।)

श्री उपाध्यक्ष:--जो सदस्य बोलना चाहते थे वे अपना भाषण आरम्भ करेंगे।

श्री धूलजीभाई (वि०स० ३८):--माननीय श्री उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले की तरफ की कई बातों का एंव बिल का समर्थन करते हुए भी कुछ शिकायतों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बांसवाड़ा जिला वैसे हमारा उपजाऊ जिला है, और वहां आदिवासी लोगों की बस्ती है। वैसे राजस्थान के पूर्व उन लोगों की हालत इतनी गिरी हुई थी और उन लोगों के साथ मानवता के नाते वहां व्यवहार नहीं होता था। राजस्थान के वाद उन लोगों को कुछ मानवता के नैतिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, और अब उनमें कुछ परिवर्तन होने लगा है; लेकिन दुर्भाग्य से वहां २ साल से आकाल की परिस्थिति के कारण वहां के लोगों की हालत बहुत गिर चुकी है और वे लोग इतने कमजोर और अशक्त हो गये हैं कि यद्यपि इन लोगों के सहायतार्थ राजस्थान सरकार ने समय २ पर व्यवस्था की, लेकिन वहां की स्थिति को देखते हुए वह अल्प सहायता हुई और इस साल भी, इस तीसरे साल भी वहां दुष्काल गिरा हुआ है। अतः परिस्थिति को देखते हुए राजस्थान सरकार को इस प्रकार की जरूरत है और वहां की स्थिति को सम्भालने के लिए राजस्थान सरकार विशेष ध्यान दे।

वहां की और कई ऐसी प्रार्थनाएं है। हमारे राजस्थान में वह बरसात के दिनों में एक टापू सा हो जाता है, और सारी दुनिया से हमारा संबंध कट जाता है और हम लोगों के लिये यातायात के साधन नहीं रहते।

दूसरी बात यह है कि वहां सड़कों का काफी समय से अभाव है। जिले से तहसील में जाने के लिए कोई रास्ता अच्छा वहां नहीं है।

इसके अलावा वहां शिक्षा के विभाग में भी इसी प्रकार खामियां मैं महसूस करता हूं। वहां पर शिक्षा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के पूर्व वहां २ फी सदी लोग पढ़े लिखे होते थे। राजस्थान होने के बाद वहां शिक्षा में प्रगति अवश्य हुई है, लेकिन वहां स्कूलों में बैठने के साधनों और भवन का पूर्ण अभाव है। क्योंकि जिन लोगों (जनता) ने वहां स्थाई रूप से शुरुआत की है वहां पैसा इकट्ठा करके उन्होंने भवन बनाने का निर्माण कार्य किया है, गांव के लोगों द्वारा यह कार्य चल रहा है, लेकिन राजस्थान सरकार ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। उन्हें कोई ग्रान्ट नहीं दी गई।

इसी प्रकार अस्पताल और दवाखानों के बारे में काफी शिकायत है। वह पहाड़ी मुल्क है और जो दवाखाने हैं वे तहसीलों में हैं। कम से कम २०-२२ ऐसे दवाखानों की और आवश्यकता है।

फोन व पोस्ट आफिसेज़ का भी वहां अभाव है ।

इस प्रकार उस जिले की प्रगति करना बहुत आवश्यक है; क्योंकि यह मुल्क हमारा खेती-प्रधान देश है । वहां कोई उद्योग, कल कारखाने नहीं हैं । इस दृष्टि से राजस्थान सरकार इस ओर ध्यान देगी तो मैं समझता हूं कि वहां पर कुछ उद्योग स्थापित हो सकेंगे । वहां भील लोग होने की वजह से इसमें वहां सुभीता है । वे लोग महनत करते हैं । वे लोग महनत करके अपनी जीविका कमाते हैं । वहां उन लोगों को राजस्थान से पूर्व चोर और डाकू माना जाता था, लेकिन राजस्थान के बाद उन लोगों में इस प्रकार की भावना पैदा हो गई है कि इस प्रकार का दुष्काल होते हुए भी वहां किसी प्रकार की चोरी और डकैती नहीं हुई । यह एक प्रकार से उस जाति की विशेषता है, कि हर तरह से हर जमाने में वे खुश रहते हैं । उन लोगों के पास आज खाने को नहीं है, उन लोगों के पास आज पहनने को कपड़ा नहीं है, उन लोगों को दवाओं के लिए साधन उपलब्ध नहीं हैं । इस प्रकार की परिस्थिति को सम्हालने के लिए राजस्थान सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे और मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार सरकार इन चीजों को उपलब्ध कराने के लिये कोशिश करेगी; इन क्षेत्रों को उन्नत बनाने के लिए भी राजस्थान सरकार प्रयत्न करेगी । राजस्थान में एक उदयपुर डिवीजन ही ऐसा क्षेत्र है जहां १६ लाख आदिवासियों को उठाना है । यद्यपि उन लोगों के लिए राजस्थान सरकार और हमारी केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है, लेकिन इस पर जो विशेष कार्रवाई होनी चाहिये वह कार्रवाई नहीं की जा रही है । मैं आशा करता हूं कि हमारी जो सरकार है वह उस तरफ विशेष ध्यान देकर उन लोगों को उठाने के लिए प्रयत्न करेगी और उनको हर तरीके से स्वावलंबी बनायगी । मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार की उन लोगों की जो कठिनाइयें हैं उन पर राजस्थान सरकार ध्यान देगी ।

बांसवाड़े जिले में, बांसवाड़े शहर में, एक चन्द्रसागर की योजना है । उस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है । इस बारे में कई बार सरकार को आवेदन पत्र भी दिये हैं और इस चीज की ओर अच्छी तरह से गवर्नमेन्ट का ध्यान आर्कषित किया गया है । इस तरह से सरकार ने प्रगति नहीं की है । इस प्रकार की चीजों को मद्दे नजर रखते हुए बांसवाड़ा जिले को उठाने के लिए सरकार हर कदम उठायेगी ।

श्री कस्तूरचन्द:—उपाध्यक्ष महोदय ! आज राजस्थान सरकार जब प्रगतिशील काम करने जा रही है वहां पर मैं समझता हूं कि जिस धीमी रफ्तार से काम राजस्थान सरकार कर रही है वह प्रगतिशील नहीं कही जा सकता । आज जो गरीब लोग दूर दूर से काम करवाने के लिए आते हैं, सेक्रेटेरियेट में, वहां उन लोगों को आश्वासन जरूर मिलता है, मगर उनको सेक्रेटरी के पास टरका देते हैं । वे लोग इधर से उधर जाते हैं । सेक्रेटरी के पास जाते हैं तो वह दूसरे अफसरों के पास भेज देते हैं और बेचारे गरीब अपना सिर पकड़ कर वापिस खर्चा खाकर चल देते हैं, और उनका कार्य किसी हालत में नहीं होता है ।

उदयपुर डिवीजन में बनेड़ा एक अच्छा नगर है । वहां पर हाई स्कूल है । जनता ने २० हजार रुपये देकर बिल्डिंग तैयार करवाई । हाई स्कूल स्थापित हो गया । वह दो साल से चल रहा है लेकिन वहां पर टाइप राइटर नहीं है । ३ टाइप राइटरों से काम चलवाना चाहते हैं । वहां ३०-४० लड़के हैं तो वह ३ टाइप राइटरों से कैसे काम करें । वहां पर न फर्निचर है, न कॉमर्स टीचर हैं, न ज्योग्राफी टीचर हैं; कुछ नहीं है; बल्कि अव्यवस्था ही अव्यवस्था है । मैं समझता हूं कि क्या इसको ही प्रगतिशीलता कहा जा सकता है ? नहीं, मैं तो नहीं कहूंगा । आप नाराज हों, तो भले ही हों ।

स्थिति यह है कि हमारे यहां से मुन्सिफ साहब का तबादला हो चुका है, मगर उसका लोगों को मालूम नहीं । वहां बहुत मुकद्दमे चल रहे हैं । अगर वह मुकद्दमों पर आते हैं तो उनसे कहा जाता है कि पता नहीं मुन्सिफ साहब आयेंगे, तब पेशी होगी । इस प्रकार से काम नहीं होता है । इसी प्रकार से तहसील में पटवारियों से लोग बहुत तंग हैं ।

मृत्यु भोज को लेकर पुलिस वाले अच्छी रिश्वत खाते हैं । इन्क्वायरी के लिए कहते हैं तो जो एस० डी० ओ० भीलवाड़ा को आते हैं तो वे भी उन से मिले हुए हैं । अगर कोई वहां रिश्वतखोरी हुई हो तो वह उनकी इन्क्वायरी करके फैसला कर देता ह कि थानेदार साहब बेकसूर हैं ।

इस प्रकार की धांधली मची हुई है । मैं आशा करता हूं कि इन दो तीन बातों की ओर, जिनको मैंने आपके सामने बताया है सरकार ध्यान देगी और काम करेगी ।

शिक्षा के सम्बन्ध में मैं मिर्धा साहब के पास गया । उन्होंने मुझे आश्वासन दिया । जब मैं डाइरेक्टर साहब के पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप डिप्टी डाइरेक्टर साहब, उदयपुर से रिपोर्ट लायें; इसमें २-३ महीने लगेंगे । मिर्धा साहब से मैंने कहा था तो उन्होंने कहा था कि यह ५-७ रोज में हो जायगा । समझ में नहीं आता है कि क्या बात है और कहां प्रगति से काम हो रहा है । मैं इसको बिल्कुल ही प्रगतिशील नहीं समझता हूं ।

मैं आशा करता हूं कि आयन्दा के लिए हमारा जो काम मैंने आपके सामने पेश किया है उसके ऊपर आप ध्यान देंगे और जल्दी से जल्दी करन की कृपा करेंगे ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी:—अध्यक्ष महोदय ! हाउस की राय के लिए जो एप्रोप्रियेशन बिल सदन के सामने रखा गया है उसमें जो मांगे रखी गई हैं उनमें से कुछ मांगों की तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैं मांगों पर क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा । उससे जिस नीति का निर्देश मिलता ह उस पर ही कुछ कहना चाहूंगा । सबसे पहले मेरा ध्यान ५२ हजार की रकम पर गया जो लोकल फण्ड ओडिट के नाम से है, उसके अन्दर सन ५०-५१ का

१५ हजार, सन् ५१-५२ का ९ हजार, सन् ५२-५३ का २८ हजार इस तरह से कुल ५२ हजार मांगा गया है । इस मांग को स्वीकार करने से पहले जो मेरे सन्देह हैं वे माननीय मंत्री महोदय दूर कर दें । सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों में लोकल फण्ड ओडिट को हाथ में लेने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाये हैं और यह अब तक सम्भव क्यों नहीं हुआ ?

दूसरी बात यह है कि आने वाले साल में अर्थात् ५३-५४ में लोकल फण्ड के ओडिट को अपने हाथ में लेने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयत्न किये हैं और कर रही है ? अभी से यदि सरकार प्रयत्न नहीं करेगी तो आने वाले फाइनेन्शियल साल तक वह कार्य हाथ में नहीं ले सकेगी । इसके साथ साथ मैं यह भी बात कह देना चाहता हूं कि लोकल फण्ड का ओडिट सिस्टम बड़ा डिफेक्टिव है। कई डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के अन्दर ओडिट नहीं हुआ और जहां हुआ है वह मोस्ट अनसेटिसफक्टरी है । सरकार से मैं इस बारे में आश्वासन चाहता हूं कि इस प्रकार की बातें आयन्दा नहीं होंगी और लोकल फण्ड के ओडिट हाथ में लेने के लिए सरकार जो कार्य कर रही है इसकी एक तस्वीर हाउस के सामने रख दे ।

दूसरा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में कोर्ट ओफ वार्ड्स के मुतल्लिक हाउस के सामने कुछ निवेदन करूंगा । यह कहा गया कि इन्टीग्रेशन की वजह से यह मांग २ लाख ४३ हजार की हो गई है । इसलिये १ लाख ४५ हजार की मांग पेश की गई है । पिछले दिनों में भी कोर्ट ओफ वार्ड्स का इन्तजाम बहुत खराब था इस विषय में ज्यादा मैं कहना नहीं चाहता इसलिये मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि कोर्ट ओफ वार्ड्स में इन्टीग्रेशन किस आधार पर हुआ इसकी एक पिक्चर वे हाउस के सामने रखेंगे तो हमें यह जानने का मौका मिलेगा कि जो धांधलीबाजी आज तक रही है वह धांधलीबाजी आगे नहीं होगी ।

तीसरा मेरा निवेदन है, एज्युकेशन के सम्बन्ध में । जो ४ लाख की मांग रखी गई है उसके बारे में पिछली दफा बजट सेशन में एज्युकेशन की ग्रान्ट पर काफी चर्चा हुई थी। उस डिसकशन का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं । मैं समझता था कि शायद प्राथमिक शिक्षा के लिए और रुपयों की मांग रखी जायगी; लेकिन अफशोस के साथ कहना पड़ता है कि प्राथमिक शिक्षा की तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया । ४ लाख रुपये की जो रकम मांगी गई है वह केवल अपग्रेडिंग ओफ सरटेन इन्स्टीटयूशन्स एण्ड टेकिंग ओवर सरटेन प्राइमरी इन्स्टीटयूशन्स के लिए हैं। प्राइमरी शिक्षा पर ध्यान दिया जाता तो अच्छा होता। मेरा यह निवेदन है कि जो भारत सरकार से ३,५० लाख की जो ग्रान्ट मिलने वाली है उसमें से बड़ी से बड़ी राशि प्राथमिक शिक्षा पर व्यय की जावे । मेरी यह मान्यता है कि बगैर प्राथमिक शिक्षा के हमारे प्रान्त की उन्नति नहीं हो सकती । इसके अलावा मैं एक बात यह भी कह देना चाहता

हूं और वह है किशनगढ़ लेबर सिचुएशन के बारे में । इस विषय में मैंने एक सवाल लेबर मिनिस्टर साहब से भी पूछा था। मेरे दुर्भाग्यवश वे कल उपस्थित नहीं थे; इसलिए उसका उत्तर नहीं मिल सका । मैं लेबर मिनिस्टर से अनुरोध करूंगा कि किशनगढ़ लेबर सिचुएशन के बारे में जो कुछ भी तथ्य हैं उनको हाउस के सामने रख दें ताकि किसी के दिल में जो गलतफहमी हो वह दूर हो जावेगी । यह शब्द कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री प्रभुदयाल:–माननीय उपाध्यक्ष ! सप्लीमेन्टरी बजट पर बोलते हुए मुझे हरिजनों के बारे में शिकायत है । जो पैसा मन्जूर किया जाता है, हरिजनों के लिए, वह हरिजनों को मिलता नहीं है । हरिजनों के बारे में मजदूरों के बारे में, कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है । हरिजनों के उत्थान के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया है । हरिजनों की मजदूरी के बारे में भी कोई खास इस बजट में ध्यान नहीं दिया गया है । मेरी यह शिकायत है कि हरिजनों के बारे में खास ध्यान दिया जाना चाहिये ।

श्री हिम्मतसिंह:–माननीय उपाध्यक्ष ! एप्रोप्रियेशन बिल के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं भी दो शब्द अपनी तरफ से अर्ज करना चाहता हूं । यह एप्रोप्रियेशन बिल बजट से सम्बन्ध रखता है। पहले के सेशन में बजट के सिलसिले में बहुत कुछ कहा जा चुका है । हमें मालूम है कि बजट में करीब एक करोड़ रुपये का घाटा है । ऐसा घाटे का बजट होते हुए भी एप्रोप्रियेशन ग्रान्ट मांगी जाती ह, यह उचित बात नहीं है । अभी तो बजट बना ही है और अभी से उसके लिए और रुपया मांगना यह तारीफ की बात नहीं है । बजट घाटे का नहीं होना चाहिये । राजस्थान सरकार का काम चलाने के लिए पैसे की जरूरत है लेकिन सब जानते हैं कि जो ग्रान्ट मांगी जाती है यह समझ कर मांगनी चाहिये कि पब्लिक का पैसा है और पब्लिक के नुमायन्दों की हैसियत से पब्लिक के पैसे का उपयोग होना चाहिये उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये । आज हम देख रहे हैं कि पब्लिक के रुपये का कितना दुरुपयोग हो रहा है; यह बात साफ है हाउस के सामने । एक अच्छी सरकार के लिए तीन बातें आवश्यक मानी जाती हैं । सबसे पहले न्याय और कानून की व्यवस्था का आराम। इस विषय में इस हाउस में डिस्कशन हो चुका है । कितना न्याय मिलता है यह सदन के सदस्यों से छिपी हुई बात नहीं है । बरसों तक मुकद्दमें चलते रहते हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता है । जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड (Justice delayed is Justice denied) वाली आज हालत है। बागियों का एक मुकद्दमा मेरे सामने सेशन कोर्ट में पेश हुआ । मैं भी उसमें असेसर था । मुझे हाउस के सामने इस बात को जाहिर करते हुए अफसोस होता है कि जो मुकद्दमा डेकोइटी का था, डेढ़ साल तक चलता रहा और अन्त में वह वापिस ले लिया गया । ऐसे गम्भीर मुकद्दमों का यह हाल हैं तो दूसरे मुकद्दमों का क्या हाल होगा। यह है न्याय की परिपाटी । तो इस एडमिनिस्ट्रेशन का तो ईश्वर ही मालिक है । जस्टिस और न्याय के बाद में कोष का जिक्र करूंगा ।

पब्लिक से हर वक्त कोष के लिए डिमान्ड की जाती है। इतने टेक्सेज हो गये हैं कि पब्लिक के पास अब और देने की कोई गुंजाइश नहीं है। बम्बई के मुकाबले राजस्थान को लिया जाता है; यह राजस्थान के लि दुर्भाग्य की बात है। जब कोष लिया जाता है तो हमें अपनी तजबीज को, अपने मीन्स के अनुसार, एडोप्ट करना चाहिए, न कि बजट को एक्स्टेन्ड करते जायं और रकम अनाप शनाप खर्च करते जायं। राजस्थान सरकार को अपने कोष पर विशेष ध्यान देना चाहिए थां।

कोष के बाद और ऐसे विषय हैं हर डिपार्टमेन्ट के, कि शायद में उनका जिक्र करने का साहस करूं किन्तु अध्यक्ष महोदय शायद मुझे टाइम नहीं देंगे। बार बार ये सुझाव आये हैं कि गवर्नमेन्ट अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारे। सरकारी पक्ष के बोलने वाले भी यह महसूस करने लगे हैं, जो ओपोजिशन की तर्क वितर्क करते थे, इतने दिन मजाक उड़ाया जा रहा था, मैं उम्मीद करता हूं कि अपने साथियों की तर्कों पर भी सरकारी बेन्चेज ध्यान देकर एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने की कोशिश करेगी।

(विपक्ष द्वारा करतलध्वनि)

श्री भीमसिंहः—जो ग्रान्टस मांगी जा रही हैं उनके बारे में अपने को यह देखना है कि खास तौर से उन रुपयों का, उन पैसों का सदुपयोग होने जा रहा है या नहीं; जब कि अपने प्रान्त का बजट पहले से ही घाटे में चल रहा है और उसके उपरान्त फिर सप्लिमेन्ट्री ग्रान्टस मांगी जा रही हैं। उस हालत में यह अपने को पिछले छः महीने का तजुर्बा बता रहा है कि जब बजट अलग अलग महकमेजात के पास कर दिये गये और किस प्रकार उनका दुरुपयोग हुआ और अब इस सप्लिमेन्ट्री ग्रान्टस का भी हाल यही होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा महकमों के बारे में न बतला कर सिर्फ तीन महकमों के बारे में कहूंगा; एज्युकेशन, एग्रीकल्चर, लोन्स एडवान्सेज बोर्ड स्टेट गवर्नमेन्ट। इन तीन डिपार्टमेन्ट्स में से खास तौर से शिक्षा विभाग में चार लाख रुपया मांगा गया है। इन पिछले छः महीनों में शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलस वहां खोले गये जहां चुनावों के वक्त वादे किये गये थे। ये स्कूलस वहां खोले गये, वादों की पूर्ति के लिए; या वे उन इलाकों में खोले गये जहां कांग्रेस का कम जोर था और उन्हें केन्द्रों के रूप में खोला गया। मैं खास तौर से मंत्रीजी की जानकारी के लिए रखना चाहता हूं कि राणोली के पास सीसों में गांव वालों ने चन्दा करके पैसा इकट्ठा करके भवन बनाया। वे लगातार दो वर्ष से कोशिश कर रहे हैं कि उनको सरकारी एड दी जाय; किन्तु सरकार उनको कोई एड नहीं देना चाहती। यह बात जरूरी है कि वहां के वाशिन्दे थे वे कांग्रेस के पक्षपाती नहीं थे; यह हाल है एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट का।

दूसरी कृषि के लिए मांग की गई है। कृषि विभाग जहां तक देखा गया एक खाना पूरी करने के अलावा उसने कुछ नहीं किया है। जो टिड्डियों का काम है, लोकस्ट डिपार्टमेन्ट का, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की ओर से या अमेरिकन प्लान्स

यां प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं। उन्होंने तो कुछ इस सम्बन्ध में किया है किन्तु बाकी का कृषि विभाग सिवाय मशीनरी के दिलाने, या कुछ आदमियों को लोहा, पाइप आदि दिलाने के खाना पूरी के सिवाय कुछ नहीं करता । न तो बीज का वितरण किया । अभी गेहूं को मौसम चल रही है । हरएक आदमी यह महसूस करता है कि अच्छे बीज से अच्छी उपज होती है और उन्हें अच्छा बीज खेती के लिए मिलना चाहिए । मैंने स्वयम् ने, जो डिपो थे गेहूं के वहां बीज की मांग की तो मुझे कहा गया कि सी. ५९१ अवेलेबल है; जब कि मुझे क्रॉस. सी. ५१८ चाहिए था । राजस्थान प्रान्त में जहां कृषि काफी है राजस्थान सरकार को चाहिए था कि जगह जगह इस प्रकार के डिपो खोलती और एग्रीकल्चर के डिमोंस्ट्रेशन किये जाते; किन्तु यह भी नहीं किया गया ।

फर्टीलाइजर्स को ही लीजिए । जो आदमी यह चाहें कि फर्टीलाइजर्स से खेती में फायदा किया जावे वह अलग अलग क्रोप्स के लिए अलग अलग फर्टिलाइजर काम में लेगा । एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट्स से जब सोडियम नाईट्रेट की मांग की जाती है तो कहा जाता है कि अमोनियम सल्फेट काम में ले लिया जाय । सोडियम नाईट्रेट, पोटेसियम नाइट्रेट, एमोनियम सल्फेट और सुपर फॉसफेट अलग-अलग क्रोप्स के लिए काम में लिया जाता है । मतलब यह है कि उनके पास कोई भी चीज पूरी नहीं मिलती । उनको कहा जाता है कि उनके पास वे क्यों नहीं रखते तो वे कहते हैं कि हमें ऊपर का सहयोग नहीं मिलता । टेक्निकल आदमी होते हुए भी वे हाथ पर हाथ दिये बैठे रहते हैं । यह एक लाख की जो सप्लिमेन्ट्री ग्रान्ट मंजूरी के लिए रखी गई है वह इसलिए रखी गई मालूम होती है कि चुनावों के वक्त में जो वादे किये गये थे उनकी पूर्ति की जाय और उनको सान्त्वना दी जाय । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि सप्लिमेन्ट्री ग्रान्ट मिलना नावाजिब है; जब कि हमारे प्रान्त का बजट घाटे में चल रहा है ।

श्री खेतसिंह:--माननीय अध्यक्ष, हाउस की ऐसी राय मालूम होती है कि आज इस डिस्कशन को प्रोलोंग किया जाय । मैं भी पांच मिनिट ले लूं । मैं यह नहीं मानता, माननीय अध्यक्ष, कि यह सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट इसलिए की जा रही है कि उन रुपयों का व्यर्थ खर्चा किया जाय और इस पक्ष में भी नहीं हूं कि रुपये फालतू खर्च किये गये । लेकिन मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि जो कुछ भी ग्रान्ट आप मंजूर कर रहे ह उसका कुछ शेअर हमारी कॉन्सटी युएन्सी को भी दिया जाय तो हमें तसल्ली रहे । इसके लिये मैं अनुरोध करूंगा कि जहां से मैं आ रहा हूं मैं गत सेशन में भी बोला था और इसमें भी बोल चुका हूं और आज और बोल रहा हूं; सिर्फ इसलिये कि मिनिस्टर साहब इस बार कुछ ध्यान रखें ।

पहली बात तो है स्कूल के मुतल्लिक । इस बारे में मैंने प्रश्न भी पूछा था और समय-समय पर अर्ज करता रहा हूं । हमारे यहां की जनता ने हाई स्कूल के लिये बिल्डिंग बना दिया है और अब यदि आप मास्टर भेजकर हाई स्कूल चला सकें तो हमारे यहां की १ लाख २० हजार की आबादी को उससे काफी फायदा हो सकता है । जब बिल्डिंग बन गया है तो मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय अवश्य इस पर ध्यान देंगे ।

धान के बारे में यह हालत है कि हम तीन साल से ऑस्ट्रेलियन मिलो (लाल जवार) खा रहे हैं। मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे उन्होंने मुझे काफी सान्त्वना दिलाई है।

अस्पताल के बारे में मैंने पूछा और मुझे जबाब मिला कि ५ हजार की आबादी के ऊपर एक अस्पताल खोला जाता है; इस तरह की कुछ योजना बनाई गई है। आप १ लाख २० हजार की आबादी वाले स्थान में ५ हजार पर एक के हिसाब से न खोल सकें तो कम से कम ५० हजार की आबादी के पीछे तो १ अस्पताल खोलिये। लेकिन यह कहना कि इस समय बजट डेफिशिट है, तुम धैर्य रखो; यह उचित नहीं है। यदि आप अस्पताल नहीं खोल सकते तो आयुर्वेदिक एड पोस्ट तो खोलिये, कुछ तो करिये ताकि हमें बार बार खड़े होकर आपका विरोध न करना पड़े।

सड़कों का हाल इससे भी गया बीता है। वहां से बाडमेर होकर जैसलमेर तक सड़क जाती है; जो बहुत टूटी फूटी है। यदि मंत्री महोदय ने उस ओर दौरा किया है तो महसूस किया ही होगा या उनकी गाड़ी की रफ्तार तेज हो तो मुमकिन है, उन्हें मालूम नहीं भी पड़ा हो, लेकिन जो टैक्सियों में जाने वाले हैं, उन्हें तो बुखार हो ही जाता है। पंच वर्षीय योजना में इसे भी शामिल करके मेटल्ड रोड बनाने की कृपा कीजियेगा; यह मेरी प्रार्थना है।

पानी के प्रबन्ध के लिहाज से तो हमारी बात बहुत ही कष्टदायक है। जैसे कई महानुभावों ने कहा है कि हमारे यहां ट्यूब वेल नहीं हैं। पर हम तो ट्यूबवेल नहीं चाहते हैं और न हमारे यहां इनके लिये कोई गुंजाइश ही है; लेकिन पीने के पानी के लिये तो कम से कम हमें इमदाद दी जानी चाहिये ताकि २० मील दूरी से तो हमें पानी लाकर नहीं पीना पड़े। यदि सरकार इमदाद दे तो वहां के लोग कूए खुदवाने के लिए तैयार हैं। मैं इतना ही कहकर मंत्रीजी के आश्वासन पर बैठ जाता हूं।

श्री केसरीसिंह:--मुझे आज सदन के सामने लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के बारे में यह बतलाना है कि इस विभाग में जितना पक्षपात सरकार द्वारा किया जाता है उसका अनुमान लगाना हमारे लिये बहुत कठिन है। सन् ५१ की जुलाई में जो ग्राम पंचायतों का चुनाव बूंदी डिस्ट्रिक्ट में किया गया था उस समय एक पंचायत के सरपंच का चुनाव भी किया गया था। बाद में वह चुनाव अवैधानिक घोषित कर दिया गया और उसका दुबारा चुनाव अब तक नहीं किया गया और उस जगह उप-सरपंच अभी तक काम कर रहा है। वह चुनाव पहले ही अवैधानिक इसलिये घोषित कर दिया गया था कि वहां का सरपंच कांग्रेसी नहीं था और कांग्रेसी सरपंच नहीं होने से उनको मदद किस तरह से मिलती। इसलिये मुझे सरकार को बहुत जोर के साथ कहना है कि वह इस तरह के पक्षपात करना छोड़े और जनता के सही मतों को लेकर चुनाव कराया जाय। सन् ५१ के बाद अब तक चुनाव नहीं हुआ है, अब कब चुनाव किया जायगा; यह भी हमें बतलाया जाय।

हमें रेवेन्यु मिनिस्टर साहब ने यह बतलाया था कि बूंदी डिस्ट्रिक्ट के लिये ३०० मन बीज दिया गया है। मैं आपसे बतलाना चाहता हूं कि तहसीलों में बीज का एक दाना भी वितरित नहीं किया गया है। मैं इस बात की जांच करके आया हूं कि बीज कतई नहीं दिया गया है। कलेक्टर से बात की तो कहा कि मैंने बीज के लिये एस. डी. ओ. को लिख दिया है कि वे तहसीलों में बीज का वितरण करदें। मैं वहां गया तो न तो वहां तहसीलदार का पता था और न एस. डी. ओ. ही मिले और न वहां बीज का एक दाना ही था। काश्तकारों को गांव में कहीं भी बीज का एक दाना नहीं मिला। सरकार की ओर से इस तरह झूठे आश्वासन दिये जाते हैं। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि सरकार की ओर से झूठे आश्वासनों को छोड़ कर सच्चे आश्वासन दिये जावें और वे सही भावना से जनता की सेवा करें, तो जनता का भला हो सकता है।

श्री जयेन्द्रसिंह:--जब सब लोग बोलने लगे तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी कांस्टीटयूएन्सी का हाल आपके सामने कहूं। सभी मद ऐसे हैं जिन पर कुछ कहना जरूरी होगा। सबसे पहले रेवेन्यु के बारे में अर्ज करूंगा। फसल की देख-भाल का इन्तजाम इतना खराब था, अध्यक्ष महोदय, कि इसके लिये आपका ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। वह जिकर यह है कि गये साल वर्षा के अभाव में फसल कतई नहीं हुई थी। इसके उपरान्त यहां फसल के नक्शे मंगाये गये थे; पर टाइम पर नहीं आने के कारण और सुस्ती के कारण काश्तकारों को लगान के लिये तंग किया जाने लगा और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। इस जनतन्त्र के जमाने में ऐसी चीज होगी तो आगे क्या हालत होगी। जो जनता के प्रतिनिधि चुने गये हैं उनके बराबर हम भी अपने आपको मानते हैं। हमको भी जनता ने चुना है लेकिन जो राजपक्ष में हैं उनको यह ख्याल रहना चाहिये कि हमारी तरफ से जो सजेशन आते हैं उन्हें केवल ऐसा ही नहीं मानें कि ये विरोधी दल से आये हैं। सरकार की नीति ढीली-ढाली है। अफसरों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। मैं जब पिछले अधिवेशन में आया था तब मैंने रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से अर्ज किया था। उन्होंने कहा कि आप सेक्रेटेरियेट में आइये; वहां इस बात की चर्चा करेंगे कि आपके इलाके में किस बात की जरूरत है। मैं वहां गया भी। पर दुर्भाग्य से मंत्री महोदय की तबीयत ठीक न होने के कारण वहां नहीं आये थे। मैं रेवेन्यू सेक्रेटरी से मिला। उन्होंने कहा कि वहां से नक्शे आगये हैं, फसल की हालत अच्छी है। मैंने उनको समझाया कि गेहूं की फसल तो बिल्कुल अच्छी नहीं है और जो नक्शे आपके पास आये हैं वे तो जवार और मक्का के हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने इस बात को माना और फिर लिखा कि गेहूं की फसल के बारे मे नक्शे जल्दी भेजे जावें। मैं इस बात के लिये सरकार की तारीफ करता हूं कि उन्होंने यह हुक्म निकाल दिया कि जब तक यहां से दूसरा हुक्म नहीं पहुंचे तब तक लगान नहीं लिया जावे। कोटा डिविजन में छूट का यह पहला ही एलान किया गया था। लेकिन इसके बाद काश्तकारों का माल कुड़क करके उनसे जबरदस्ती लगान वसूल कर लिया गया। यह पता नहीं कि इसके लिये ऊपर से आदेश था या मुकामी अफसरों ने अपनी ओर से ऐसा किया। बीज के बारे में बहुत से महानुभावों ने फरमाया था। ऐसी ही हालत दूसरी जगह भी हुई है।

पी. डब्ल्यू. डी. के बारे में भी मुझे कुछ अर्ज करना है। मैं इस चीज की सराहना करूंगा कि पिछले अधिवेशन में जब मैं यहां आया था तब मिनिस्टर महोदय ने हमें काफी आश्वासन दिया था और उन्होंने उस इलाके का दौरा भी किया। मैं झालावाड़ से आया हूं। वह पहाड़ी इलाका है और मध्य भारत और राजस्थान की सरहद पर है। उन्होंने जो आश्वासन हमें दिये हैं मैं आशा करता हूं वे जल्दी ही पूरे होंगे। "जल्दी" की परिभाषा तो स्पीकर महोदय ने भी नहीं बतलाई है। "जल्दी" ५ वर्ष को या १० वर्ष को या ५०० वर्ष को कहते हैं; यह तो वे स्वयं जानें। मैं जल्दी की आशा करता हूं इसके लिये मैंने सवाल भी रखा है।

इसलिये मैं मंत्री महोदयों से अर्ज करूंगा कि वह जो फरमा कर आवें उसकी जल्दी पूर्ति करें तो जनता को लाभ होगा।

बरसात के दिनों में वहां सरका मवेशी बहुत होती है, क्योंकि मध्य भारत का इलाका वहां से लगता है। अगर वहां सड़क बन जाती है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ९० प्रतिशत सरका मवेशी रुक सकती है। परन्तु अफशोस ह कि Five Year Plan में भी इसका कोई जिक्र नहीं है।

मुझे शिक्षा–विभाग के बारे में भी कहना है। छीपा बड़ोद तहसील में सारथल नाम की जगह है। वहां पहले ठिकाने की तरफ से जो स्कूल का इन्तजाम था वह अच्छा था। राजस्थान सरकार बनने के बाद सरकार के इन्तजाम में वह स्कूल आया और मरम्मत न होने के कारण बिल्डिंग गिर गई और लड़के बाहर बैठकर पढ़ रहे हैं। तार वगैरह दिये जाते हैं; उनकी भी सुनवाई नहीं होती। मालूम नहीं होता वह भी क्या सरकार द्वारा घोल कर पी लिए जाते हैं। यदि इस तरह ध्यान नहीं रखा गया तो राजस्थान का भविष्य नहीं सुधर सकता। यही कह कर म अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री भैरवलाल (काला बादल):–मेरे चुनाव क्षेत्र के पड़ोस के कुंवर साहब बोले हैं। उनकी देखा-देख मैंने भी विचार किया कि मैं भी बोलूं। हमारी सरकार बड़ी मुसीबत में है। अकाल की परिस्थिति हमारे राजस्थान में है; इस वजह से भी हमारी सरकार कई काम करने में असफल रही है।

दूसरी वजह यह है कि जिन लोगों के हाथ में पहले हुकूमत थी उन्होंने बड़ी बड़ी गड़बड़ी छोड़ी है और सरकारी पदों पर उनके अफसर हैं वे सरकार के कामों में रोड़े बन कर सरकार को प्रगति की ओर बढ़ने से रोके रखते हैं और कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। हमारे इलाके में कितने ही ऐसे व्यक्ति बड़े पदों पर आरुढ रहे, Land Revenue Records के अफसर रहे, उन्होंने ऐसी हालत पैदा की कि किसानों को परेशान किया जाय; जिससे कांग्रेस सरकार के प्रति लोगों के दिलों में रोष बढ़ता रहे। हमारे मिनिस्टर कानून के चक्कर में पड़कर सही बातों की खोज नही करते।

(विरोधी दल की ओर से करतलध्वनी)

अगर अफसर गल्ती करते हैं तो क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती। क्या इसी तरह अशोक का सा राज्य आ सकता है। उनको वेष बदल कर अशोक की तरह जाना चाहिए। कानून के चक्कर में पड़ने से यह होता है कि एक ओर भ्रष्टाचार चलता है, किसानों को लूटा जाता है और जब हम लोग आकर कहते हैं तो कहा जाता है कि इसके खिलाफ सबूत नहीं है, सबूत लाइये। हमारे ऊपर जनता के चुने हुए लोगों पर विश्वास नहीं किया जाता है तो मंत्री लोगों को अशोक की तरह वेष बदल कर जाना चाहिए और किसानों को परेशान करने वाले लोगों के खिलाफ कदम उठाना चाहिए।

आज किस तरह काश्तकारों को लूटा जाता है; यह किसीसे छुपा नहीं है। कहा जाता है कि काश्तकारों को काश्त के काम की लकड़ी मुफ्त में लेने दी जायगी; पर वास्तव में जब किसान काश्त के काम की लकड़ी के लिए जाता है तो २) रुपये रिश्वत देता है तब रेंजरी में जा सकता है। रेंजरी में जाने के बाद २) रुपया परमिट के देने पड़ते हैं; फिर भी किसानों को लकड़ी नहीं मिलती। किसान अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए चोरी करके लकड़ी काटता है तो जंगल के पहरायत उसे पकड़ते हैं और उसे कहते हैं कि या तो वह जगह बता जहां से लकड़ी काटी है या ५) रु० या १०) रु० लेकर उसकी जान को परेशान करके छोड़ देते हैं।

इस तरह की बेईमानी, लूट-मार को रोकने के लिए संबन्धित मंत्री महोदय वेष बदल कर जावें और ऐसी लूट मार को देखें; तभी सरकार किसानों के प्रति वफादार हो सकेगी।

समय की कमी के कारण में इतना ही कहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष:--अभी आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री कानसिंह:--अब तो समय हो गया है।

श्री नाथूराम मिर्धा:-अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यह डिबेट काफी लंबी हो चुकी है और करीब करीब सभी सदस्यों ने बोलने का अवसर पा लिया है और यदि कोई और सदस्य बोलना चाहें तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आज ही १५-२० मिनिट बैठ कर बोल सकते हैं।

श्री कानसिंह:--जो साधन मंत्री महोदय को हैं, बंगलों में रहने के, कार के, हम लोगों के पास नहीं है। हम लोगों को बहुत तकलीफ रहती है। यदि वे सहूलियतें हमें होती तो हम भी दो बजे तक बैठ सकते थे।

श्री उपाध्यक्ष--हाउस के सामने यह प्रश्न उपस्थित है कि इस बहस को कल पर जारी रखी जावे या इसको आज ही समाप्त कर दी जावे; कल सिर्फ मंत्री महोदय ही बोलेंगे।

(सदन ने बहस को आगामी दिवस के लिए स्थगित करने की स्वीकृति दी ।)

श्री उपाध्यक्ष:--आज की कार्यवाही समाप्त की जाती है और कल सरकार की ओर से मंत्री महोदय अपना उत्तर देंगे, सवालों के बाद, जैसा कि नियम है।

(सदन की कार्यवाही १२-४० बजे (मध्याह्न), २९ अक्टूबर, १९५२ ई० के प्रातः ८-३० बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)

सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-२८ अक्टूबर, १९५२

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
विधान सभा, जयपुर।

परिशिष्ट—१

(कृपया प्रश्न संख्या १७५ देखिये)

LIST OF BOARDING HOUSES.

1	Kisan Chhatrawas, Bikaner	..	1200/-	P.A.
2	Gram Chhatrawas Bhadra	..	840/-	,,
3	Darbar Boarding House, Balesar	..	1164/-	,,
4	,, ,, ,, Bhavi	..	408/-	,,
5	,, ,, ,, Bilara	..	558/-	,,
6	,, ,, ,, Bhinmal		708/-	,,
7	,, ,, ,, Balotra	..	512/-	,,
8	Malinath ,, ,, Barmer	..	2940/-	,,
9	Kisan ,, ,, Barmer	..	1863/-	,,
10	Mahavir ,, ,, Bagri	..	876/-	,,
11	Darbar ,, ,, Chadi	..	324/-	,,
12	,, ,, ,, Desuri	..	648/-	,,
13	,, ,, ,, Degana		504/-	,,
14	Mimmat ,, ,, Didwana	..	2383/-	,,
15	Kisan ,, ,, Didwana	.	2470/-	,,
16	Darbar ,, ,, Chhoti Khatu	..	1008/-	,,
17	,, ,, ,, Gunga	..	372/-	,,
18	,, ,, ,, Gura Endla	..	504/-	,,
19	,, ,, ,, Jaswantpura	..	828/-	,,
20	,, ,, ,, Jalore	..	851/-	,,
21	,, ,, ,, Jaswantgarh	..	888/-	,,
22	Kisan ,, ,, and Orphanage Jodhpur.	..	3889/-	,,
23	Gandhi ,, ,, Jodhpur	..	1428/-	,,
24	Hanwant Rajput B. H. Jodhpur	..	1800/-	,,
25	Sumer Chhatrawas, Jodhpur		1240/-	,,
26	Zaber Singh Junior Military Jodhpur	..	2160/-	,,
27	Umed B. H. Jodhpur ..	..	1956/-	,,
28	Maharaja Umed B. H. Jodhpur	..	1452/-	,,
29	Kushal B. H. Jodhpur ..	..	1896/-	,,
30	Dadheech B. H. Jodhpur ..	..	960/-	,,
31	Ajmid B. H. Jodhpur ..	..	300/-	,,
32	Darbar Boarding House Kuchaman City	..	1200/-	,,
33	Darbar Boarding House Kuchera	..	240/-	,,
34	,, ,, ,, Khiwandi	..	444/-	,,
35	,, ,, ,, Khandap	..	444/-	,,
36	,, ,, ,, Karwar	.	432/-	,,
37	,, ,, ,, Ladnu	..	2376/-	,,
38	,, ,, ,, Maroth	..	684/-	,,
39	,, ,, ,, Maulasar	..	324/-	,,
40	,, ,, ,, Makrana	..	2124/-	,,
41	Sarvajanik Chhatravas Marwar Junction.		862/-	,,
42	Kisan Boarding House Nagore	..	2000/-	,,

43	Amar	Boarding	House	Nagore	.. 950/-	P. A.
44	Darbar	„	„	Peelwa	.. 504/-	„
45	„	„	„	Parbatsar	.. 1087/-	„
46	Kisan	„	„	„	.. 986/-	„
47	Darbar	„	„	Shergarh	.. 444/-	„
48	„	„	„	Sanchore	.. 720/-	„
49	„	„	„	Seewana	.. 372/-	„
50	„	„	„	Sumerpur	.. 1140/-	„
51	„	„	„	Sewari	.. 1092/-	„
52	„	„	„	Sadri	.. 816/-	„
53	„	„	„	Salva Kalan	.. 144/-	„
54	„	„	„	Takhatgarh	1248/-	„
55	„	„	„	Thanawala	.. 1032/-	„
56	„	„	„	Anandpur Kalu	.. 2364/-	„
57	Manti	Sewa	Sadan	Kotah ..	.. 500/-	„